# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १९वां दिवस [संख्या १५



शुक्रवार, दिनांक ६ सितम्बर, १९६३

---

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३१ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, श्रम, समाज कल्याण, राजस्व, चिकित्सा, राजस्थान नहर, स्वायत्त शासन, कृषि, सिंचाई, वन पंचायत, आयुर्वेद, नियुक्ति एवं उद्योग–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भीमसेन ।

### बीकानेर जिले के अभावग्रस्त गांव

५१२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बीकानेर में पिछले वर्ष कुल कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित थे तथा इस वर्ष ऐसे कितने गांव हैं जहां कि अभी वर्षा बिल्कुल नहीं है। ऐसे गांवों में से पिछले वर्ष के कुल कितने गांव शामिल है ?

(२) उपरोक्त गावों के लोगों को मजदूरी देने एवम् पशुओं को घास मुहैया करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

(३) राज्य सरकार द्वारा कहां कहां घास के केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा वहां पर कितना कितना घास पहुंचाया गया है ?

(४) लोगों की मजदूरी के लिये कहां कहां काम चालू हैं तथा तकावी के रूप में अब तक कितनी धन-राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

**उप-मन्त्री, अकाल सहायता** (श्री राम प्रसाद लढ्ढा ) : ( १ ) जिला बीकानेर में पिछले वर्ष सम्वत् २०१८ में १३१ गांव और सम्वत २०१९ में १९८ गांव अभावग्रस्त घोषित किये थे। कोलायत तहसील में चार गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है। ये गांव गत वर्ष अकालग्रस्त नहीं थे।

(२) उपरोक्त गावों के लोगों को मजदूरी देने हेतु राहत-कार्य चालू कर दिये गये हैं

# Page No 2



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

परन्तु बीच में वर्षा होने में राहत कार्य बन्द कर दिये थे जिन्हें पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये हैं और पशुओं को घास देने के लिए फोडर डिपो खोल दिये गये हैं।

(३) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर घास के केन्द्र स्थापित किये गये हैं:-

तहसील बीकानेर

| | | |
|---|---|---|
| (१) | बीकानेर | ४ |
| (२) | रामड़ा | १ |
| (३) | छतरगढ़ | १ |
| (४) | अमरपुरा | १ |
| (५) | जयमलसर | १ |
| (६) | रामपुरा | |
| (६) | पूगल | |
| (८) | पेलाना | |
| (६) | देशनोक | |
| (१०) | गंगशहर | |

तहसील कोलायत

१. कोलायत, २. दियासर, ३. गडियाला, ४. बज्ज, ५. रणजीतपुरा ६. बरसलपुरा, ७. गजनेर, ८. रणधीरसर, ६. अलासर, १०. बिजेरी भभू।

उपरोक्त डिपो पर दस हजार मन घास पहुंचाया गया है।

(४) लोगों को मजदूरी के लिए निम्नलिखित नादी खोदने के राहत-कार्य चालू है :-

(१) उन्डी, (२) रामड़ा, (३) जोधासर, (४) सतासर, (५) नैरोपावा, (६) सवाईसर, (७) सरूपदेसर, (८) बरसिंहसर, (६) केसरदेसर जाटान, (१०) भोजनशाला व (११) भभू।

तकाबी के रूप में अब तक रुपया २,५०,०००) वितरित किये जा चुके हैं।

**श्री भीमसेन** : क्या यह सही है कि दस हजार मन चारे का जो वितरण किया गया है वह बीकानेर शहर तक ही सीमित था? दूसरे डिपो पर नहीं पहुंचा?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह घास सारे डिपोज़ पर पहुंचाने के लिए दिया गया है। अब ये फिगर्स मेरे पास इस समय नहीं हैं कि किस किस डिपो पर कितना कितना घास भेजा गया, हर डिपो के अलग अलग आंकड़े नहीं दिये गये इसलिये, पर टोटल कितना पहुंचाया गया वह दे दिया है।

**श्री कुमारानंद** (ब्यावर): गांवों में वितरण इसका किया गया या नहीं; इसका जवाब नहीं दिया गया।

**श्रीरामप्रसाद लड्ढा**: मैंने जवाब दिया न कि टोटल कितना दिया सब डिपोज़ के लिए, वह मैंने कह दिया। अब गांव वार अलग २ सूची मेरे पास इस समय नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): चूंकि आपने अलग अलग आंकड़े नहीं दिये इससे तो यही लगता है कि एक ही शहर में आपने दिया, सब डिपोज़ पर नहीं दिया।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह सम्भव नहीं है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि यह घास सब जगह पहुंचाया गया है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): गंगाशहर, बज्ज, रणजीतपुरा के ऊपर कितना घास अलग अलग पहुंचाया गया?

# Page No 3



**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** यह तो मैंने निवेदन किया न कि किस डिपो पर कितना पहुंचाया गया, इसके फिगर्स इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** यह दस हजार मन चारा कितने दिन के लिये सफीशियेन्ट है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** जब तक मुझे यह मालूम न हो कि कितनी जगह कितना २ भेजा गया है तब तक मैं यह कैसे कह सकता हूं कि कितने दिन के लिए सफीशियेन्ट है।

ज्यों ज्यों मांग जहां २ की आती जा रही है त्यों त्यों घास वहां वहां पहुंचाये जाने की व्यवस्था जरूर की जा रही है, यह बता सकता हूं।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** जो टोटल भेजा आपने दस हजार मन०घास वह पचास हजार जानवरों का एक दिन का खाद्य है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** It is a matter of calculation.

**श्री मानिकचंद सुराणा :** It is a matter of Commonsense.

उन्होंने दस हजार मन घास पहुंचाया २६-२७जुलाईके बाद में जब कि मुख्यमन्त्रीजी ने कई मन्त्रियों के साथ में दौरा किया बीकानेर के इलाके में। उसके बाद सिर्फ डेढ़ महीने में जहां हजारों की तादाद में जानवर हैं, दस हजार मन अनाज सरकार ने वहां भिजवाया है जो कि पांच सौ जानवरों का ग्रोन एन एवरेज ८ सेर एक जानवर का एक दिन में गिने तो दस दिन का खाद्य है पांच हजार जानवरों का, जब कि कुल एरिया में पशुओं की संख्या पचास हजार से ऊपर है। यह उनके लिये एक दिन का भी काफी खाद्य नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** यह तो पहुंचाया गया है। यदि कमी अनुभव होती हो तो वहां पर और पहुंचाये जाने में बाधा नहीं है। फिर कमी का सवाल नहीं है, वहां तो इस कमी की कोई शिकायत नहीं है कि इतना कम है या नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** शिकायत आप किसे गिनते हैं ? शिकायत तो हम रोज कलेक्टर को और मन्त्रीजी को करते हैं। इसके बाद और क्या करें, बता दें आप ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** बीकानेर में हमने भेजा है। अगर वहां और ज्यादा आवश्यकता हुई तो हम भेजने की तैयारी में हैं। तैयारी हमारे पास है।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** आवश्यकता का माप-दण्ड क्या है ? पांच हजार पशुओं के लिये ८ सेर प्रतिदिन का भी गिनें तो इस हिसाब से एक हजार मन घास रोज चाहिये। आपने दस हजार मन घास भेजी जो दस दिन का खाद्य है उनके लिये, जब कि पशुओं की संख्या उस इलाके में लाखों की है और बावजूद इसके आप कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** और आपका साथ ही दावा भी है कि एक भी पशु राजस्थान में भूख से मरा नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** आज तो दरअसल घास वहां पहुंचाने की इतनी सख्त जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पर रेन्स हो जाने से नेचुरल फोडर उग आया है इससे, इसलिये उनका गुजारा चल रहा है। फिर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इसलिये सूखा घास लेने को लोग आज आम तौर से वहां तैयार नहीं होते फिर रेतीला रास्ता वहां है और आवागमन की बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके बावजूद भी जहां आवश्यकता होती है वहां पहुंचा देते हैं वहां की मांग के अनुसार। पर अगर वहां पर लोगों को अपने जानवरों को चराने के लिये हरी घास मिल जाती है तो वे सूखी घास की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। फिर भी जहां से भी मांग आती है वहां हम पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): हरी घास का एक अंकुरा भी वहां नहीं निकला है।

**श्री भीमसेन**: अमरपुरा और रामपुरा में एक सेर भी नहीं पहुंचा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: यह तो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं पहुंचाया गया है। अब कितना पहुंचाया गया है यह नहीं कह सकता इस समय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: इसी कारण आपने डिपोवाइज़ आंकडे नहीं दिये क्योंकि आपने वहां भेजा ही नहीं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: आप प्रश्न करने के साथ ही यह कहें कि एक रोज में इस प्रकार के आंकडे प्रस्तुत करो तो यह तो संभव नहीं है। एक रोज में इस प्रकार के आंकडे प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

**श्री अध्यक्ष**: क्या सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, वहां पूर्ण मात्रा में भेज दिया जावेगा घास?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: Yes, Sir

**श्री अध्यक्ष**: Next.

## मजदूरों की बकाया

**५१३. श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर की ओर मजदूरों का लगभग छः लाख रुपया बकाया है?

(२) क्या यह भी सही है कि मिल्स के मैनेजमेन्ट ने श्रम अदालत के ता० १२-१२-५६ व १३-५-६० के अवार्ड्स व तारीख २९-१-५८ के आपसी समझौते को तोड़ा है?

(३) क्या यह भी सही है कि मजदूरों ने अपनी बकाया की वसूली तथा अवार्ड्स व समझौते का पालन करवाने के लिये सरकार से कई बार प्रार्थना की है?

(४) क्या यह भी सही है कि सरकार के श्रम अधिकारी ने मजदूरों को कार्यवाही का बार बार आश्वासन देकर भूख-हड़ताल करने से रोका है?

(५) अगर हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

(६) सरकार मैनेजमेन्ट के विरुद्ध बकाया की वसूली व अवार्ड्स व समझौते की अवहेलना करने के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा क्यों नहीं चलाती है।

**श्रम मन्त्री** (श्री भीखाभाई): (१) जी हां, विजय कॉटन मिल्स की ओर मजदूरों का कुल ४,२९,५७७.९७ नये पैसे बकाया है।

# Page No 5



(श्री भीखाभाई)

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, श्रम अधिकारी ने केवल मजदूरों को हड़ताल न करने की सलाह दी है।

(५) सरकार ने दिनांक २४–१–६३ को अवार्ड्स की अवहेलना करने के कारण मालिक कारखाना के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के विषय में सरकारी आदेश जारी कर दिये हैं।

(६) अवार्ड्स के उल्लंघन के सम्बन्ध में मालिक कारखाना के विरुद्ध मुकदमा चलाने की इजाजत दी जा चुकी है तथा बकाया रकम की वसूली के सम्बन्ध में पेमेन्ट वेजेज़ ऑथोरिटी भी अदालत में क्लेम दायर किये जा चुके हैं। मिल के विरुद्ध दिनांक २४–१–६३ की सरकारी विज्ञप्तियों संख्या एफ. ५ (२१) लेबर ६१ (३९७) व (३९८) दिनांक २४–१–६३ द्वारा मालिक कारखाना के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सरकारी आज्ञा जारी की जा चुकी है। ये आज्ञा लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अवार्ड तथा इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जयपुर के अवार्ड के प्रश्न-उल्लंघन से सम्बन्धित है।

**श्री कुमारानन्द** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि छः लाख रूपये में से कितना चुकाया गया और कितना बकाया है? क्या मन्त्री महोदय इसका जवाब देने की कृपा करेंगे?

**श्री भीखाभाई** : मैंने निवेदन किया कि ६ लाख बाकी नहीं हैं। ४,२९,५७७.९७ नये पैसे बाकी हैं, जिसमें से जो दूसरे और भी केसेज़ थे ३–केस नम्बर ६, ८ और २२–उनमें जो १,९०,००० थे वे ब्यावर की कोर्ट्स में हैं; एक तो एक सीनियर सिविल जज के कोर्ट में है जिनमें ३५,६२५.७८ फरवरी-मार्च में चुकाने का अवसर दिया था। वह जो प्राप्त करने के लिये आये उनको दे दी, बाकी रकम जिन मजदूरों ने नहीं ली उसके लिये सिक्योरिटी ले ली गई है। अब इन पिछले ३ मामलों में ९ हजार बाकी हैं। तो इस तरह से अब ४ लाख के करीब बाकी रह गई है। तीसरा केस एस० डी० ओ० ब्यावर की कोर्ट में है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : कितनी राशि पड़ी हुई है और सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई?

**श्री भीखाभाई** : क्योंकि पहले तो समझौता कराने की कोशिश की और जब समझौता नहीं हुआ तो मुकदमा चलने का है और कोर्ट में पड़ा हुआ है। उन्होंने अपील की है जो अपीलेट कोर्ट का फैसला था वह सिविल जजी में ले गये हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें तो गवर्नमेन्ट की तरफ से पैरोकार मुकर्रर होता है, कब तक इसका फैसला करने की कोशिश करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : स्वामीजी कुछ पूछना चाहते हैं?

**श्री कुमारानन्द** : मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही चला रही है जो विजयनगर का मामला चार-पांच वर्ष से चल रहा है वसूल करने के लिए?

**श्री भीखाभाई** : सरकार दोनों कार्यवाही कर रही है।

Page No 6



**प्रश्न संख्या ५१४**

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या ५१५**

श्री अब्दुल जब्बार ।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

**समाज कल्याण विभाग में अधिकारी व कर्मचारी**

**५१६. श्री जयनारायण सालोदिया** ( निवाई ) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) समाज कल्याण विभाग में आई० ए० एस०, आर० ए० एस० तथा अन्य श्रेणी के ऑफिसर्स कितने हैं तथा उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कितने हैं और विभाग के ऑफिसर्स की कुल संख्या के हिसाब से अनुपात क्या आता है ?

(ख) इस विभाग में सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कितने हैं और उनका इन श्रेणियों की संख्या के हिसाब से अनुपात क्या आता है ?

(ग) क्या इस विभाग में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए रिज़र्व्ड कोटा के हिसाब से स्थान दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

**मन्त्री, समाज कल्याण** (श्री भीखाभाई): (क) समाज कल्याण विभाग में ६ आर० ए० एस०, १ आर०एफ०एस० तथा ३७ अन्य श्रेणी के ऑफीसर्स हैं उनमें से ३ ऑफिसर्स अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन-जाति के हैं और विभाग के ऑफिसर्स की कुल संख्या ४४ के हिसाब से ७ प्रतिशत अनुपात होता है ।

(ख) इस विभाग में सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः १५४ तथा ३३५ है तथा उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के क्रमशः १६ तथा ६२ हैं और इनका इन श्रेणियों के हिसाब से अनुपात क्रमशः $१०\frac{1}{2}$ प्रतिशत एवम् १८ प्रतिशत होता है ।

(ग) जी हां ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : आपने चौथे नम्बर के जवाब में 'जी हां' बताया है और जो प्रतिशत आपने बताया और गवर्नमेंट ने जो प्रतिशत फिक्स किया है उससे कम क्यों आता है ?

**श्री भीखाभाई** : आपका सवाल समझ में नहीं आया ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : आपने चौथे नम्बर के जवाब में 'जी हां' कहा है । आर० ए० एस० और दूसरे दूसरे ऑफिसर्स ने ७ प्रतिशत बताये जब कि उनको १० परसेन्ट लिया जाना चाहिए । उसी तरह से जहां साढ़े बारह परसेन्ट होना चाहिए वहां १० प्रतिशत है और जहां १० प्रतिशत होना चाहिए वहां ७ परसेन्ट है । समाज कल्याण विभाग में भी पूरा कोटा नहीं है तो और कहां होगा ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने निवेदन किया कि गवर्नमेंट की इन्टेन्शन यह है कि कोटा की जल्दी से जल्दी पूर्ति की जाये ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : इसमें दिक्कत क्या है ? क्या आपको केन्डीडेट्स नहीं मिलते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि और विभाग में कोटा पूरा करें या न करें, लेकिन इस विभाग में तो कर दें ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : क्या आप (मन्त्री महोदय) यह कहना चाहते हैं कि केन्डीडेट्स नहीं हैं ?

( विराम )

जवाब आना चाहिए, साहब

**श्री अध्यक्ष** : कौशिश कर रहे हैं, मन्त्री महोदय ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : केन्डीडेट्स नहीं हों तो मैं बता सकता हूं । आई० ए० एस०, आर० ए० एस० जिस केटेगरी के कहेंगे मैं बता सकता हूं । आपको ज्ञान न हो तो मैं बता दूं । मेरे पास है कई आदमियों की लिस्ट ।

**श्री भीखाभाई** : सरकार को भी जानकारी है इस बात की ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्योपतसिंह ।

## तावान

५१७. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र की सरकारी पड़त भूमि को काश्त करने पर कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा उनकी फसलें नीलाम या जब्त करली गई व रेवेन्यू तहसीलदारान ने ६०) रुपया बीघा का भारी तावान कायम किया है? यदि हां तो क्यों ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) अध्यक्ष महोदय, इसकी मुकम्मिल सूचना नहीं प्राप्त हुई है, इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाये ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

## महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा

५१८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा के इ० एन० टी० विभाग में कब से विशेषज्ञ की अनुपस्थिति है व क्यों ?

(२) उक्त अस्पताल में सीनियर सर्जन का स्थान कब से रिक्त है व क्यों ?

(३) उक्त अस्पताल में चिल्ड्रन एवम् बोन विशेषज्ञ का स्थान कब से रिक्त है व क्यों ?

(४) उक्त अस्पताल में लेडी डाक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

(५) उक्त अस्पताल में फेमिली प्लानिंग कार कब से है और उसका अब तक कितने केम्प में व कहां २ उपयोग हुआ है ?

**उप-मन्त्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वेद) : (१) महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में ई० एन० टी० विशेषज्ञ का कोई स्वीकृत पद नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(२) जी नहीं । उक्त अस्पताल में सीनियर सर्जन के पद पर डा० के. डी. शास्त्री

# Page No 8



(श्री चन्दनमल वैद)
कार्य कर रहे थे। वे आजकल विदेश गये हुए हैं। डा. एस. एस. रावत, एम. एस. जूनियर स्पेशलिस्ट कोटा में कार्य कर रहे हैं

(३) जी नहीं। कोई स्थान रिक्त नहीं है डा. एन. बी. पुरोहित डी. सी. एच. दिनांक ४–५–६३ से कार्य कर रहे हैं जो बच्चों के ट्रेंड हैं तथा डॉ. पी. एल. शर्मा, सी. ए. एस. दिनांक ६–१०–६२ से कार्य कर रहे हैं जो हड्डियों के ट्रेंड हैं।

(४) कोटा में महाराव भीमसिंह अस्पताल में कोई लेडी डॉक्टर का स्थान स्वीकृत नहीं है।

(५) फेमिली प्लानिंग कार मई १९६३ के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुई है। अभी तक किसी कैम्प में यह कार उपयोग में नहीं आई।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आपने जो यह बताया कि डॉक्टर एस. एम. रावत आज कल काम कर रहे हैं तो वे कितने समय से काम कर रहे हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जब से डाक्टर शास्त्री विदेश गये हैं तब से।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : डाक्टर शास्त्री जो वहां से विदेश गये हैं तो क्या उनका ट्रान्सफर वहां से नहीं माना गया है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : उनकी जगह जूनियर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : उनकी जगह पर जूनियर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं तो क्या आपका विभाग आवश्यक नहीं समझता है कि डाक्टर शास्त्री के विदेश चले जाने पर कोई दूसरा सीनियर स्पेशलिस्ट उनकी जगह पर आना चाहिए ?

**श्री चंदनमल वैद** : आखिर जूनियर स्पेशलिस्ट ही तो सीनियर स्पेशलिस्ट बनते हैं और जब कभी सीनियर स्पेशलिस्ट नहीं होता है तो उनकी जगह पर वही ऑफिशियेटिंग करते हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब तक सीनियर स्पेशलिस्ट नहीं आयेगा तब तक जूनियर स्पेशलिस्ट ही रहेगा ?

**श्री चंदनमल वैद** : एक डॉक्टर चला जाये तो यह जरूरी नहीं है कि उसी दिन उसी पद का दूसरा डॉक्टर भेज दिया जाये। यह सम्भव नहीं हो सकता। डॉक्टर शास्त्री विदेश चले गये हैं और उनके स्थान पर जूनियर स्पेशलिस्ट काम कर रहा है। जब वे आ जायेंगे तो उनका पोस्टिंग हो जायेगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : उनको विदेश गये कितने माह हुए हैं ? एक–दो महीना ही हुआ है क्या ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय एक सीनियर स्पेशलिस्ट का एक बड़े अस्पताल में रहना, यह आवश्यक नहीं समझते हैं क्या?

**श्री चंदनमल वैद** : सीनियर स्पेशलिस्ट है वहां।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर के. डी. शास्त्री के चले जाने के बाद ५–६ महीने हो गये हैं और डाक्टर रावत से काम चलाया जा रहा है जो कि बहुत जूनियर है।

**श्री अध्यक्ष** : सीनियर स्पेशलिस्ट बाहर जायेगा तो कोई न कोई ऑफिशियेटिंग तो

# Page No 9



(श्री अध्यक्ष)
करेगा और इस प्रकार की तो व्यवस्था रहती है छुट्टी में या और दूसरी तरह।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जूनियर है वह सीनियर हो गया।

**श्री चंदनमल वैद** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर १५ CAS श्रेणी के डाक्टरों की कुल जगह है उसमें से १४ वहां पर ऑलरेडी हैं। जूनियर स्पेशलिस्ट की दो जगह है और दोनों मौजूद हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट में एक है। एक विदेश गये हैं तो उनकी जगह दूसरा ऑफिशियेटिंग कर रहा है। अब मेरी समझ मे नहीं आता कि जहां १९ डॉक्टरों की पोस्ट हो वहां १८ डॉक्टर हों तो क्या तकलीफ होगी। जब कि माननीय सदस्य को खुद को मालूम है कि राजस्थान में डाक्टरों की बहुत कमी है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, सीनियर स्पेशलिस्ट की जगह है तो वह सीनियर स्पेशलिस्ट से ही फिल–अप की जानी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, उसी प्रश्न को दोहराने से कोई मतलब नहीं, इसका उत्तर मिल चुका है। व्यवस्था नहीं की जा सकी क्योंकि वहीं से ऑफीशियेटिंग का चांस दिया गया है।

(विराम)

श्री केदार नाथ।

## हरिजनों व पुरुषार्थियों के लिये जमीन

**५१९. श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान केनाल एरिया में हरिजनों व पुरूषार्थियों के लिए जमीन सुरक्षित करने की कोई योजना है ?

यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : राजस्थान केनाल एरिया में हरिजनों व पुरुषार्थियों के लिए जमीन सुरक्षित करने की अभी कोई पृथक योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : यह योजना कब तक बन जायेगी ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने निवेदन किया कि सारे राजस्थान केनाल की कोलोनाइजेशन पॉलिसी जब तक गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से फाइनेलाइज़ नहीं हो जाये तब तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

**श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : उस पॉलिसी में जो कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से फाइनेलाइज़ हो रही हें आपकी ओर से सजेशन गये हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उनको मैं बताना आवश्यक नहीं समझता हूं।

**श्री श्योपतसिंह** : कब तक बतायेंगे ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ज्यों ही फाइनेलाइज़ हो जायेगा तब।

**श्री श्योपतसिंह** : आप फाइनल नहीं करते, तब क्या यह सही है कि ७ लाख बीघा जमीन फालतू पड़ी रही और काम में नहीं आई, क्या आप इसको टेम्पोरेरि अलॉट नहीं कर दें जब तक कि कोई पॉलिसी फाइनल

# Page No 10



(श्री श्योपतसिंह)
नहीं हो जाये तब तक ? क्या सरकार खाद्य संकट के विद्यमान रहने से जरूरी नहीं समझती कि टेम्पोरेरी तौर पर भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाये ?

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हो जाये उसके पहले क्या आपने हरिजनों को बसाया है और बसाया है तो किस आधार पर ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : राजस्थान कैनाल के बारे में पूछ रहे है। वहां के रिज़र्वेशन के बारे में कह रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रायोरिटी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से डिसाइड हो जाये तो हरिजनों के लिए, पुरूषार्थियों के लिए जो अलवर और भरतपुर में रहते हैं उनके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि १॥ लाख दरख्वास्तें कोलोनाइजेशन विभाग में पहुंच चुकी हैं और एक तहसीलदार कहता है कि हरिजनों को प्रायोरिटी मिलेगी और यह भी कहता है कि इस सम्बन्ध में निर्णय नही लिया गया ?

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : यह पूरे राजस्थान का सवाल है।

## नई कोलोनी के प्लॉट्स की बिक्री

५२०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या बीकानेर नगर विकास निगम ने मेडीकल कॉलिज, बीकानेर और नागनियाजी के मन्दिर के बीच में एक नई कोलोनी स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कितने प्लॉट काटे गये हैं ?

(२) उक्त प्लॉट्स किन शर्तों के आधार पर दिये जा रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह सही है कि उक्त प्लॉट्स में से केवल दो प्लॉट्स ही बिक पाए हैं, और प्लॉट्स का निश्चित मूल्य अत्यधिक होने से नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिल रहा है।

(४) क्या इस प्रकार की शर्तों के आधार पर जयपुर और उदयपुर में भी कोई कोलोनी बसाई गई है ?

**उप-मन्त्री, स्वायत शासन** (दौलतराम सारण) : (१) जी हां, ४८७ प्लॉट्स काटे गये है।

(२) प्लॉट्स लीज़ पर देना निश्चित हुआ है, आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, अभी तक केवल दो ही प्लॉट्स बिक पाये हैं। प्लॉटों की कीमत अधिक होना न बिकने का कारण नहीं है।

(४) जी हां, नई कोलोनी जो बनाई गई है वह जनता कोलोनी, जयपुर व हाथीपोल स्कीम, उदयपुर है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जिन नियमों के आधार पर यह जमीन बेची जा रही है क्या यह सही है कि ये जमीनें जो कि बेची जा रही हैं वह बेचने की कीमत नजराने की तरह पर ली जा रही है और यह जमीन २० साल की लीज की शर्तो पर दी जा रही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन किया कि लीज़ बेसिस पर दी जाती है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या यह सही है कि २० वर्ष के बाद में जो लीज़ मनी प्रति वर्ष लेना तय करती है उसकी रकम २० पर्सेन्ट से २५ पर्सेन्ट बढ़ा दी जायेगी ?

**श्री दौलतराम सारण** : २५ पर्सेन्ट से अधिक नहीं बढ़ सकती है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : ये जो दो प्लॉट्स बिके हैं उनकी क्या कीमत आई है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कीमत की सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : क्या सरकार यह उचित समझती है कि एक तो प्लॉट्स नीलाम के जरिये भी बेचे और बेचने के अधिकार को पूर्ण रूप से छोड़ दे और मिल्कियत के अधिकार को पूर्ण रूप से नहीं छोड़े और लीज़ मनी यानी किराये की मनी प्रति-वर्ष वसूल करती रहे और नजराना भी ले ले ? क्या इन दोनों को ही उचित समझती है ?

**श्री दौलतराम सारण** : उचित समझ कर ही फैसला किया है।

**श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर) : क्या सरकार यह नहीं समझती कि २५ वर्ष के लिए जमीन मकान बनाने के लिए लीज़ पर देना हाउस बिल्डिंग में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेगा।

**श्री दौलतराम सारण** : सरकार की ऐसी मन्शा नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : फ्री ऑक्शन होता है और ज्यादा से ज्यादा कीमत देते हैं। जब सरकार मिल्कियत नीलाम करती है तो नीलाम की कीमत देने पर सम्पूर्ण मिल्कियत के अधिकार छोड़ने में सरकार को क्या एतराज है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह सरकार की मन्शा का प्रश्न है और सरकार की मन्शा है कि सरकार लीज़ ऑर्डर बेसिस पर अपनी जमीन देगी।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : आपकी इस प्रकार की व्यवस्था से लोग नहीं ले पा रहे हैं। आखिर लोगों को बसाने के लिए प्लॉट्स काटे गये हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि लोग लेते नहीं हैं और वे प्लॉट्स खाली पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार की ऐसी नीति है कि फ्री होल्ड नहीं दी जाय, बल्कि सब लेण्ड लीज़ पर दी जाय।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : यह जो लीज़ मनी प्रतिवर्ष लेने का है वह एक प्लॉट पर कितना लेने का सरकार ने निर्णय किया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : अलग अलग भूमि पर अलग अलग है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : यह जो ४८ प्लॉट्स एक समान काट दिये गये हैं तो फिर अलग अलग भूमि का प्रश्न नहीं है। एक प्लॉट पर लीज़ मनी कितने लेने का निर्णय किया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह वहां क स्थिति आदि बहुत सी बातों पर न'र करता है।

# Page No 12



**श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर) : क्या अलग अलग प्लॉट्स के लिये अलग अलग लीज़ मनी होगी ?

**श्री दौलतराम सारण** : जी नहीं, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग है। कुछ रिज़र्व्ड प्राइसेज़ पर होते हैं, कुछ फिक्स्ड प्राइसेज़ पर होते हैं। उसके हिसाब से लिया जाता है।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : इसमें लीज़ मनी फी प्लॉट क्या रखी है ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

**श्री मानिकचंद सुराणा** : अध्यक्ष महोदय, ४५० प्लाट्स काटे गये हैं उनमें से दो ही प्लॉट बिक पाये हैं और इस योजना को बने हुये दो साल हो गये हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस योजना पर पुनः विचार करेगी और इस योजना में जो कुछ कमियां हैं उसके कारण से लोग वहां पर प्लॉट्स नहीं ले पा रहे हैं और प्लॉट्स नहीं बिक रहे हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : ऐसी कोई बात नहीं है। नई स्कीम की वजह से लोगों के मन में कुछ शंका है, जैसी कि आप भी शंका प्रकट कर रहे हैं। लीज़ होल्ड सिस्टम सरकार ने वहां पर इसलिए लागू किया है कि सरकार को एक निश्चित नियमित आमदनी हो जायगी। बाकी राइट्स सब उसी प्रकार से रहेंगे। मकान उसी का रहेगा, जमीन उसी की रहेगी। केवल यह एक मानसिक भय है और इस मानसिक भय का निराकरण आप समझाकर दूर कर दें तो लोग लेने लग जायेंगे।

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : मानसिक भय नहीं है, बल्कि सरकार की नीति गलत है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या यह सही है कि जो किराया सरकार लेना चाहती है वह क्या है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जिस जगह की स्कीम बनती है उस जगह पर जमीन की रेट बताई जाती है और वहां पर सब बातों की जानकारी के लिए लोगों को पब्लिकली प्रकाशित किया जाता है, इसलिए हरएक प्लॉट अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इस स्कीम में कितनी रकम आई है यह जो नागनियाजी की स्कीम है इससे कितनी रकम आई है ?

**श्री दौलतराम सारण** : इस स्कीम की कीमत नहीं आती है क्योंकि पूरी स्कीम नहीं बेची जाती है, बल्कि प्लॉट्स बेचे जाते हैं। इसके अलावा आपने यह प्रश्न नहीं पूछा था; आपने जो जो प्रश्न पूछे थे वे मैंने बता दिये हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : लीज़ मनी प्रति मन्थ या प्रति साल क्या होती है एक प्लॉट की, सरकार यह तो बतादे कम से कम ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मनफूलसिंह।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : This question should be replied.

**श्री अध्यक्ष** : No, it is off the mark. इस बारे में उनके पास फीगर्स

( श्री अध्यक्ष )
नहीं हैं। जनरल पॉलिसी थी कि वह लीज़ होल्डिग्ज़ हैं, फ्री होल्डिग्ज़ नहीं हैं; वह बता दिया गया है।

**प्रश्न संख्या ४२१**

श्री भैंरोंसिह।
( अनुपस्थित )

**मछलियों का ठेका**

**४२२. श्री मनफूलसिंह ( सूरतगढ़ ) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या घग्घर एरिया में आने वाले सब तालाबों में गत वर्ष मछलियों का ठेका सरकार ने दिया था ?

(२) यह ठेका कितने रूपयों में तथा किसको दिया गया है ? यह आम बोली बुलवा कर दिया गया था या किसी विशेष व्यक्ति को ?

(३) घग्घर नदी के एरिया में मछलियों के कितने तालाब हैं और इन तालाबों का सरकार ने ठेका दिया उससे पहले ग्राम पंचायतों और नगर-पालिकाओं ने कितने २ में ठेका दिया था ?

(४) सूरतगढ़ तालाब का नगरपालिका ने कितने रूपयों में ठेका दिया है ?

**कृषि मंत्री ( श्री नाथूराम मिर्धा ) :** (१) जी नहीं।

(२) निम्नलिखित ठेके आम नीलामी में सर्वोच्चतम बोली वाले को राजस्थान फिशेरीज़ रूल्स के अनुसार दिये गये थे:—

| क्र० सं० | नाम ठेकेदार | जलाशय का नाम | रकम |
|---|---|---|---|
| १. | श्री अनवरहुसेन | नदी घग्घर मयनाली साईफ | ४७०) रू० |
| २. | श्री आर.के. अनेजा व सब्बलसिंह | टी० बी० बंध | १६०) रू० |
| ३. | ,, | हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच के खड्ड मय हनुमानगढ़ तालाब नाली को छोड़कर | २७०) रू० |
| ४. | ,, | सूरतगढ़ तालाब | २०४०) रू० |
| ५. | श्री हबीबुल्ला खां | तलवाड़ा झील | २०३०) रू० |

(३) घग्घर नदी के एरिया में मुख्यतः जलाशय तिलवाड़ा झील, टी० बी० बान्ध हनुमानगढ़ का तालाब, सूरतगढ़ का तालाब है जिनका कि ठेका विभाग द्वारा दिया गया था। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा ठेके दिये थे उनकी जांच विकास व स्वायत्त शासन विभाग से की जा रही है। उन्होंने यह कार्यवाही नियमित तरीके से की।

# Page No 14



(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) सूरतगढ़ तालाब का गत वर्ष ठेका विभाग द्वारा २०४०) रू० में दिया गया था।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह-नगर) : प्रश्न यह है कि ठेका दिये जाने के पहले क्या बाकायदा टेन्डर नोटिस निकाले गये ?

**श्री नाथूलाल मिर्धा** : सब कानूनी कार्यवाही पूरी की गई।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : पंचायत समितियों के अन्दर जो तालाब हैं, क्या उनका मछलियों का ठेका देने का अधिकार नहीं है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : राजस्थान में तालाबों में मछलियों को पकड़ने का ठेका न पंचायत समितियां दे सकती हैं और न कोई और स्वायत्त शासन बोडी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : ऐसे कौन-कौन से तालाब हैं जिनके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री बिरदाराम।

### सागे नदी पर बांध

**५२३. श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार भीनमाल से ८ मील दूर बहने वाली सागे नदी पर कोई बांध बांधने का इरादा रखती है ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस नदी में करीब करीब १२ माह ही पानी रहता है और इससे हजारों बीघा भूमि के सिंचित होने की संभावनाएं हैं।

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, भीनमाल में करीब २० मील की दूरी पर शिवगढ़ गांव के पास बांध बनाने की योजना है। इसकी सर्वे जारी है।

(२) जी हां।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : कब सर्वे पूरा हो जायगा, इसकी जानकारी है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वे फिर करवाया गया था इनके सजेशन पर ही। पहले वह दूसरी जगह था उसको ड्रॉप करके माननीय सदस्य ने कहा तो दूसरी जगह का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में समय लगता है।

**श्री रामकिशन** (बैर) : कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा।

**श्री अध्यक्ष** : Order please! Shri Birda Ram.

**श्री बिरदाराम** (फुलवारिया) : यह कब तक बनेगा ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : सर्वे जारी है और इसके बाद बजट के अनुसार स्कीम में लिया जा सकेगा।

### गांवाई जंगल

**५२४. श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-मु०) : क्या बन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान के जंगलों से लकड़ियां राजस्थान के बाहर ले जाने की इजाजत है

# Page No 15



(श्री विजयपाल कटारा)

(२) क्या गांवाई जंगलों की रक्षा पंचायतें करती हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पास देने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्री वन, (श्री निरंजननाथ आचार्य)** : (१) जी हां।

(२) अभी तक गांवाई जंगलों की स्थापना नहीं की गई है। अतएव पास देने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री विजयपाल कटारा** : क्या पास देने की कोई व्यवस्था की गई ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अभी तक गांवाई जंगल कायम नहीं हुए, पास का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री विजयपाल कटारा** : ऐसे कई जंगल हैं जिनको जंगलात वाले नहीं देख रहे हैं और पंचायत वाले भी नहीं देख रहे हैं और बीच में ही लटक रहे हैं ; ऐसा क्यों है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : वे गांवाही नहीं हैं, गांवाई जंगल अभी बने ही नहीं।

**श्री विजयपाल कटारा** : इन जंगलों से लकड़ियां किस आधार पर बाहर भेजी जाती हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आधार है, नियम है, सरकार के पास काफी आधार है।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : गांवाई जंगल कब तक बन जायेंगे ? क्या इनके नियम बन गये ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : नियम बनाये जा रहे हैं।

**श्री विजयपाल कटारा** : क्या सरकार को मालूम है कि स्थानीय लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही हैं और बाहर भेजी जा रही हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह नहीं मालूम है।

**श्री विजयपाल कटारा** : कब तक मालूम हो जायगा ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आप जब जानकारी देंगे, विशद विवरण देंगे तो सूचना प्राप्त करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : गांवाई जंगल कब हो जायेंगे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अंदाज नहीं लगा सकता, नियम बन रहे हैं।

**श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा-सु०) : नियम कब तक बनेंगे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इसमें फाइ-नैन्शियल इम्प्लीकेशन भी बाधक हैं, फिर भी प्रयत्न किया जा रहा है।

**श्री विजयपाल कटारा** : राजस्थान के बोर्डर पर जंगल ऐसे ज्यादा हैं वहां से लकड़ी बाहर जा रही है। जंगलात महकमे की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सी लकड़ी बाहर जाती है। इसलिये वनमंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं हो तो दिला देता हूं। इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही करनी चाहिए।

## छात्रावास

**५२५. श्री गणेशलाल पलिया** (भदेसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गणेशलाल पलिया)

(१) क्या सरकार तहसील डूंगला के अनुसूचित जाति व जन जाति के लिये कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(२) क्या इस विषय में कोई प्रार्थना पत्र पंचायत समिति, डूंगला से सरकार को प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

**समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई):** (१) इस वर्ष नये छात्रावास खोलने के लिये विभागीय बजट में प्रावधान नहीं है, इस कारण से कहीं भी राजकीय स्तर पर नये छात्रावास नहीं खोले गये। अतः तहसील डूंगला में अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिये छात्रावास खोलना संभव नहीं है।

(२) पंचायत समिति डूंगला का प्रार्थनापत्र दिनांक १ अप्रेल, १९६३ को समाज कल्याण विभाग में प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर प्रधान, पंचायत समिति, डूंगला को भेज दिया गया था कि प्रावधान न होने के कारण नये छात्रावास खोलने में असमर्थता है।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : नये छात्रावास नहीं खोले जा सकते, लेकिन जहां पर लड़कों की संख्या बढ़ गई है वहां पहले से जो छात्रावास चल रहे हैं उनमें छात्रों की संख्या बढ़ाने में क्या हर्ज है ? यानी ज्यादा छात्र रखने में क्या हर्ज है ?

**श्री भीखाभाई** : ऐसा किया गया है।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : जहां छात्रावास नहीं है और मिडिल स्कूल है वहां अनुसूचित जाति के लड़कों को छात्रवृत्ति देने के लिये क्या व्यवस्था है।

**श्री भीखाभाई** : जो लड़के छात्रावास में हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है और जो बाहर हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्तियों के लिये काफी व्यवस्था है और सुखद ढंग से विशद की जा रही है।

**श्री हीराभाई** : किस आधार से दी जाती है ? यह तो मालूम हुआ कि छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, लेकिन किसके द्वारा दी जाती हैं ? शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है या आपके विभाग के द्वारा दी जाती है या पंचायत समितियों के द्वारा दी जाती है ?

**श्री भीखाभाई** : पूरा का पूरा रुपया समाज कल्याण विभाग देता है। आप और हम अलग अलग नहीं हैं; भील और आदिवासी शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग से जो रुपया दिया जाता है वह शिक्षा विभाग की मार्फत बांटा जाता है। अब हैडमास्टर्स और प्रिन्सिपल सबको अधिकार दिया है कि वे रिन्यूवल करें और छात्रवृत्तियां प्रदान करें।

**श्री हीराभाई** : माननीय मंत्रीजी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इसलिये उनको भील नहीं माना जा सकता। मेरी अर्ज यह थी कि मेरे एरिया के उदाहरण से बताऊंगा। कुशलगढ़ में जहां छात्रावास नहीं हैं वहां पहले छात्रवृत्ति पंचायत समिति द्वारा दी जाती थी, लेकिन दो पंचायत समितियों के बीच में एक हाई स्कूल है वहां क्या हुआ कि बाइबल ब्लोक या वहां वालों ने तो छात्रवृत्तियां दी थीं १५) रु. माहवार और दूसरे लोग हैं उनके यहां छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। कभी दो–चार लड़कों का नंबर आता है तो उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

**श्री भीखाभाई** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने शिकायत की है उसके बारे में आज ही जानकारी करने की कोशिश करेंगे।

**श्री हीराभाई** : लड़कों की संख्या बढ़ती है, उस आधार पर छात्रावास खोलना जरूरी नहीं है क्या ?

**श्री भीखाभाई** :मैंने अर्ज किया कि छात्रावास हर साल खोले जाते हैं, पर वित्तीय प्रावधान के अनुसार खोले जाते हैं। हर वर्ष जहां ज्यादा आवश्यकता होती है वहां खोलते हैं व खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन हैं उनका ही उपयोग करके खोल सकते हैं। जितना छात्रावास के लिये प्रावधान है उतने ही खोल सकते हैं।

**श्री गणेशलाल पलिया** : आपने बताया कि छात्रावास नहीं खोले जाते हैं और दूसरी तरफ आपने खोले हैं !

**श्री भीखाभाई** : राजकीय स्तर पर कहीं नहीं खोला गया है। हमारी फाइनेन्शियल स्थिति का ख्याल रख कर ही खोलना पड़ता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हनुमानसिंह।

**श्री गणेशलाल पलिया** : क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में छात्रावास खोले गये हैं ?

**श्री भीखाभाई** : गत वर्ष जो डिसीज़न लिया था उस जगह खोलने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं।

**प्रश्न संख्या ५२६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित)

## भूमि का आवंटन

५२७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या मंत्री, राजस्थान केनाल यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अनूपगढ़ तहसील के पंचायत सरकल नाहर वाली, गोमावाली तथा रोजड़ी तथा ६० जी० बी० का एक भाग क्या राजस्थान केनाल क्षेत्र में आगया है ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र की भूमि गंगनहर क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा अलॉट की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में तहसीलदार अनूपगढ़ ने बहुत सी पुराने कब्जों की भूमि तोड़ दी है ? यदि हां, तो कितने किसानों की भूमि तोड़ी गई और क्यों ? सन् १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के वर्षवार आंकड़े दें ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के मुतल्लिक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। फ्लड के कारण जो सूचना चाही गयी थी वह प्राप्त नहीं हो सकी।

## विकास समारोह पर व्यय

५२८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समितियां बनने के बाद से ३०–६–६३ तक पाली जिले में पंचायत समितिवार विकास समारोह में कितना कितना खर्चा हुआ ?

**उप-मंत्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा)** : सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

**श्री तेजाराम गहलोत** : क्या मन्त्रीजी यह बताएंगे कि जो सूची दी गई है उसमें कम से कम ६३१ रूपए और अधिक से अधिक ७,९६८ रूपये हैं। इस तरह से विकास समारोहों में इतना अधिक अन्तर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में क्यों है ? क्या सरकार ने इन विकास समारोहों के लिए कोई नियम बनाए हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, २-१०-५९ से ३०-६-६३ तक के आंकड़े सूची में बताए हैं। किसी पंचायत समिति ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली है और विकास समारोह ढंग से नहीं मनाया है तो वहां कम खर्चा हुआ है और जिन्होंने अधिक उत्साह से विकास समारोह मनाया है उनके यहां अधिक खर्च हुआ है। लेकिन यह खर्चा इतने अर्से में हुआ है।

**श्री तेजाराम गहलोत** : विकास समारोहों पर किस मद से खर्च कर सकते हैं ? क्या इसके लिए नियम बने हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : प्रदर्शनियों में खर्चा किया है, निबन्ध प्रतियोगिता की है, कविताएं, चल-चित्र, खेल-कूद, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन इत्यादि के रूप में ये समारोह मनाये जाते हैं।

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : कहीं पर उत्साह ज्यादा हो तो क्या लाखों रूपये विकास समारोह पर खर्च किए जा सकते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : लाखों रूपये खर्च नहीं किए गए हैं।

### प्रश्न संख्या ५२९

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

( अनुपस्थित )

### केथवाड़ा ग्रामवासियों की मांग

**५३०. श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील कामा ग्रामवासी केथवाड़ा ने यह मांग की है कि केथवाड़ा बांध से एक नई मोरी राफ चेनलको निकाल ली जावे जिससे ग्राम शाहडूंगर, रायबका, दानिशपुर, घघवाड़ी, कुलाना और केथवाड़ा का काफी रकबा सिंचित हो सके ?

(२) अगर की है, तो यह मोरी कब तक लगवा दी जावेगी ?

**उप-मंत्री सिंचाई,** ( श्री दिनेशराय डांगी ) : (१) ग्राम शाहडूंगर, रायबका, घघवाड़ी, दानिशपुर, कुलाना और केथवाड़ा ग्राम की सिंचाई मौजूदा पीपलवाली नहर एवं केथवाड़ा मोरी से हो रही है। नई मोरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री मजलिस खां** : क्या यह सही है कि इस बांध में ५ मोरे हैं केथवाड़ा बांध में ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : मोरियों की संख्या तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है वह इस मोरी और पीपलवाली नहर के द्वारा काम में लिया जाता है।

**श्री मजलिस खां** : क्या यह सही है कि इस बांध का वाटरलेबल ११ फुट है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : वाटर लेबल हमेशा बराबर नहीं रहता; कभी कम, कभी ज्यादा रहता है।

**श्री मजलिस खां** : क्या यह सही है कि इसमें से पांच मोरियां निकली हैं ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : यह तो पता नहीं, ५ हैं या ७ हैं; लेकिन एक नहर और केथवाड़ा मोरी से इन गांवों की सिंचाई होती है।

**श्री मजलिस खां** : क्या यह सही है कि हर साल पानी सीधा गांव में जाता है और गावों के चारों तरफ पानी भर जाता है और हर साल २०० किसानों के घर गिर जाते हैं और उनका चारा तथा गल्ला व दूसरा सामान वह जाता है और हर साल किसानों को २०० नए घर बनाने पड़ते हैं ? यदि इस मोरी का निर्माण कर दिया जाता है तो किसान मुसीबत से बच सकते हैं और ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ? इस पर भी आप कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है !

**श्री दिनेशराय डांगी** : इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्य देने की कोशिश करेंगे तो इन्क्वायरी की जाएगी। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने तो सूचना दे दी है।

**श्री दिनेशराय डांगी** : लिख कर दे दें।

**श्री अध्यक्ष** : लिखने की आवश्यकता नहीं है। सदन में कहना ही काफी है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : श्री अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं पूछ लूं। मुझे कह कर गए हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सम्पतिलाल बोहरा

## जौहरी बाजार का विकास

५३१. श्री **सम्पतिलाल बोहरा** (मावली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जौहरी बाजार, जयपुर का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा ?

(२) इस कार्य पर अब तक कुल कितने रुपये खर्च हुए हैं और कितने रुपये और खर्च होंगे ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलत राम सारण) : (१) माह दिसम्बर, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में शुरू किया गया था; कार्य हो चुका है।

(२) ६२, ४४८) रुपया व्यय हो चुका है। अब कोई कार्य बाकी नहीं है।

**श्री सम्पतिलाल बोहरा** : ये जो वृक्ष लग रहे हैं किस योजना के अन्तर्गत लग रहे हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : वृक्ष नगर परिषद् लगाती रहती है सड़कों के आस पास।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूराम।

## आयुर्वेदिक औषधालय

**५३२. श्री नाथूराम** ( बागीडोरा ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बागीडोरा के छींझ ग्राम में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर होने से आयुर्वेद औषधालय को इसी पंचायत समिति में आदिवासी क्षेत्र सल्लोपाट में शिफ्ट करने का पंचायत समिति ने निर्णय लेकर विभाग को स्वीकृति हेतु लिखा था ? अगर हां, तो उक्त ग्राम में शिफ्ट न करते हुए अन्य पंचायत समिति तलवाड़ा के मुखानिया ग्राम में क्यों शिफ्ट किया गया ?

( २ ) संचालक महोदय द्वारा पंचायत समिति के निर्णय को न मानते हुए विपरीत कार्य किये जाने का क्या कारण है ?

**उप-मंत्री, आयुर्वेद** ( श्री दौलतराम सारण ) : ( १ ) जी हां। किन्तु छींझ से सल्लोपाट में औषधालय शिफ्ट करने हेतु निरीक्षक से भवन–व्यवस्था, जन–संख्या आदि की जानकारी चाही जा रही है। प्राप्त होने पर शिफ्ट किया जा सकेगा। अतः मुखानिया में स्थानान्तर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

( २ ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री नाथूराम** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है; मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से के उत्तर में कहा है 'प्रश्न नहीं उठता'। छींझ के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की योजना थी, उसको दूसरी पंचायत समिति में शिफ्ट कर दिया गया। जब कि पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा था तो डाइरेक्टर साहब ने उसके विपरीत कैसे किया ?

**श्री दौलतराम सारण** : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार मालूम करके कार्यवाही करेंगे।

**श्री नाथूराम** : मालूम क्या करना है ? पंचायत समिति ने निर्णय लेकर गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन डाइरेक्टर साहब ने न मानते हुए दूसरी पंचायत समिति में शिफ्ट किया है, नियम विरुद्ध। सल्लोपाट में एक भी औषधालय नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण** : डाइरेक्टर साहब का आदेश नहीं मानेंगे, माननीय सदस्य का सुझाव चलेगा। आपके सुझाव के अनुसार आदेश प्रसारित कर देंगे।

**श्री नाथूराम** : यह जवाब दे देने का मतलब है, आयुर्वेदिक विभाग में अव्यवस्था है। जहां नाम मात्र को दवाखाने हैं और जिस एरिया की जन–संख्या ४० हजार की है और औषधालय नहीं है और जहां की पंचायत समिति ने निर्णय लिया है – उसके विरुद्ध करने की क्या आवश्यकता थी ?

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

## खस के टाटों पर व्यय

**५३३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** ( भीम ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) सेक्रेटेरियट में खस के टाटे लगाये जाते थे उनको बनाने पर कुल कितना खर्च आया था ?

( २ ) अब उन टाटों का क्या किया गया है ? क्या वे बेच दिये गये हैं या नीलाम कर दिये गये हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

( ३ ) यदि हां, तो कितने रूपयों में ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ( १ ) सेक्रेटेरियट में खस के टाटे लगाये जाते थे, उनको बनवाने पर ६ वर्षों में कुल ५५, २११. ४९ नये पैसे खर्च आया था ।

( २ ) अब उन टाटों को नीलाम कर दिया गया है ।

( ३ ) ४५५ ) रूपयों में ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नाथूलाल करौल ।

## मुआवजे का भुगतान

५३४. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) क्या बन्ध मोतीसागर, तहसील देवली, जिला टोंक के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि में ७६ कूए डूब में आए हैं ? यदि हां, तो क्या इन कूओं का मुआवजा कायम कर दिया गया है ?

( २ ) यदि कायम कर दिया गया है तो वह कितना है और क्या मुआवजा कूओं के मालिकों को दे दिया गया है ?

( ३ ) यदि अब तक कायम नहीं किया गया है तो क्यों ?

( ४ ) राज्य सरकार कब तक इन कूओं का मुआवजा अदा कर देगी ।

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी ) : ( १ ) जी नहीं, केवल ६६ कूए डूब में आये थे जिनमें से ५६ कूओं का मुआवजा सन् १९५६ में ही कायम कर दिया गया था ।

( २ ) ५६ कूओं का कुल १६,०६३) रु: मुआवजा कायम किया गया था जिसमें से ५३ कूओं की रकम १५,४०१ ) रु. १९५६ में ही वितरित कर दी गई थी, ३ कूओं के मालिकों ने रकम अभी तक नही ली है ।

( ३ ) इसका प्रश्न नहीं उठता ।

( ४ ) इस विषय में प्राप्त हुए विरोध-पत्रों की जांच जिलाधीश टोंक व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग की एक कमेटी द्वारा की जा रही है । आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायगा ।

**श्री जयनारायण सालोदिया**(निवाई) : इसका अवार्ड कौनसी तारीख को हुआ है ?

**श्री राधाकृष्ण गोयल** ( टोंक ) : इसका अवार्ड कौनसी तारीख को हुआ है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : जब पैसा वितरित कर दिया गया है तो अवार्ड की क्या बात रहती है ?

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : क्या लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर ने अवार्ड नहीं दिया ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : इससे सम्बन्धित नहीं है इस तरह का प्रश्न ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** : इससे सम्बन्धित है ।

**श्री नाथूलाल करौल** : जो तीन काश्तकारों ने मुआवजा नहीं लिया है उसका क्या कारण है ?

# Page No 22



**श्री दिनेशराय डांगी** : वे पैसा लेना नहीं चाहते क्योंकि वे समझ रहे हैं कि शायद पैसा कम मिल रहा है, इसलिए झगड़ा पड़ा हुआ है। इसके लिये कमेटी बना दी गई है। वह फैसला कर देगी तो पैसा दे दिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उमरावसिंह।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : प्रश्न संख्या ५३५।

**बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का औषधालय**

**५३५. श्री उमरावसिंह ढाबरिया** ( बनेड़ा ) [ श्री मानिकचन्द सुराणा ( कोलायत ) द्वारा पूछा गया ] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) क्या आयुर्वेद औषधालयों को दूसरी श्रेणी का बनाने के लिये सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? अगर हां, तो वे नियम क्या हैं ?

( २ ) बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के औषधालय में दैनिक बीमारों की संख्या क्या है तथा दवाइयों का बजट कितना है ? सन् १९६१–६२ में कितनी दवाइयां भेजी गई ?

( ३ ) क्या यह सही है कि बनेड़ा औषधालय में एक नर्स की जगह खाली है ?

**उप-मंत्री, स्वायत्त शासन** ( श्री दौलतराम सारण ) : ( १ ) सर्व प्रथम जिला परिषद् की सिफारिश से १४,००० हजार की जन संख्या पर जहां ६ मील के क्षेत्र में अन्य कोई चिकित्सा सुविधा न हो और भवन की सुविधा हो, यातायात के साधन हों वहां तृतीय श्रेणी का औषधालय खोला जाता है। उच्च श्रेणी में परिवर्तन वांछित भवन की उपलब्धि, रोगी संख्या, ग्राम की जन–संख्या ३ तीन हजार से ऊपर की हो तो साधनानुसार व्यवस्था की जाती है।

( २ ) बनेड़ा औषधालय, जिला भीलवाड़ा में दैनिक रोगी संख्या औसतन १०२ है, दवाइयों का बजट ६००) रू. वार्षिक स्वीकृत है। सन् १९६१ में ७२४.३४ नये पैसे की दवाइयां भेजी गई।

( ३ ) जी नहीं। बनेड़ा औषधालय में नर्स का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : १४ हजार की औसत बताते हैं, १४ हजार की जन–संख्या पर आप औषधालय खोलते हैं तो इस प्रकार भीलवाड़ा जिले में १४ हजार की जन–संख्या है, वहां इस आधार पर खुल चुका है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग प्रश्न है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : बनेड़ा औषधालय की रोगी संख्या देखते हुए क्या सरकार महसूस करती है कि ६०० रुपये की दवा भेजते हैं वह बहुत कम है ?

**श्री दौलतराम सारण** : हमने आवश्यकतानुसार अधिक भी दी है ७२४.३४ नये पैसे की दवा भेजी है। और अधिक आवश्यकता होती है तो और भेजते हैं, रोगियों को बिना दवाइयों के नहीं रहने देते, चाहे यह असमर्थता प्रगट की हो कि 'सी' क्लास को 'बी' क्लास में परिवर्तित करने में असमर्थ हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : जहां डिस्पेन्सरी है वहां औषधालय रखने की क्या योजना है ?

प्रश्न संख्या ५३६

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोविन्दसहाय।

( अनुपस्थित )

श्री मुरलीधर व्यास।

**हाउसिंग व स्लम क्लियरेन्स के लिये राशि**

**५३७. श्रीमुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हाउसिंग व स्लम क्लियरेंस के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि रखी गई है और उसमें से इस वर्ष में कहां–कहां कितना रूपया खर्च किया गया है ?

**उप-मन्त्री: शक्ति**(श्रीपरसराम मदरेणा) हाउसिंग व स्लम क्लियरेन्स के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न राशि रखी गई है:—

| नाम स्कीम | धनराशि रू० (लाखों में) | धनराशि १९६३–६४ में खर्च हुई |
|---|---|---|
| १. अल्प बचत गृह निर्माण योजना | २१५.०० | १७,०००.०० (जून ६३ तक) जयपुर |
| २. सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम | ७०.०० | १६,८७४.७९ (मई ६३ तक) |
| ३. रूरल हाउसिंग स्कीम | १२५.०० | १,१४,३६३.०० (जून ६६ तक) |
| ४. स्लन क्लियरेन्स स्कीम स्टेट शेयर | १०.०० | कुछ नहीं |
| सेन्ट्रल शेयर | ३०.०० | |
| ५. मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग | इन स्कीम में प्रत्येक साल केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली धनराशि के अनुसार | २,७४,६००.०० (जौलाई ६३ तक) |
| ६. रेन्टल हाउसिंग स्कीम | धनराशि के अनुसार राशि निर्धारित की जाती है जो तीन सालों की निम्न प्रकार से है:— | १,०४,७७५ (जून ६३ तक) |

| साल | | मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम | रेन्टल हाउसिंग स्कीम |
|---|---|---|---|
| १९६१–६२ | | ४०.०० | ३०.०० |
| १९६२–६३ | | ३०.१५ | २६.६० |
| १९६३–६४ | | २३.४८ | ८.०० |
| | कुल | ९३.६३ | ६४.६० |

**श्री मुरलीधर व्यास** : तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब इतनी धन–राशि रखी गई थी तो १९६३–६४ में क्यों खर्च की गई, उससे पहले क्यों खर्च नहीं की गई ?

**श्री परसराम मदेरणा** : आपने यह पूछा, 'किस वर्ष में कहां कहां खर्च हुआ है''; तो आप खर्चा चाहते हैं, वैसे अलॉट हुआ था, वह एलोकेशन ज्यादा है। प्रश्न में आपने पूछा था कि जो अब तक एक्सपेन्डीचर हो गया है, इसलिए जो इन्फोमेंशन अवेलेबल थी वह बताई।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैंने इसलिए पूछा था कि जो धन–राशि रखी गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, उसके पहले साल में वह बहुत कम खर्च हुई, हुई नहीं एक तरह से और १९६३–६४ में इस प्रकार का खर्च बतलाया है, तो मेरा मतलब था कि जो पैसा रखा गया था वह स्लम क्लियरेन्स में खर्च क्यों नहीं होता ?

**श्री परसराम मदेरणा** : खर्च बराबर हो रहा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : किस परसेन्टेज में रखा गया है उसमें ?

**श्री अध्यक्ष** : स्लम क्लियरेन्स में ?

**मुख्य मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : स्लम क्लियरेन्स में नहीं के बराबर खर्च हो रहा है। स्लम क्लियरेन्स की स्कीम है वह आम तौर पर सफल नहीं हुई ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या दिक्कत आ रही है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसकी कन्डीशन्स है, जहां स्लम ड्विन्डलर्स को हटा कर दूसरी जगह कोलोनी बनाई जाय, उस जगह मकान अलॉट करने के बारे में रूल्स हैं, उनके अनुसार उन स्लम ड्विन्डलर्स को मकान के लिए रेंट पे करना पड़ेगा और कोस्ट के मुताबिक रेन्ट पे करने के बाद उस मकान पर उसका स्वामित्व नहीं हो जाता। इसलिये कोलोनी बनाई गई, वहां स्लम ड्विन्डलर्स ने जाने से इन्कार किया और जो बनी थी, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार के सामने पेचीदगियां पैदा हुई हैं। इसलिए इस पर अलग तौर से विचार किया जा रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि जो जहां रहते हैं उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह कोलोनी बनानी है, उसमें खिलाफत पैदा होती है।

# Page No 25



**श्री मुरलीधर व्यास** : तृतीय पंच-वर्षीय योजना के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से लिखा जाता है कि स्कीम्स के अन्दर रूपया खर्च नहीं कर सके, नाकामयाब रहे खर्च करने में, इससे ऐसा समझ रहे हैं कि असफल हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : तीसरे प्लान के अन्तर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह लिखा जाता है कि बहुत सी स्टेटें रूपया खर्च नहीं कर सकीं, वे रुपया खर्च करने में नाकामयाब रहीं, और आप दूसरे ही कारण बताते हैं। ये दोनों इस प्रकार की बातें हैं जो कैसे मानी जावें ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपने कहा कि बहुत सी जगह खर्चा नही कर पाये, उसके लिए मैंने कहा है।

**श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में सुझाव भेज दिया है कि यह स्कीम सक्सेस-फुल नहीं हो सकती।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सुझाव ही नहीं भेजे, बल्कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेन्सेज में भी इसके सम्बन्ध में बहस हुई है।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : क्या सरकार इसको मोडीफाइ करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिख कर मोडीफाइ करा सकती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मोडीफाइ हो सकता है। लेकिन स्लम क्लियरेंस के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एप्रूवल हो जाने के बाद में इम्प्लीमेन्ट करनी चाहिए। इसके कन्डीशन्स काफी रिजिड हैं।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : अलवर शहर में इस स्कीम के अनुसार कार्य हुआ। लेकिन जो मकान बने वे दूसरों को ही एलॉट किये गये। जिनके लिये यह स्कीम बनी थी उन लोगों को नहीं दिये गये।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं अलवर की बात अभी नहीं कह सकता क्योंकि एक एक जगह की जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां राजस्थान में निर्माण का कार्य किया गया और लोगों ने वहां पर रहने से इन्कार कर दिया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जिन लोगों के लिये यह स्कीम बनाई गई थी वे लोग वहां पर जाने के लिये तैयार नहीं हैं।

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या यह सही है कि उदयपुर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उनको समझाया और वे वहां जाने को राजी हो गये और आपने वे मकान बोहरे लोगों को एलॉट कर दिये ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपको पता होना चाहिये कि दो वर्ष तक एलॉटमेंट नहीं हुआ और वहां पर कोई नहीं गया। जब वहां पर कोई जाने को राजी नहीं हुआ तो मनी जो लगाया है वह वेस्ट नहीं होना चाहिए। स्लम क्लियरेन्स स्कीम का मतलब यह होता है कि जिस जगह मकान हैं वे डिमोलिश कर दिये जावें और वे लोग परिवार सहित जिस जगह लोगों के लिये बसने की योजना बनी वहां पर शिफ्ट हो जावें। इसलिये लोग वहां जाने के लिये तैयार नहीं हुए।

**श्री जोधसिंह चौहान** : क्या जिन शर्तों पर आपने बोहरों को मकान दिलाये हैं उन्हीं शर्तों पर दिलाने के लिये तैयार हैं? आज भी बहुत से मकान हैं और लोग उनको लेने के लिये तैयार हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपको पूरी जानकारी नहीं है। वहां पर कोई मकान खाली नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत): अगर कोई म्युनिसिपिल बोर्ड स्लम क्लियरेंस के लिये योजना बनाए तो क्या सरकार उसको भारत सरकार के पास भेजेगी?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मेरे ख्याल से आप जिस स्कीम के लिये कहते हैं उसके लिये मैं यह कहूंगा कि वह स्कीम तमाम म्युनिसिपेलिटीज के पास सक्युलेट की गई। म्युनिसिपेलिटीज ने कहा कि राजस्थान सरकार हमारा शेयर दे दे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या स्लम योजना बना कर भारत सरकार को दी गई या कॉन्फ्रेन्सेज में ही बातें रखी गई?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने कहा कि कॉन्क्रीट स्कीम ही नहीं भेजी, बल्कि मकानात बनाये गये। जयपुर में बने और दूसरी जगह भी बने।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## स्टोर और स्टॉक के हिसाब का अंकेक्षण

५३८. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग ने स्टोर और स्टॉक का हिसाब-किताब वर्ष १९५३-५४ से लेकर अब तक का ऑडिट को नहीं दिया है? यदि हां, तो क्या इस बात की जांच कराई गई है कि इतना पुराना हिसाब-किताब न दे सकने का कारण क्या है?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): जी नहीं। इस विभाग का स्टोर और स्टॉक का हिसाब-किताब सन् १९५७-५८ से सन् १९६१-६२ तक का महालेखापाल, राजस्थान, जयपुरको भेजा जा चुका है व उपरोक्त स्टोर एवं स्टॉक का हिसाब-किताब महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर की ऑडिट पार्टी के द्वारा ऑडिट किया जा चुका है। सन् १९५७-५८ के पहिले के स्टोर एवं स्टॉक का हिसाब किताब बनाने का एग्जेम्पशन (exemption) मिल चुका और यह महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर ने भी मान लिया है।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : यह हिसाब कब भेजा गया सन् ५७-५८ के बाद।

**श्री चंदनमल वैद** : हर साल की तारीखें अलग अलग बताऊं क्या?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य का इस इनफोर्मेशन से क्या मतलब है?

**श्री रामानंद अग्रवाल** : मेरी जानकारी में ऐसा है कि ऑडिट की तरफ से बराबर एतराज आते रहते हैं और बार बार लिखा हुआ आने के बाद भी वे इसका हिसाब नहीं देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री श्रवणलाल।

प्रश्न संख्या ५३९

(श्री अध्यक्ष)
श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह

## वाटर–लोगिंग की समस्या

५४०. श्री झुझारसिंह (चेचट) : Will the Irrigation Minister please state:—

1. Is it a fact that problem of water logging has started in some areas commanded by the chambal canal system?

2. If so, which are those areas which have been affected most by this problem so far?

3. What steps the Government contemplate to take to deal with the problem of water logging and what amount is likely to be spent on the scheme to cover the affected areas now and in future?

उप-मन्त्री, स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां ।

(२) व (३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची में सीपेज ट्रेन्स व लाईनिंग का तखमीना चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को मन्जूरी हेतु भेजा गया है और इस काम में ४८ लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है। यह ४८ लाख रुपया अतिरिक्त खर्च होगा? क्या यह बात केनाल बनाते समय ध्यान में नहीं रखी गई और उसके लिये एस्टीमेट नहीं किया गया?

श्री दौलतराम सारण : ये तो सब बातें देखी जाती हैं, मगर वहां पर विशेष स्थिति है। रोक्स में होकर केनाल आई है, वहां रोक में केनाल के पास पानी दरारों में आ गया है और वाटर लोगिंग की प्रोब्लम पैदा हो गई है।

श्री जुझारसिंह : जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटरीज आई है............

(अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : जिस जगह ऐसी समस्या पैदा हो गई है उसको रोकने की कार्यवाही चालू है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नत्थीसिंह ।

## अलेग्जेन्डरा हॉस्पिटल

५४१. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अलेक्जेन्डरा होस्पिटल (अलवर) में इस समय कितने डॉक्टर व अन्य कर्मचारी हैं? पृथक पृथक बताया जावे।

(२) इस हॉस्पिटल का वार्षिक व्यय क्या है?

(३) इस हॉस्पिटल में ३ वर्ष से अधिक समय से कितने डॉक्टर व कम्पाउन्डर्स कार्य कर रहे हैं?

(४) क्या सरकार का ऐसा नियम है कि तीन वर्ष में सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण होना चाहिए?

**उप-मन्त्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल बैद) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) उपरोक्त अस्पताल का सन् १९६३-६४ का बजट निम्नप्रकार है :

| | |
|---|---|
| नॉन प्लान | ४,९५,३०० |
| प्लान | ७६,५०० |
| कुल | ५,७१,८०० |

(३) उक्त अस्पताल में ३ वर्ष से अधिक समय से ६ डॉक्टर्स एवं १२ कम्पाउन्डर्स कार्य कर रहे हैं।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**श्री नत्थीसिंह** : क्या माननीय मन्त्री बता सकते हैं कि ६ डाक्टरों का नाम क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री सांवलियाराम

**श्री नत्थीसिंह** : वहां पांच-पांच ६-६ साल से डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनकी प्राइवेट दुकानें चलती हैं और उन्हीं का इलाज ठीक होता है जो उनकी दुकानों से दवाइयें खरीदते हैं, हॉस्पिटल में दवा लोगों को नहीं मिलती। ऐसे कौनसे डॉक्टर हैं और उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जाता ?

## नाले पर पुलिया का निर्माण

५४२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के अन्तर्गत छोटा खेमरा और बड़ा खेमरा नाम के दो गांव हैं ?

(२) क्या कोहनी बांध से निकल कर एक नाला इन गांवों के पास से बहता है ?

(३) क्या यह सही है कि नाले के पुलिया न होने की वजह से बरसात के दिनों में गांव वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार पुलिया बनाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

**उप मन्त्री, सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) इस विषय में सार्वजनिक निर्माण विभाग को उचित कार्यवाही हेतु सुझाव दिया जा रहा है। क्योंकि यह कार्य इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री सांवलियाराम** : ये जो दो गांव हैं वर्षा के समय में पानी से चारों तरफ घिर जाते हैं और आने-जाने का रास्ता बन्द हो जाता है। तो क्या राजस्थान सरकार इस दिशा में जल्दी से जल्दी पुलिया बनाने का विचार रखती है ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : मैंने बताया कि पी० डब्ल्यू० विभाग को लिख दिया गया है। आशा है, जल्दी करेंगे।

**श्री सांवलियाराम** : अध्यक्ष महोदय, जल्दी में तो सालों लग जाते हैं और तावाक गांव का प्रश्न रखा था उसका जवाब आपने 'हां' में दिया।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

( श्री अध्यक्ष )

प्रश्न संख्या ५४३.

श्री भैरोंसिंह ।
(अनुपस्थित)
श्री केदारनाथ ।

## उत्पादन कमेटी का निर्माण

**५४४. श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:— उद्योग शान्ति प्रस्ताव के तहत क्या सादूल टैक्सटाइल मिल में मजदूरों व मालिक की मिली-जुली उत्पादन कमेटी (जोइंट प्रोडक्शन कमेटी) बनाई गई ? यदि नहीं, तो सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

**श्रम मन्त्री** (श्री भीखाभाई) : जी हां । सादूल टैक्सटाइल मिल में कमेटी बनी हुई है ।

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई जोइंट प्रोडक्शन कमेटी नहीं बनी है। मजदूरों ने एक्स्ट्रा अवर्स काम किया ।

**श्री भीखाभाई** : आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया ।

**श्री केदारनाथ** : सादूल टैक्सटाइल मिल का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा बढ़ा और मजदूरों ने एक्सट्रा अवर्स काम किया है और कोई जोइंट प्रोडक्शन कमेटी नहीं बनाई गई है ।

**श्री भीखाभाई** : प्रोडक्शन पहले ज्यादा बढ़ा और मजदूरों ने एक्स्ट्रा अवर्स में काम किया इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि यह यूनिट लेबल पर बनी थी। इसमें लैंड, मेटीरियल और मैन व मशीनरी आदि जो भी यूटीलाइज्ड होती है उसका भी एकाउन्ट रहता है। इंग्लैण्ड में भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें इस बात को देखा जाता है। इस प्रकार का जयपुर जिले में भी प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में प्रस्तावित थी उसके अनुसार बनी है। इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : जोइंट प्रोडक्शन कमेटी को बने कितना समय हुआ और उसने क्या काम किया है ?

(अल्प विराम के अनन्तर पुनः)

माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य कन्टेस्ट कर रहे हैं। वे उस यूनियन के पदाधिकारी हैं। वे कहते हैं कि बन गई है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि नहीं बनी है ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, मन्त्री महोदय कहते हैं कि बन गई है और मीटिंग हुई है; पर माननीय सदस्य कहते हैं कि मीटिंग नहीं हुई ।

**श्री भीखाभाई** : इसकी मीटिंग हुई है। माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा है वे जानते हैं कि ए. आई. टी. सी. यूनियन है। एक मीटिंग होने के बाद और मीटिंगें बुलाई गईं, पर यूनियन के लोग शामिल ही नहीं हुए, इसलिये जोइन्ट प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई ।

**श्री कुमारानंद** (ब्यावर) : एक तरफ सरकार कहती है कि जोइन्ट प्रोडक्शन कमेटी बनाओ, और दूसरी तरफ मजदूर बनायें तो कहते हैं, जेल जाओ ।

**श्री केदारनाथ** : वहां एक ही यूनियन है और मैं उसका लीगल एड्वाइजर हूं। इसलिये मुझे पूरी जानकारी है कि कोई

(श्री केदारनाथ)

मीटिंग नहीं हुई और कोई लेबर डिपार्टमेंट का आदमी नहीं गया।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो अजीब स्थिति है, मन्त्री महोदय कहते हैं कि मीटिंग हुई और माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं हुई।

**श्री भीखाभाई** : मीटिंग हुई है, माननीय अध्यक्ष। मेरे पास इसकी सारी की सारी व्यौरेवार सूचना है। ४ मार्च, सन् १९६३ को मीटिंग बुलाई गई। प्रादेशिक श्रम आयोग के अधिकारी और श्रम अधिकारी बीकानेर ने इसमें भाग लिया। श्रमिक यूनियन, जिसका ए. आई. टी. यू. सी. से सम्बन्ध है, के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर वहां के श्रमिकों ने विफल प्रयास किया और मीटिंग नहीं हुई।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : विफल प्रयास किया और मीटिंग नहीं हुई, वह परस्पर विरोधी बात तो समझ में नहीं आई। खैर, मीटिंग हुई उसमें कौन कौन श्रमिकों के प्रतिनिधि थे ?

**श्री भीखाभाई** : इसकी इन्फोरमेंशन मेरे पास नही है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो सप्लाई कर दूंगा।

**श्री रामानंद अग्रवाल** ; अगर यह फैक्ट है कि यह बनाई गई है तो मन्त्री महोदय को यह भी पता लगाना चाहिये था कि श्रमिकों के कौन कौन प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए, वास्तव में बनी है कि नहीं, यह सही है या झूंठ; इस बात को आपको पता लगाना चाहिये था। इसलिये माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय।

**श्री कुमारानंद** : अगर मीटिंग हुई तो श्रमिकों की यूनियन के मेम्बरों को भी बुलाना चाहिये था।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या यह सही है कि इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को मिल मेनेजमेंट ने पुलिस से मिलकर दफा ११० में जेल में पकड़वा दिया ?

**श्री अध्यक्ष** ; वह उत्पादन कमेटी से क्या सम्बन्ध रखता है ?

नेक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : This question has not been replied.

**श्री अध्यक्ष** ; श्री मानिकचन्द सुराणा।

## पलाना खान के विवादों के हल के लिये नियुक्ति

**५४५. श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) पलाना कोलेरी मजदूर यूनियन द्वारा उठाये गये मजदूर विवादों में क्या डॉ० आनन्द प्रकाश, दिल्ली को पलाना खान की तरफ से एंगेज किया गया ? यदि हां, तो किस वर्ष से और कितने विवादों में ?

( २ ) क्या यह सही है कि उक्त डा० आनन्द प्रकाश ने कभी भी लेबर ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई बहस नहीं की क्योंकि किसी भी लेबर ट्रिब्यूनल ने इनको परवी करने की इजाजत नहीं दी ?

( ३ ) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा उक्त विवादों में दिये अवार्ड्स में कभी भी इनका नाम प्रकाशित नही हुआ ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में डा० आनन्द प्रकाश को निरन्तर एंगेज करते रहने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? क्या डा० आनन्द प्रकाश को एंगेज करने से पूर्व विधि विभाग की राय ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) डा० आनन्दप्रकाश को सन् १९५८ से मार्च, १९६२ तक कितन पेमेंट पलाना खान की तरफ से लीगल चार्जेज, यात्रा व्यय व भत्ते इत्यादि के रूप में दिया गया ?

(६) डा० आनन्दप्रकाश द्वारा लड़े गये मुकदमों में कितने मुकदमों के निर्णय खान के पक्ष में हुए और कितने विपक्ष में ? उक्त मुकदमों में हुए अवार्ड्स के फलस्वरूप पलाना खान के मजदूरों को कितना पेमेंट करना पड़ा ?

**उद्योग मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां। सन् १९५८ से इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और दूसरे कोर्टों पैरवी की है।

(२) जी नहीं।

(३) डा० आनन्दप्रकाश के नाम के प्रकाशन का सवाल ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) रू० २२,३३९.६८ न० पै० का भुगतान किया गया।

(६) पलाना कोलेरी मजदूर यूनियन द्वारा कुल ४३३ केसेज कोलेरी के व्यवस्थापकों के विरुद्ध लाये गये थे उसमें पलाना कोलेरी के व्यवस्थापक के पक्ष में २१० केसेज १२२ मजदूरों के पक्ष में तय हुए।

एवार्ड के द्वारा जो रकम मजदूरों को दी गई उसका आवश्यक विवरण तैयार करने में काफी समय चाहिए।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : प्रश्न दो में पूछा गया है कि डॉ० आनन्द प्रकाश ने कभी भी लेबर ट्रिब्यूनल के समक्ष बहस नहीं की क्योंकि किसी लेबर ट्रिब्यूनल ने इनको पैरवी करने की इजाजत नहीं दी ? इसका क्या जवाब दिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने कहा, 'जी नहीं'।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : जब कि आपने वकील किया, वह लेबर ट्रिब्यूनल के सामने एपियर नहीं हो सकता, तो ऐसे वकील को एन्गेज करने का क्या मतलब ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं समझा दूं। मतलब यह हुआ कि इन्डस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल के सामने वकील की हैसियत से खड़े होकर बहस नहीं कर सकते, बहस करनी पड़ती है मजदूरों को और मेनेजमेंट की तरफ से मैनेजर होता है। तो मजदूरों को जो पोइन्ट, जो बात बतानी होती है वह कान में बता देते हैं।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : क्या राजस्थान सरकार का विधि विभाग इतना सक्षम नहीं कि ड्राफ्टिंग तैयार करके उनको दे दे और इस तरह २२ हजार का यह व्यर्थ का खर्चा बचा ले ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : विधि विभाग सक्षम है, पर विधि विभाग यहां रहता है

# Page No 32



(श्री नाथूराम मिर्धा)

और यह काम दिल्ली में और दूसरी जगह करना पड़ता है, इसलिये यह काम करने की क्षमता विधि विभाग में नहीं है।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें विधि विभाग की राय नहीं ली गई। माइन्स मैनेजर के कहने पर अपोइन्ट किया और २२ हजार का पेमेंट किया। ४३३ विवादों में से डा० आनन्दप्रकाश केवल २१० केसेज में अपीयर हुए हैं और प्रत्येक केस स्टेट के खिलाफ हुआ है। ऐसे लीगल एड्वाजइर को दिल्ली में मुकर्रर करते हैं कि दिल्ली के सारे के सारे केसेज में सरकार हारी है। जैसा कि मंत्री महोदय, ने कहा कि कान में सलाह देते हैं तो उनकी कान में सलाह का बहुत गलत परिणाम हुआ है। राजस्थान विधि विभाग की ओर से और कोई एडवोकेट हो सकता है जिसको इस काम के लिये अपोइन्ट किया जा सकता है। अगर सरकार को यों ही धन बांटना है तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में बहुत लोग हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ये दिल्ली के वकील हैं और ये केसेज दिल्ली में होते है। राजस्थान के वकील को वहां भेजने से मंहगा पड़ेगा।

**श्री कुमारानंद** (ब्यावर) : राजस्थान में बहुत से वकील मिल सकते हैं, उनको क्यों नहीं भेजा?

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है, कि सरकार की ओर से वकीलों की नियुक्ति के संबन्ध में राजस्थान सरकार ने लॉ मेन्युअल बना रखा है और उस मेन्युअल के आधीन ही नियुक्ति की जा सकती है?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह मेन्युअल है, पर इस पर लागू नहीं होता। ये एन्टरप्राइजेज अलग से काम करते हैं। इन पर यह कितना लागू होता है, यह मैंने देखा नहीं है। पर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने जाने वाले केसेज के लिये स्पेशलाइज्ड इस तरह के वकील की आवश्यकता है जो इस तरह की स्पेशल नोलेज रखता हो। राजस्थान का हर एक वकील इस काम को कर सके, यह जरूरी नहीं है। अगर कोई हो भी तो खर्चा ज्यादा आयेगा। पर हमारे सामने तो कोई आया नहीं कि कम खर्च में कोई करने को तैयार हो और यह कहे कि मेरी जानकारी इस सम्बन्ध में अच्छी है।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : यह हाउस इसमें इन्टरस्टेड है कि सरकार नियमों के विरूद्ध वकील मुकर्रर न करे। हमारे यहां लॉ मेन्युअल बना हुआ है। सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से पैरवी करने के लिये लॉ डिपार्टमेंट ने सूचना प्रसारित की है कि मेन्युअल के मुताबिक कार्यवाही की जाय। दिल्ली का सवाल ला रहे है तो लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करके जो कॉम्पीटेन्ट हो उसको मुकर्रर करें, दिल्ली की बार एसोशियेशन, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोशियेशन की सिफारिश पर कोई प्रोसीजर फोलो करके काम करें। यह बड़ा गम्भीर मसला है। कान में फूंक मारके कितने केसेज किये हैं, यह अलग बात है, जिसका कोई रेकार्ड नहीं कि कितने केसेज में हाजिर हुए।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : रेकॉर्ड है। सब केसेज में हाजिर हुए। हमारे मेनेजमेंट के केसेज में पैरवी की है। लॉ डिपार्टमेंट की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राय से हुआ है। बिना जानकारी के अपोइन्ट-मेंट नहीं किया है।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल :** जानकारी करके यह अपोइन्ट किया है कि हर केस में सरकार हारती है। जिस दिन एंगेज किया, उससे पहले उस तारीख तक इन्होंने कितने लेबर केसेज़ को कन्डक्ट किया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा:** आपने मूल प्रश्न का जवाब सुना नहीं शायद। मैंने आपको बताया कि ४३३ का किया। इतने लेबर के पक्ष में हुये और इतने गवर्नमेंट के पक्ष में हुये, ये सारे मैंने आपको फीगर्स बताए थे।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : मजदूरों के खिलाफ आप एक एडवोकेट को खड़ा करके २२ हजार का पेमेंट दे देते हैं,यह कहां तक ठीक है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** हमने सुन लिया सब। यह बिलकुल ठीक है।

**श्री मानिकचंद सुराणा :** मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल उन दो मुकदमों के । ही जानना चाहूंगा जिनमें आनंद प्रकाश ने एड्वाइस की हो, आप जीते हों लेबर ट्रिब्युनल में ? मैं केवल इन दो मुकदमों का नम्बर और अनवान चाहता हूँ।

( विराम

आपको सूचनायें समस्त गलत दे दी गई हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** आपने यह कहा कि दो केसेज़ का नाम बता दें, यह अलग प्रश्न है। आप पूछेंगे तो वे कहां कहां एपियर हुए है यह मैं बता दूंगा। उनको पेमेंट किस किस हिसाब से किया है, वे का क्या पेमेंट होता है, कितना टी० ए० होता है, कानून के मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट से जानकारी करके ही दिया है।

**श्री मानिकचद सुराणा :** आपके सामने यह प्रश्न है, अब आप जानकारी करो।

**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ़ ) : क्या मंत्री महोदय ने यह महसूस नहीं किया कि इतने प्रश्न हुए और २२ हजार का पेमेंट है वह वाजिब नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** कतई नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुए।

( शेष तारांकित प्रश्नोत्तरोंके लिए कृपया परिशिष्ट ५ देखिए )

( ३.४२ म० प० )

## भविष्य के कार्य-क्रम में परिवर्तन करने विषयक

माननीय सदस्यों ने कार्य-सलाहकार समिति का १२ वां प्रतिवेदन स्वीकार करके यह निश्चित किया था कि ९ और १० सितम्बर को विधायी कार्य रखा जाय और १२ व १३ को सीलिंग के सम्बंध में जो नियम हैं उन पर बहस हो। कुछ माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि सीलिंग के सम्बंध में बहस ९ और १० को रख दी जाय और ९ और १० का विधायी कार्य १२ व १३ को रख दिया जाय।

क्या माननीय सदस्य इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं ?

( स्वीकृत )

( श्री अध्यक्ष )

परिवर्तन स्वीकार किया गया।

कृषि मंत्री

**श्री रामकिशन (वैर)** : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सचिवालय की घड़ियां जो हैं वे अलग अलग समय बताती हैं। मैं जब लाइब्रेरी में था तो वहां की घड़ी १.१० बजा रही थी और यहां सदन में प्रश्न शुरू हो गये थे, अतः इनको ठीक कराया जाय।

## राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर से सम्बंधित प्रथम परिनियम

(सदन की मेंज पर रखाना)

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६२ की धारा ३५ (१) के अन्तर्गत, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर से सम्बन्धित प्रथम परिनियम ( First statutes of the Rajasthen Agricultural University Udaipur.) की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्रीसतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर)** . स्टेच्यूट कब बनाये सरकार ने ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी बनाये चार पांच दिन हुये।

( ३.४५ म. प. )

## अनाज के भावों से सम्बंधित तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा

**श्री अध्यक्ष** : आधे घंटे की चर्चा। श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री मानिकचंद सुराणा, श्री मुरलीधर व्यास; संक्षेप में अपनी बहस रख दें कि किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं और मंत्री महोदय उसका उत्तर दे दें।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** ( कोटा ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १२ जो बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, उस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया था वह स्पष्ट नहीं था। प्रश्न अपना एक महत्व रखता है। खास करके सरकार से अन्न के भावों को बांधने के लिए निवेदन किया था। मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ उस पर प्रत्युत्तर हुये फिर भी स्पष्टीकरण न आने पर मैंने यह अनुभव किया कि सरकार की अन्न के बढ़ते हुये भावों को किस प्रकार बांधने की क्या नीति है, सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है और सरकार की कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण आधे घन्टे की चर्चा इस पर की जानी चाहिए जिससे सरकार की क्या योजना है इस बारे में यह स्पष्ट रूप से मालूम हो सके।

यह तो ठीक है कि आज के दिन सामान्य रूप से हर वस्तु के भाव चढ़ते और उतरते हैं। लेकिन खास कर अन्न के भावों का एकदम बढ़ जाना, यह प्रश्न एक विशेष समस्या रखता है। जब अनाज के भाव बढ़ते और घटते हैं तो प्रोड्यूसर्स को उनका डाईरेक्ट फायदा अन्न के भाव के बढ़ने से नहीं मिलता है। भाव एकदम बढ़ने से कन्ज्यूमर्स को नुकसान होता है। इस तरह से प्रोडूसर्स को कोई लाभ नहीं मिलता है, और कन्ज्यूमर्स को नुकसान होता है और फायदा यदि किसी को मिलता है तो वह व्यापारी को ही मिल जाया करता है। इस प्रश्न को गम्भीरता से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सोचते हुये स्पष्ट रूप से सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है और इस सम्बन्ध में कितना सफल रही है ?

यह तो बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में खास कर दो फसलें होती हैं । एक रबी और दूसरी खरीफ की । रबी की फसल बैसाख और जेष्ठ में आ जाती है और खरीफ की फसल कार्तिक अगहन तक आ जाती है। बैसाख और जेष्ठ की फसल आती है उस समय बाजार के अन्दर, जब गेहूं, चना, जौ आदि अनाज आता है, सामान्यतया मैं गेहूं का ही भाव लूंगा, जब काश्तकार खेत से लाकर अनाज को मंडी में लाता है तो उसको अपनी गरीबी के कारण या अपनी मजबूरी के कारण गेहूं जैसे अनाज को, जो सबसे बढिया है और महंगा है; १२) रु०; १३) रु० व १४) रु० मन के अन्दर बेचना पड़ता है। १२) रु० १३) रु० और १४) रु० तो नाम मात्र का मूल्य रहता है। उस काश्तकार से मंडी में व्यापारी, आड़त, दलाली, धर्मादा, कड़दा, गोदाम किराया,हमाली और नाना-प्रकार से कई चीजों का पैसा काट लेता है और इससे जिस काश्तकार को १२) रु० १३) रु० और १४) रु० के हिसाब से पैसा मिलना चाहिये वह भी उसको पूरा नहीं मिलता। मजबूर होकर वह पैसा उसको लेना पड़ता है। काश्तकार को इतनी केपे-सिटी नहीं है कि वह उसको रोक सकें और भाव आने पर बेच सकें। जैसे ही काश्तकार से खेत से अनाज आता है मुश्किल से महीना भर ही गुजरता होगा कि भाव बढ़ने लग जाते हैं। अन्न के भाव बढ़ाने की टेन्डेन्सी हो जाती है। रुपया दो रुपया एकदम बढ़ जाता है। पहले तो मंडी में जब आता है उस समय तो कम हो जाते हैं और एक महीे बाद भाव बढ़ने लग जाते हैं और रबी की फसल आने से पहले पहले तो जो. गेहूं १२)रु., १३) रु., १४) रु. के हिसाब से खरीदा गया था वह गेहूं १८) रु०, १९) रु० २०) रु० मन तक पहुंच जाता है। यदि वह पैसा काश्तकार को पहुंचता और कन्ज्यूमर्स को मंहगा भी पड़ा, तब तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता था लेकिन बीच का व्यापारी नाजायज फायदा उठा कर उस गेहूं को फिर बाजार में १८) रु०, १९) रु० और २०) रु० मन के हिसाब से बेचता है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने इसके लिए कोई नीति अपनायी है ? अनाज के व्यापारी जो इस प्रकार से कन्ज्यूमर्स का शोषण करते हैं उनके लिये कोई आपने नीति अपनाई है ? समय पर मंडी में अन्न आता है, फसल का मौका होता है, शुरु शुरु में गाड़ियां मंडी में आनी शुरु होती हैं, उस समय गेहूं का भाव १२) रु० १३) रु० और १४) रु० मन कर दिया जाता है और फसल पूरी तरह से कट जाती है और गाड़ियां मंडी में ज्यादा आजाती हैं तो गेहूं का भाव और भी गिरने लग जाता है। काश्तकार मजबूर हो जाता है। उसका गेहूं चाहे १३)रु० में बिके १२) रु० में बिके या ११) रु० में बिके, उसको तो बेचना पड़ता है। मजबूरी के कारण वह उसको अधिक दिन तक स्टोर नहीं कर सकता; उसको मजबूर हो कर बेचना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने गिरते हुए भावों को रोकने के लिये और प्रोड्यूसर्स को अच्छा भाव मिले इसके लिए क्या नीति अपनाई है ? क्या सरकार ने गिरे हुये भावों को रोकने के लिये और चढ़े हुये भावों को रोकने के लिए क्या कोई न्यूनतम और अधिकतम भाव निर्धारित किये हैं ? क्या सरकार ने इनके

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लिये कोई गोदाम बनाये हैं ? या सरकार ने कोई शॉप्स खोली हैं ? क्या जब गेहूं का भाव गिरने लगता है तो निश्चित भाव तय करके सरकार स्वयं काश्तकार से खरीद ले, क्या ऐसी कोई योजना बनाई है ? जब वह अन्न काश्तकार से आकर व्यापारी के पास आ जाता है तो फिर व्यापारी १८), रु० १९) रु०, २०) रु० मन तक बेचना शुरु कर देता है, उसको रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई गोदाम या शॉप्स बनाई हैं या न्यूनतम या अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है ? व्यापारी के नाजायज मुनाफे को चेक करने के लिये सरकार ने क्या न्यूनतम या अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है अथवा सरकार की इस संबंध में क्या निश्चित नीति है यह मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से सुनना चाहूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यह पूरी बहस नहीं है । पांच-पांच मिनिट इनके लिए मिलेंगे । प्रश्न पूछिये और उसका उत्तर मंत्री महोदय की ओर से दिया जावेगा । सारी लम्बी बहस नहीं हो सकती ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : पहला प्रश्न तो यह है कि अधिकतम और न्यूनतम भावों को निर्धारित करना । क्या इसके लिये कोई योजना सरकार ने बनाई है और यह कहां तक सफल हुई है । मैं मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि वे जिलेवाइज बताने की कृपा करेंगे ।

इसके साथ साथ क्या सरकार के पास ऐसी भी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत जब अपने प्रदेश में जिन्स के भाव बढ़ते हुये हों तो अपने प्रान्त से लगे हुये प्रान्तों से सस्ते भाव में अनाज खरीद कर यहां ला सकती है । जैसे मध्य प्रदेश में चावल बहुतायत से होता है और यहां से काफी सस्ता रहता है । मध्य-भारत कोटा जिले के पास होने के कारण चावलों का स्मगलिंग काफी चलता है । इसके लिये कई केसेज भी पकड़े गये । इसलिए मेरा निवेदन है कि जब चावलों के भाव हमारे यहां पर बहुत बढ़े हुए हैं तो हमारी सीमा से लगे हुऐ इलाकों से माल मंगाकर लाने की कोई योजना है क्या ? इसके अलावा जिन व्यापारियों को लाइसेन्स देकर सरकारी अनाज बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है उनमें जो भाई भतीजावाद चलता है मेरी पार्टी उसके बिलकुल खिलाफ है । लाइसेन्स किसी निश्चित व्यापारी को न देकर लाइसेन्स के लिए ऑक्शन किया जाय और जो सबसे अधिक बोली लगाये उसको लाइसेन्स दिया जाय । लाइसेन्स देने की इस प्रकार की सरकार की कोई योजना रखी है ? निकटवर्ती प्रदेशों में हमारी अपेक्षा मूल्य में कमी है तो वहां से हमारे प्रदेश में लाने के लिये कोई योजना है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : अन्न के आने-जाने में रुकावट नहीं है ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : मैं चावलों के बारे में निवेदन कर रहा हूं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : चावलों के बारे में स्पष्ट रुकावट है, इसके लिए अलग कानून है इसका मूवमेंट नहीं हो सकता ।

**श्री अध्यक्ष** : आप पहले सब सुन लें, उसके बाद पूरे का जवाब दे दें ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : चावलों का राजस्थान के अन्दर अभाव है, इसलिये यहां

# Page No 37



(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

एक सबसे भीषण परिस्थिति जो राजस्थान में पैदा हो गई है। उसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज किसान अन्न को पैदा करने में कम रुचि लेता जा रहा है। उनका ध्यान कैशक्रॉप पैदा करने की ओर ज्यादा जा रहा है। कोटा जिले के अन्दर पानी बहुतायत से होने के कारण किसानों की यह टेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है कि वह अन्न पैदा करने के स्थान पर कपास अलसी जैसे कार्मशियल क्रॉप्स की ओर रुचि बढ़ती जा रही है। यह समस्या भयंकर रूप से धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे अन्न का उत्पादन कम हो जायगा।

दूसरा अभी सीलिंग लागू नहीं कर पाये हैं। आखिर सीलिंग लागू होकर रहेगा। अब तक काश्तकार खेती करने को एक उद्योग की तरह मानकर चलते थे। बड़े बड़े फार्म्स आधुनिक तरीके से चला रखे हैं उनको एक उद्योग के रूप में चलाया करते हैं और उससे काफी मुनाफा भी कमाते हैं। सीलिंग आने के बाद एक परिवार के पास उतनी ही भूमि रहेगी जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस तरह से उसके पास पैसा नहीं बचने वाला है। इसलिये आप जब सीलिंग लागू कर देते हैं तो किसान के सामने कैश क्रॉप पैदा करने का लालच होगा। दूसरा जब उसका पूरी तरह से भरण–पोषण नहीं होगा तो उसके लिये आपको दूसरे काम का भी इन्तजाम करना होगा। इसके लिए सरकार की क्या कोई योजना है ?

इतना ही कहकर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति इस संबन्ध में क्या हैं, वह सदन को बताने की कृपा करेंगे।

**श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान राजस्थान में अनाज के बढ़ते हुए भावों की ओर आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद सत्य है कि जब से इस देश में एमर्जेन्सी लागू हुई है तब से कोस्ट ऑफ लिविंग के इन्डेक्स में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीस प्रतिशत की वृद्धि में अनाज की कीमतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनाज की कीमतें हमारे देश में सन् ५५ से बढ़ती हुई चली जा रही हैं लेकिन जब मैं कहता हूं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो उन कीमतों को तीन भागों में बांटना चाहूंगा। सब से पहिले हारवेस्ट प्राइस, जो किसानों को मिलता है। उसके बाद में होलसेल प्राइस और उसके बाद में रिटेल प्राइस। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों कीमतों में जब कि हारवेस्ट की कीमतें बहुत नीचे रहती है उसके मुकाबले होलसेल की कीमतों में, रिटेल की कीमतों में कम से कम चालीस प्रतिशत फरक रहता है। अगर हार्वेस्ट कीमत १२, १३ या १४ रुपये होगी तो खुदरा में वह जाकर १८, १९ व २० रु. तक हो जाती है। जब हम इस बात की ओर कृषि मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हैं तो कृषि मन्त्री जी यह कहेंगे कि ५५ में जो कीमतें थीं उन सारे सालों के आंकड़े वे दे सकते हैं। उन आंकड़ों में संभवतः पांच प्रतिशत, ७ प्रतिशत का ज्यादा फर्क न हो। एवरेज प्राइस जिस तरह से निकाली जाती है जो सिर्फ कन्टेम्पचुअस

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्राइस है वह हकीकत में प्रिवेल नहीं करती। हकीकत में ग्रलग ग्रलग केन्द्रों पर ग्रलग ग्रलग मंडियों में ग्रलग ग्रलग कीमतें रहती हैं, उनमें बड़ा फर्क होता है। इसमें काश्तकारों का शोषण हो रहा है, ग्राम नागरिक का शोषण हो रहा है; उससे उन्हें इन घटती-बढ़ती हुई कीमतों पर बेचना पड़ता है ग्रौर खरीदना पड़ता है। ग्रध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इन रोजमर्रा की घटती-बढ़ती हुई कीमतों पर नियन्त्रण करने में सर्वथा ग्रसफल रही है। इसमें तीस-चालीस प्रतिशत कीमतों का फर्क है, इस फर्क को रोक नहीं पाई है। यह कोई न्याय की बात नहीं कही जा सकती कि सारे हिन्दुस्तान में ग्रनाज की स्थिति ग्रच्छी है, हमारे देश की ग्रनाज की स्थिति ग्रच्छी है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। ग्रनाज की बहुतायत है। यह मैं मानता हूं भूखों मरने की स्थिति नहीं ग्रा सकती, लेकिन जो ग्राधे पेट भूखों मरने हैं ऐसे इस देश में ७० प्रतिशत लोग हैं, उनकी तरफ मैं ग्रापका ध्यान खींचना चाहता हूं। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वे साल भर का ग्रनाज इकट्ठा करके रख सकते हैं। तीस स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन वाले रख सकते हैं बीज रख सकते हैं। लेकिन जिस काश्तकार के पास में ५ एकड़ से लेकर बीस एकड़ तक जमीन हो उसको तो फौरन ग्रपना ग्रनाज बाजार में बेचना पड़ता है। उसको कीमत १२), १३) ग्रौर १४) रूपये से ज्यादा नहीं ग्राती है। यह जो कीमतों का फर्क है उस ग्रोर मैं सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि इस फर्क को रोका जाय। रोजमर्रा की कीमतों में जो घटत-बढ़त होती है हारवेस्ट के वक्त में कीमतें गिर जाती हैं ग्रौर बाद में बढ़ जाती हैं जब किसान बेचने ग्राता है तो उस समय राज्य सरकार ने उनको उचित दाम मिल सके इसके लिये क्या इन्तजाम किया है। क्या सरकार यह दावा कर सकती है कि पिछले साल उसने कितना ग्रनाज खरीदा ग्रौर किस भाव पर खरीदा। किसी मंडी में १३ रू. ग्रौर १४ रूपये का भाव होता है उस समय क्या सरकार परचेजर की हैसियत से एन्टर हुई है। इस प्रकार के ग्रांकड़े नहीं हैं जिससे यह कहा जा सके कि स्टेट गवर्नमेंट ने पर्चेज कर उनको ग्रनाज की कीमतें पूरी मिलें, इसका प्रबन्ध किया हो। ग्रगर ग्राप ग्रनाज के भावों का नियन्त्रण नहीं करेंगे या मुकम्मिल कीमतें नहीं दे सकते तो मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की कही जाने वाली सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं जाता। मैं ग्रापके सामने ग्राप ही के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं इस संबंध में भाव नियन्त्रण के बारे में उसकी सात, ग्राठ लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। वे इस प्रकार हैः—

> "जब तक भावों में नियन्त्रण नहीं ग्राता है उत्पादन ग्रधिक बढ़ने से किसी भी प्रकार से हालत नहीं सुधर सकती। भावों पर नियन्त्रण रखे बिना किसान को कृषि-कार्य में प्रेरणा ग्रौर उत्साह नहीं मिल सकता। बिना उत्साह, प्रेरणा के किया जाने वाला कार्य ग्रसफल होता है। कृषक को प्रेरणा ग्रौर उत्साह देने में भावों पर नियन्त्रण रखना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। भावों पर नियन्त्रण के बिना किसान का शोषण हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है।"

ये विचार मेरे नहीं है या डॉक्टर लोहिया के नहीं है, ग्रापके नेता चौधरी कुम्भारामजी के हैं, जो उन्होंने पंच नामक ग्रखबार में दिए

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं। आज आपको किसान की न्यूनतम कीमत देने की फिक्र नहीं है। जहां पं० जवाहरलाल नेहरू ने स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम को शेल्फ में डाल दिया है, लेकिन यदि आप राजस्थान के किसानों का हित चाहते हों तो अभी जो विश्लेषण मेरे पूर्व वक्ता ने किया तो वह उसका सही निदान हो सकता है। आप स्टेट ट्रेडिंग करने की दिशा में अग्रसर होइये। यदि आपने पंचायती राज में पहल की है तो आपको स्टेट ट्रेडिंग में भी पहल करनी चाहिए।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहल की तो थी, लेकिन एक करोड़ का घाटा हो गया।

**श्री मानिकचंद सुराणा** : यदि जनसंघ की नीतियों के आधार पर स्टेट ट्रेडिंग की योजना चलाई तो अवश्य घाटा होगा, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की नीति पर सरकार चलेगी तो किसी भी तरीके से घाटा नहीं हो सकता।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : If Jan Sangh prevails upon and has its influence upon the Government I don't mind this compliment.

**श्री मानिकचंद सुराणा** : No, I don't mean that.

यदि सेंट पर्सेन्ट स्टेट ट्रेडिंग न कर सकें, लेकिन राजस्थान के शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं यदि उन १० शहरों में कम्प्लीट स्टेट ट्रेडिंग के जरिए अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करें एक्सपेरीमेंट के तौर पर, तो पता चलेगा कि कितने किसानों को राहत मिलती है, और जो शहरों के कन्ज्यूमर्स हैं; जैसे चपरासी, मध्यमवर्ग के लोग और जो १००–१५० रुपये तनख्वाह पाते हैं, जो फिक्स्ड इन्कम के लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो यह जो लूट चलती है वह रुक नहीं सकती। आप स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक ने १९३६ करोड़ रुपये बड़े बड़े ट्रेडर्स को दे रखे हैं और यदि स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट ट्रेडिंग करना चाहे तो रिजर्व बैंक उनको रुपये के लिए इनकार नहीं करेगी। बात यह है कि आपका स्टेट ट्रेडिंग एक प्रोफिटेबल प्रोपोर्जीशन होनी चाहिए और इसलिए इस सरकार को स्टेट ट्रेडिंग की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे बड़ा दुख है कि इस सरकार में रहते रहते जो हमारे कृषि मन्त्री हैं, उनकी काश्तकारों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बड़ी कमजोर हो गई है, वह भी एक पेट्टी दिमाग के व्यक्ति हो गए हैं। लेकिन मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में रहने का नतीजा और दूसरा हो भी नहीं सकता।

आपने उस दिन असेम्बली में कहा कि किसान की हालत खराब नहीं है। जबसे योजना लागू हुई है, सब किसान मौज में हैं।

**श्री सतीशचंद्र अग्रवाल** : Do you mean to suggest that he visited Australia by kidnapping by the Chief Minister ?

**श्री मानिकचंद सुराणा** : आपने कहा कि काश्तकारों की हालत कोई खराब नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९५६ में जो ३,१०,००० एग्रीकल्चरल लेबरर्स राजस्थान में थे उनकी संख्या १९६१ में ८४,००० बढ़ गई है। जो ७ साल पहले भी प्रोप्राइटर्स थे वे भी लेबरर्स हो गए। फिर भी मंत्रीजी कहते हैं कि कहीं हालत खराब नहीं है।

Page No 40



(श्री मानिकचन्द सुराणा)

औरतें जितनी पहले काम करती थीं खेतों पर उनकी संख्या १९५१ में ६२ थी, १९६१ में ६८ हो गई तो निवेदन यह है कि अब ६ परिवार १०० में ऐसे हैं कि जिनको अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी औरतों को खेत पर काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। यह एक पिक्चर है रूरल सोसाइटी की, जो आपको मैं देना चाहता हूं और इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राज्य में ५२ प्रतिशत ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास में कोई जानवर नहीं है, कोई बैल नहीं, कोई ऊंट नहीं काश्त करने के लिए। इसलिए आपका यह दावा कि सब किसानों की हालत अच्छी है, गलत है। स्टेट ट्रेडिंग के लिए आपने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है और यदि आपकी यही नीति रही तो आंकड़ों में हो सकता है कि कोई राइज नहीं दिखाई दे, लेकिन मेरे पास भी आंकड़े हैं, स्पेशल स्टडी ऐग्रो इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट गुजरात और राजस्थान के प्राइसेज के उसके आधार पर कह सकता हूं कि पिछले ६ सालों में २५ प्रतिशत की राइज हुई है फूड प्राइसेज में और एमर्जेन्सी के बाद २० प्रतिशत और बढ़ी है। तो यह चिन्ता का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल सरकार का दृष्टिकोण प्रत्येक समस्या के प्रति बहुत कैलस और बहुत ही इन्डिफरेंट हो गया है। यदि हमारा यही ऐटीच्यूट रहा और इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हमारी स्टेट की प्रगति और योजनाएं सब पीछे रह जायेंगी। यदि हमारे कृषि मन्त्री लोगों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखना चाहते हैं तो लन्च के समय जो एल. डी. सी. और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी खाना खाते हैं तो आपको उनकी सही तस्वीर मिल जायगी।

इसलिए जो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और जो फिक्स्ड इन्कम के लोग हैं, जिनके कीमतों के बढ़ने के कारण रीअल वेजेस कम हो रहे हैं, इसके प्रति राज्य सरकार ने निश्चित नीति नहीं अपनाई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि आप सेन्टर की दुहाई दें या पार्ल्यामेंट की दुहाई दें तो पाटिल साहब ने साफ तौर से कहा है कि अनाज के उत्पादन और अनाज की कीमतों पर नियंत्रण रखना वैधानिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप हिन्दुस्तान की दुहाई देकर इस समस्या को टालने की कोशिश न करें और जो आपकी सरकार ने कदम उठाये हैं उनका लेखा जोखा दें।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : इस प्लानिंग के युग में सरकार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? अनाज के भाव किस तरह स्थिर रख सकें? अगर यह कहें कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस प्लानिंग के युग में जो सरकार के काम प्लान्ड वे में चल रहे हैं वहां पर सरकार भावों को स्थिर नहीं कर सके तो उस प्लान के अन्तर्गत जो भी पर कैपिटा इन्कम बढ़ती है उसके बावजूद भी उस प्लान के अन्तर्गत जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ वे कमा पाते हैं उनको मंहगाई खा जाती है। इसलिए मंहगाई को किसी न किसी प्रकार स्थिर करना सरकार का बिल्कुल अनिवार्य कर्त्तव्य है और इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री को नियमित रूप से कहना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है, उसको किसी प्रकार से नहीं टालना चाहिए। इसी का ही यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

नतीजा है कि देश में बड़ा भारी मतभेद रहा है और यह नया परिवर्तन जो हुआ है वह हमारे सामने है। आपकी सेकन्ड प्लान में जो पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है, उसके साथ साथ यदि आप दैनिक जीवन-निर्वाह के खाद्य पदार्थों को नियंत्रण में रख लें तो उससे आप लोगों का फायदा कर सकते हैं। इसलिए सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इन १०–१५ सालों के अन्दर हमारी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। इसी कारण ये नए परिवर्तन हुए हैं देश में। आप यदि लोगों को आवश्यक खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में उपलब्ध नहीं करा सकें तो हमारी योजना नाकामयाब है। और उसके बाद में लगातार हमेशा जिस प्रकार से यह प्राइस इन्डेक्स बढ़ा, वह बढ़ना, चाहिये बढ़ता है तो उसको कन्ट्रोल करने का काम भी सरकार का है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार दूसरी प्लान में जो इन्डेक्स दिया गया है उसमें ऑल इन्डिया का ५६ में १०० का बेस मान लिया तो ५६ के बाद में ६० तक १२४ हो गया और आज जयपुर का इन्डेक्स सरकार स्वयं मानती है १४५।

जब दूसरी प्लान में पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी हुई बताई गई है तो यह महंगाई के बढ़ते हुए इन्डेक्स से देखा जावे तो नतीजा कुछ नहीं रहता। यह बढ़ी हुई इन्कम मंहगाई खा गई। तो इसका उत्तरदायित्व भी सरकार का है, उसको बैलेन्स बनाये रखना चाहिए और इस प्लान का लाभ जनता को मिलना चाहिये।

इससे किसान पर भी असर पड़ता है। सस्ते में किसान अपना अनाज बेच देता है, पर इसके बाद में उसको मंहगे भाव में खरीदना पड़ेगा। नियन्त्रित मूल्य पर आम लोगों को खाद्य पदार्थ दिलाना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि प्लान के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, नहीं तो अगर मंहगाई इसी तरह बढ़ती गई और लोगों को नियन्त्रित मूल्य पर खाद्य पदार्थ और जीवन की अन्य उपयोगी वस्तुएं नहीं मिलीं तो प्लान के प्रति भी लोगों की श्रद्धा टूट जावेगी। इसलिये दोनों का परस्पर मेल होना चाहिये। मंहगाई को आप नियन्त्रित करिये और खाद्य पदार्थ नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराइये।

सरकार को स्टेट ट्रेडिंग का सुझाव दिया गया है, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मान्य कर लिया था। अब इस बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या नहीं? पर मैं तो यह मानता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। क्या व्यवस्था वे इस सम्बन्ध में करेंगे, किस प्रकार से करेंगे इस बारे में मन्त्री महोदय को अपनी नीति स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देना चाहिये ताकि राज्य के सारे नागरिकों को मालूम हो सके कि भावों को स्थिर रखने के लिये और मंहगाई को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो तीन माननीय सदस्यों ने एक-आध घंटे की चर्चा करके यह प्रस्ताव रखा, हमारे राज्य में जनता और खास तौर से किसान के बारे में, जिनको लक्ष्य करके यह चर्चा शुरू हुई। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन में यह कहा था कि एमर्जेन्सी के लागू होने के बाद यानी १९६२ के अक्टूबर-नवम्बर के बाद खाद्यान्नों की कीमत

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में लगभग स्थिरता रही है और खाद्यान्नों की कीमतों में एमर्जेन्सी के बाद कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह बात मैंने उस प्रश्न के उत्तर में इस सदन में कही थी।

उस चर्चा को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने जब आधा घण्टे की चर्चा उठाई और उसमें भी तीन माननीय सदस्य जो अलग अलग इलाकों से आने वाले हैं, उन्होंने अपने व्यू पोइन्ट सदन के सामने रक्खे। मैंने उनकी चर्चाओं को सुना और उन्होंने जो यह कहा कि मेरा वह उत्तर ठीक नहीं था, मैं इस बारे में निवेदन करूं कि माननीय सदस्य और खास तौर से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जब कभी इस प्रकार के मुद्दों पर, जो आम लोगों से सम्बन्धित होते हैं, चर्चा करने उठते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में ही चर्चा करना पसन्द करते हैं, यही कहते हैं कि हालत बहुत भयंकर हो गई है, बहुत खतरनाक हो गई है, लोग भूखों मर रहे हैं। उनको सुपरलेटिव डिग्री में बोलना शोभा भी देता है। जिस आदमी पर जैसी जितनी जिम्मेदारी होती है वह उसी हिसाब से बोलता है....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस डिग्री का जो आदमी होगा वह उसी डिग्री में बोलेगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वे ऐसी बातें करने के आदी हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : महंगाई के कारण से उन्हें कहना ही पड़ता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप तशरीफ रखिये। आप बड़े अक्लमन्द हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत समझते हैं। पर कुछ तो हमारी भी सुनिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो जो बातें कहीं कि भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं। किसानों को अनाज जब उनका बाजार में बिकने आता है तब कीमतें कम मिलती हैं। तो एक तरफ तो वे किसानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ मजदूर और कन्ज्यूमरों की भी बातें करते हैं स्टेट ट्रेडिंग भी सरकार करे यह भी कहते हैं। आपके नेता लोहिया कहें, वैसा करें, दूसरे कहें वैसा न करें, उनके नेता कहें वैसा करें, दूसरे कहें वैसा न करें।

मेरे लिये कहा कि मेरा अब काफी अर्से से मन्त्री बन जाने से किसानों से सम्पर्क कम हो गया है, तो इस तरह की अनेक बातें आपने कहीं। आपका व्यक्तिगत मेरे लिये क्या विचार है, इसका मुझे अफसोस नहीं। मैं जानता हूं मैं कहां हूं, मेरे पीछे कौन है, वे मेरे दिल की बातचीत जानते हैं, उनको मैं जानता हूं। इसके बारे में आप चिन्ता न करें।

आपने अच्छी तरह से सारी बातें कहीं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप एक दूसरे को काफी जानते हैं, ऐसा मालूम होता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : काफी जानता हूं। एक दूसरे को हम काफी जानते हैं। कोई छिपा नहीं है। वह क्लर्क का खाना बता रहे थे, किसान का खाना बता रहे थे। वह क्या खाता है, मैं क्या खाता हूं। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

**श्री रामकिशन** (बैर) : आप तो कभी खिलाते नहीं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : क्लर्क क्या खा रहा है, मजदूर क्या खा रहा है, कौन क्या खा रहा है मैं काफी नजदीक से जानता हूं। उसके अन्दर किस तरह से तरक्की की जा सकती है इसकी कोशिश करता हूं। उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर विचार भी करता रहता हूं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि लगभग कीमतों में स्थिरता रही है खाद्यान्नों की, आपत्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद में, तो उस पर मैं आज भी स्टिक करता हूं। उसको आज भी मैं सिद्ध करूंगा। जिस समय लाटों से अनाज निकला उसके बारे में भी किसानों को अच्छे दाम दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं, किस तरह से उसका असर हुआ है, इस बारे में सारी जानकारी एक लिखित स्टेटमेंट के जरिये मैं पेश कर रहा हूं। वह इस प्रकार से है:

"गत वर्ष नवम्बर तक खाद्यान्न के भाव बढ़ रहे थे, किन्तु नवम्बर के तुरन्त बाद गिरते हुए दिखाई दिये। फरवरी, १९६३ के अन्त तक भाव राजस्थान में १५ प्रतिशत तक गिरे, केवल इसी कारण से राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों पर काश्तकार की इमदाद के लिये यह फैसला किया कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट चालू किया जाय। भारत सरकार द्वारा गेहूं की न्यूनतम दरें जिस पर प्रोक्योरमेंट चालू किया जाय वे निम्न प्रकार थीं :

लाल १३) रू० मन सफेद १४) रू० मन फार्मी १५) रू० मन

किन्तु गेहूं के भाव अधिक न गिरें और न बढ़े, इसलिए प्रोक्योरमेंट करने की नौबत ही पेश नहीं हुई। हालांकि बहुतसी मंडियों में इस बात की तैयारी के लिये सरकार ने अपने माल खरीदने वाले लोगों को मुकर्रर भी कर दिया था। पर जो गेहूं की दरें निश्चित की थीं उन दरों से गेहूं कहीं पर भी नीचे नहीं गिरा इसलिये प्रोक्योरमेंट करने की नौबत पेश नहीं हुई। इसलिये किसानों के बारे में यह कहना कि उनकी हमें चिन्ता नहीं थी, ठीक नहीं है। हमने बराबर चिन्ता की थी और सौभाग्य से कीमतें इन से नीचे नहीं गिरी और किसानों से प्रोक्योर करने की आवश्यकता नहीं पेश हुई।"

तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था।

किन्तु गेहूं के भाव अधिक न गिरे और न बढ़े, इसलिये नहीं किया गया। अप्रेल १९६३ के बाद खाद्यान्नों के भाव कुछ बढ़े जिनका कि मुख्य कारण वर्षा में विलम्ब तथा मण्डियों में वर्षा ऋतु के कारण अनाज के आने में कमी थी।

वर्तमान वर्ष के आरम्भ से ही जिलाधीशों को निर्देश दे दिये गये थे कि जहां और जितनी दुकानें खाद्यान्नों की खोलना चाहें खोल सकते हैं। इसका अभिप्राय यह था कि सस्ता अनाज जनता को मिल जाने पर भाव बढ़ न सकें क्योंकि खाद्यान्नों के भाव अधिक नहीं बढ़ सके थे, इसलिए सस्ते गेहूं की दूकानें राज्य में अधिक मात्रा में नहीं खोली जा सकीं। साधारणतया १५) रु० से १५.२५ न० पै० तक का भाव आयात गेहूं का रहता है। जब खाद्यान्नों के भाव इस भाव से कुछ अधिक होते हैं तभी जनता उक्त दरों पर आयात किये हुए गेहूं को खरीदती है। इस समय केवल बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही जिले में भी कुछ सस्ते अनाज की दूकानें खुली हुई हैं। अन्य स्थान

# Page No 44



(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर भाव अधिक नहीं बढ़े होने से सस्ते अनाज के दुकानों की मांग नहीं आई हुई है। भारत सरकार के पास अधिक मात्रा में आयात किये हुए गेहूं भण्डारों में जो राज्य ने यत्र तत्र कायम किये हुए हैं विद्यमान हैं। राजस्थान में गत नवम्बर से अब तक प्रतिमास विदेशी गेहूं जो प्राप्त किया गया है उसका विवरण इस प्रकार से है। यानी जो फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं उससे आप अन्दाजा लगायेंगे कि इस गेहूं का १५.१५ न० पै० के ऊपर किस प्रकार नवम्बर के बाद गिरते गये हैं और कुछ महीनों में जाकर मार्च में जब भाव ऊंचे होते हैं तो भाव कम बढ़े हैं: "नवम्बर १९६२ में १११४ टन प्राप्त हुआ, दिसम्बर में १०१३ टन, जनवरी १९६३ में १९२ टन, फरवरी में ३१५ टन, मार्च में ९४ टन, अप्रेल में ६६ टन, मई में १७४ टन, जून में १७४ टन, जुलाई में ३६४ टन और अगस्त में ८४९ टन गेहूं प्राप्त हुआ।" इस प्रकार से जब थोड़े माल की मांग हुई तो हमने पहुंचा दिया और अभी भी छूट है कि कहीं भाव की बढ़ोतरी हो और आप सब जानते होंगे कि गेहूं का भाव आम तौर से जो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का गेहूं है उसका भाव उस समय २०), २१) रुपये तक चलता है और घटिये से घटिये गेहूं का भाव १५),१६),१७), १८) व १९) रुपये का रहता है। तो १५) रु० से लेकर २०), २१) रुपये के भाव में गेहूं बिकता है और यही सब प्रकार के धानों में २), ३) रुपये का क्वालिटी के ऊपर फर्क है। चाहे वह चना हो, जौ हो और चाहे दूसरा अनाज हो। उनकी कीमतें इसी प्रकार से बाजार में चल रही हैं।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सस्ते गल्ले की दूकानें तुरन्त ही मांग के अनुसार खोली जा सकती हैं।

राजस्थान के खाद्यान्नों में व्यापार सन् १९५८ से ही लाइसेन्स किया हुआ है। राजस्थान खाद्यान्न लाइसेन्स, १९५८ के तहत कोई व्यक्ति जो ५० मन या उससे अधिक मात्रा के अनाज में व्यापार करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह उक्त आदेश के अन्तर्गत सेन्स प्राप्त करे। इसी आदेश के अन्तर्गत गत व्यापारियों को अपने स्टॉक आदि की सूचना जिलाधीशों को देनी पड़ती है। लाइसेन्सदारों को अपने लेन-देन के हिसाब भी जिलाधीश, त ..दारों के निर्देशानुसार रखने पड़ते हैं। जो व्यापारी लाइसेन्सिग ऑर्डर के अन्तर्गत तय की हुई शरायत के अनुसार व्यापार नहीं करते हैं उनके विरुद्ध एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ एक्ट, १९५५ के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

खाद्यान्नों के स्टॉक्स को जमा करने से बचाने के लिए राजस्थान में राजस्थान (सेल ऑफ स्टाक) ऑर्डर और राजस्थान ग्राम एण्ड बारले (सेल ऑफ स्टॉक्स) ऑर्डर भी विद्यमान हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार उक्त खाद्यान्नों के भण्डारों को किसी अधिकृत व्यक्ति को दिलाने या बेचने के आदेश दे सकती है।

खाद्यान्नों की वस्तुओं के भावों को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की (जिसमें व्यापारी वर्ग तथा अन्य मोतबिर आदमी भी सम्मिलित हैं) जिला विजिलेन्स कमेटी कायम कर दी है। यह कमेटी समय समय पर अपनी बैठक बुलाती है तथा भावों के रुख का अध्ययन करती है एवं उनको बढ़ने से रोकने के लिए सुझाव देती है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अप्रेल, १९६२, अप्रेल, १९६३ तथा अगस्त, १९६३ के बाजार भावों के फिगर्स जो कि सब अनाज के हैं मेरे पास में हैं, क्योंकि वही डेट्स इसलिए मेटिरियल हैं कि एमर्जेन्सी के तुरन्त पहले क्या भाव थे और उसके बाद क्या भाव हुए। जैसा कि सदन के सामने चर्चा का विषय था उन भावों की सूची १९६२ में क्या भाव थे इन तारीखों को और ६३ में क्या हैं, वे सदन को सारे जिलों के सब इकठ्ठे करके एक चार्ट के रूप में मैं यहां ले आया हूं। अगर मैं उस चार्ट को पढ़ूंगा तो वह चार्ट बहुत लम्बा है और समय बहुत ज्यादा लग जायेगा। इसलिए मैं उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन फिर भी कुछ जानकारी देने के लिए दो तीन जिलों के आंकड़े बता सकता हूं जिससे आप महसूस करेंगे कि यद्यपि जो १९६३ के भाव हैं वे १९६२ की इन तारीखों के भावों से बहुत कम हैं। जैसे अजमेर में ही १९६२ के अन्दर जो भाव गेहूं के अप्रेल थे वे ४१ रुपये प्रति क्विन्टल थे और १९६३ में ३८) रुपये प्रति क्विन्टल हैं। इसी तरह से अगस्त के महीने के भाव ५२)रु. प्रति क्विन्टल के हैं। तो इस समय भी ५२) रुपये का भाव है। यानी करीब करीब बराबर हैं। इसी तरह से मेरे पास व्हीट के, बारले के और ग्राम के सब के भाव हैं...

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): ये होलसेल प्राइस हैं या कन्ज्यूमर्स?

**श्री नाथूराम मिर्धा**: होलसेल प्राइस जो कि मार्केट के अन्दर कोट की जाती है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एमर्जेन्सी के बाद भावों के अन्दर जैसा मैंने कहा कि लगभग स्थिरता रही है। यह मैंने नहीं कहा कि सारी चीजें जैसी हैं वे वैसी की वैसी ही रह गई हैं। मैंने कहा है कि लगभग स्थिरता रही है। किसानों के लाटों के सम्बन्ध में भी हो रही है और जो भाव बढ़ जाते हैं करीब करीब एक क्विन्टल पर आप फर्क देखेंगे, हारवेस्टिंग टाइम के यानी ६–८ महीने के बाद एक क्विंटल में करीब करीब ८), १०) रुपये तक का फर्क पड़ता है। तो एक मन के पीछे ५), ६) रुपये जो कि किसानों के लाटों के भाव के और जो बेचने वाले हैं उसके भाव के बीच में अन्तर पड़ता है। अब इसके अन्दर कितना अन्तर वाजिब है उसमें कितना स्टॉक करने के लिये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पैसा है, कितनी छीजत है, नुकसान है, स्टोर का खर्चा है, ट्रान्सपोर्ट का खर्चा है; इन सारी चीजों का अन्दाजा लगायें और वह स्टेट ट्रेडिंग जहां कि बहुत एफीशियेन्टली एक अच्छे से अच्छा व्यापारी करके देखें तो लागत, छीजत और सारी बातों का खर्चा करीब करीब ४॥) रुपये एक साल के अन्दर कीमत आती है। अच्छे से अच्छा व्यापारी धंधा करे तो ४॥) रुपये की लागत आती है। अगर उसमें व्यापारी बेचता है ५), ६) रुपये में बेचता है....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): ४॥) रुपये प्रति क्विन्टल या प्रतिवर्ष या क्या?

**श्री नाथूराम मिर्धा**: प्रतिमन।

**श्री मानिकचन्द सुराणा**: व्यापारी तो ।) आने मन पर व्यापार करता है और हजारों रुपये बचाता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: लागत का जो खर्चा है उसको आप नहीं जोड़ रहे हैं। मैं लागत के खर्चे की बात करता हूं।

Page No 46



**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं होलसेल कोआॅपरेटिव का चेयरमैन हूं, मुझे मालूम है २) रुपये की लागत आती है और आप ४॥) रुपये की कह रहे हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप एक चीज की बात करते हैं। मैं ओन दी होल अनाज और किसान जो चीजें पैदा करते हैं जैसे दूर से लाकर पहुंचाना पड़ता है, रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है इसमें कम से कम ३॥) या ४) रुपये एक मन के ऊपर खर्चा आ जाता है, यह हमारी मान्यता है जो कि स्टेट ट्रेडिंग के समय में करके देखा है। अगर आप इस तरह से बहस में चले जायेंगे तो ४ दिन में भी यह डिबेट समाप्त नहीं होगी........

**श्री मुरलीधर व्यास** : एक प्रश्न है...

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय को बोलने दिया जाये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं कह रहा हूं कि किसानों की जो चिन्ता कर रहे थे और कन्ज्यूमर्स की चिन्ता कर रहे थे उसके बीच में जो व्यापार चल रहा है जो कि बिलकुल अन्डिस्टर्ब्ड था उसमे जितना अन्तर रहता है उसमें एफीशियेन्टली करें तो कितना कम कर सकते हैं। २॥) रुपये तीन रुपये कम कर सकते हैं और उसको करने के लिये सरकार रेगुलेटेड मार्केट बनाने का कानून बना रखा है यह सारी चीजें किसानों के लिए नई एजेंसीज बनाई जा रही हैं उनका उपयोग करने के लिये किसानों को आपको सिखाना होगा। इसके लिए आपको प्रचार करना है और वह काम आप नहीं करेंगे, आप तो क्रिटीसाइज करेंगे।

इसलिए बातें बहुत लम्बी-चौड़ी आसानी से कही जा सकती है, पर जहां काम करने की आवश्यकता है, किसानों से करवाने की आवश्यकता है, जहां समझाने की आवश्यकता है, जहां बताने की आवश्यकता है उस पर अगर करें और आॅल्टर्नेटिव चैनल्स कानून की स्थिति अपने पास मौजूद है, कोआॅपरेटिव मार्केटिंग को डेवलप करें, रेग्युलेटेड मार्केटिंग को डेवलप करना है, तो बहुत सी चीजें, किसानों के प्रोड्यूस की उन चैनल्स के मारफत करें। इससे आप किसानों को पैसा ज्यादा दिला सकते हैं, कन्ज्यूमर का भी फायदा कर सकते हैं। उस एजेन्सी को सदन के इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हमेशा ध्यान में रखते हैं। मैंने कहा कि भावों का लगभग एक स्तर रहा है एमर्जेन्सी के बाद में भी। इसके आंकड़े मैं सदन में पेश करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य देखना चाहें इनको देखलें। उसके बाद कुछ चर्चा की जरूरत होगी तो कर लेंगे और उसके बारे में कोई सवाल पैदा होंगे तो मैं जवाब दूंगा।

खास तौर से चावल की बात कही तो चावल तो कन्ट्रोल का मामला है। चावल यहां ज्यादा पैदा नहीं होता है, थोड़े से इलाके में होता है। कुछ बढ़िया होता है, बाकी घटिया होता है। वह नॉर्मल ट्रेड में बिक जाता है। चावल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। उसका बंधा हुआ तरीका है। गवर्नमेंट के बेसिस पर चावल यहां आता है और गवर्नमेंट जिनको एजेन्ट मुकर्रर करती है, खास तौर से क्रय-विक्रय संघ यहां पिछले ३ सालों से काम कर रहा है, वे बेचते हैं। घटिया किस्म का जो चावल है उसके लिए हम एक्सपोर्ट परमिट चावल जो यहां से भेजा करते हैं उन लोगों को देते हैं। चावल का एक अलग सा प्रश्न है। उस प्रश्न को खाद्या-

# Page No 47



(श्री नाथूराम मिर्धा)

न्नों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन जो ज्वार, बाजरा, मक्का, पल्सेज़ हैं उनका कम भाव रहा है। जो मैंने स्थिति बताने की कोशिश की है सदन को वह सही की है। आप इस स्टेटमेंट के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको संतोष होगा। आपको मालूम होगा कि लगभग स्थिरता रही है। उस नतीजे पर आप पहुंचेंगे जब तक कि वह बात नहीं हो कि हर एक बात में सुपरलेटिव बात करें, चाहे फैक्ट्स कुछ भी हों। वह बात अलग है। उसका कोई जवाब नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष, मैं सोचता हूं कि मैंने सदन के सामने जो बातें रखी हैं उनसे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे। वे चार्ट को देखेंगे तो उनको लाभ होगा और वे भी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : राजस्थान एग्रीकलचर युनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक बात पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : राजस्थान एग्रीकलचर युनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह जो स्टेटमेंट ले डाउन किया गया है उसके साथ रिटेल प्राइसेज़ का स्टेटमेंट भी हाउस की टेबल पर डाल दिया जाय तो ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : दिया है, मंत्री महोदय कह रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : यह होलसेल प्राइसेज़ का दिया है स्टेटमेंट। इसके साथ ही साथ रिटेल प्राइसेज़ का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट हाउस की टेबल पर रख दिया जाय तो ठीक रहेगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : रिटेल में कितना फर्क होता है, उसका आप अन्दाज लगा लें। आप कहेंगे तो उसका भी एक चार्ट बना दूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : ये जो आंकड़े रखे हैं गलत हैं। मैंने स्वयं ने ३५) रुपये मन के भाव से जो खरीदे थे और २२) रुपये मन के भाव से बेचे हैं। इस तरह से १३) रुपये मन का घाटा खाया है। ३०) रुपये मन की मक्का ली हुई २५) रुपये मन में बेची थी।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : यह आप बड़ी मंडियों की बात करते हैं, लेकिन जहां कि मंडियां नहीं हैं वहां के लिए मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी में क्या भाव था...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, और मौके आयेंगे आपको भाषण देने के लिए।

**श्री हीराभाई** : थोड़ा सा कर लेता हूं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : लम्बा कीजिये लेकिन मौके पर कीजिये।

(४.३७ म० प०)

## राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३

(पुरः स्थापन)

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी (एमेंडमेंट) बिल, १९६३, को

( श्री नाथूराम मिर्धा )

पुरः स्थापित कर के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान युनिवर्सिटी ( एमेंडमेंट ) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

## राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६३

( पुरःस्थापन )

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप मन्त्री, राजस्व ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू ( एमेंडमेंट ) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

## जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३

( पुरःस्थापन )

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जयपुर सूद सदावर्त्त फण्ड एडमिस्ट्रेशन बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान का जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महादय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

## गैर सरकारी विधायी कार्य

## राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३

( जनमत हेतु प्रसारित )

**श्री अध्यक्ष** : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि जो गैर-सरकारी विधायी कार्य रखा गया है और तीन विधेयक सदन के समक्ष हैं, उनके सम्बन्ध में सामान्य तौर से बहस की व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी :

डेढ़ घण्टा; राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट बिल, १९६३ के लिए।

डेढ़ घण्टा; राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् ( संशोधन ) विधेयक, १९६३ के लिए, और

जो समय बचेगा वह राजस्थान टीनेन्सी (एमेंडमेंट) बिल, १९६३, के लिये रखा जायगा।

( विराम )

रानी लक्ष्मीकुमारी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौंहरी बाजार, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, यह सूची संख्या २ राजस्थान टीनेन्सी संशोधन विधेयक के संबन्ध में और मैंने जो संशोधन दिया था वह लैंड रेवेन्यू(एमेंडमेंट)बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से था उस पर विचार किया था । यह गलती से इस सरक्यूलर में टाइप हो गया है । यह बाद में लैप्स न हो, इसलिए इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

***श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत(भीम):** अध्यक्ष महोदय, संस्कृति शब्द रो अर्थ घणों विशाल है । संस्कृति रा घणां घणां अंग अर पहलू है । संस्कृति में साहित्य, शिक्षा, कला कौशल शिल्प, गढ़, कोठ,किला म्हेल-मालिया रीत रिवाज,तेजीब, तमीज नांचगाणां, सब आय जावे । धरवट रजवट सब आय जावें । थोड़ा आखरां में संस्कृति वा चीज है जो मिनख नै मिनख बणावे । आंपणी राजस्थानी संस्कृति री थोड़ीसीक मोटी मोटी खूबियां माथे,थोड़ाक आखरां में थोड़ीक आप सिरदारां नै अरज करूंला ।

आपां राणा प्रताप ने आंजसा, आंपणी पीढ्यां आंजसे, आंपणो मुलक आंजसे । वीं सूरमा प्रताप में ई एक दांण कचाई आयगी कमजोरी आयगी । उण बेला आंपणे एक एक दूहे बाजी राख लीधी । दो ओलां रे दूहे ढीली पड़ी कमर नै कस लीधी । सूरमा ऊबरलां सूरमा प्रताप जेड़ा सूरमा नै डिगता भाखर ने थेगो दे थाम ले उण साहित्य रो कांई तो मोल, कांई तोल । कदे ई एड़ा साहित्य रा मोल तोल व्हिया है ?

वीर रस री बात जावा दो, आप भगती रस री बात लो । आज लग धरती रा पाठा माथे मीरा जेडी कुण लुगाई व्ही है ? विद्वानां रो केणो है, साहित्य रा बारखियां रो मानणो है साहित्य री नजर सूं कांई रस री नजर सूं कांई लोकप्रियता री नजर सूं, कांई एड़ी लुगाई संसार में नीं व्ही। गांव गांव में, घर घर में मीरां रा भजन चाव सूं गाइजे; आंपणां मुलक में रा ईं खूणां सूं लगाय वीं खूणां तांई चौखूंट में गाईजे चावे; वे पंजाबी बोल बा वाला व्हो, बंगाली बोलवा वाला व्हो, गुजराती बोलवा वाला व्हो । म्हें तो लियो सांवरिया नै मोल । एड़ा बोल वो ईं ज कै सके जो मार्मिक भावां रो समझू व्हे, जण माणस रो पारखी व्हे पोंचियोड़ा मिनख बिना कोई कै सकै असी बात ? मीरां आंपणी ज संस्कृति री फरकती थकी धजा री ऊजला रंग री पट्टी है ।

आंपांणो वीर रस र भगती रस जेड़ो ऊजलो है एड़ो ई शृंगार रस ईं अजब गजब रो है । यां आंपणीज, आंपणां राज री ज, आंपणां साहित्य री, ज आंपणी संस्कृति री ज खूबी है के जठे वीर रस अर शृंगार रस मिल एक रस व्हेगिया है । नवीं परणी हाडी राणी री सैनाणी मायनूं वीर रस नै अर शृंगार रस नै न्यारो न्यारो काढणी आवे ? हथलेवो छोड गायां री भोर पे दौडाणयां पाबू री कडां में शृंगार रस बत्तो है कै वीर रस बजो है कोई बताय सके ?

राजस्थान रो लोक साहित्य री मोटी खूबी इण री लोक वार्ता है । यूं तो लोक वर्ता सगली जगा लाधे, यू० पी० में आल्या ऊदल, पंजाब में हीर रांझा, सिंध में ससि पुन्यू । यूं तो छोटी मोटी, घणी थोड़ी वार्ता सगली जायगा है । पण आंपां रे अठे यां रो खजानों है । कथाणकां में, पात्रां में, चरित्रां में आंपा री वातां री कोई मुकाबलो ई नीं, जोड़ नीं, टक्करी नीं, कान्हड़दे बीरमदे, जगमाल मालावत री बादरी पराक्रम सूं पराक्रम सूं भरी वातां जाने सुणता सुणावतां

*अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार माननीय सदस्य से लिखित भाषण लेकर मुद्रित कराया गया ।

# Page No 50



( श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत )

रू' रू' ऊभो व्हे। प्रेम अर बलिदान सूं भरियोड़ी खींवा आमलदे, जलाल बूबना, सोरठ बींझां री बातां री सौरभ सूं ओ जूं राजस्थान गिरणाय रियो है। यां वातां नै चौतार चौतार जतरी गरव सूं छाती फूले मन हरखे, हिवड़ो हुलसे। अतरो ई दुख व्हे, कालेजो कटे, जीव अमुजे यो देख न व्हे के यां अमोलक वातां पै जाला जमरिया है, रतन रेत में रूल रिया है, यां नै कोई समझा वालो नीं, यां री कोई कदर करणियों नीं। जो प्रान्तां मायनै एक के दो ई टक्कर री वातां है वठा वाला वांका पै आंजसता धापे नीं; रिसर्चा कर कर मोटी मोटी पोथियां वांका पै मांड राखी है। पण आंपां रे तो एड़ो काम करवा री कोई व्यवस्था ई कोयनीं, कोई एड़ी संस्था ई कोयनी, राज रो धियान ई कोयनी। आपां आंपा री या वाता नै बिसार दांला तो आपां आपां रा बेटा पोता कसीं वातां माथे बेले बणावेला? कसी वातां माथे ओपेरा रा सुर जमावेला? राजस्थान रा रंगमंच पै पेस करवा नै राजस्थान रा कलाकार कनें रेवेला कांई? यो टैगोर थियेटर आंपां बणायो इण में आंपणां पूर्वजां री आतमां रे लारे टैगोर री आतमा नीसासा नांखेला, दुख रा आंसूड़ां रलकावेला।

लोक संगीत ई संस्कृति रो मोटो अंग व्हे। विजोग री बासदी सूं दाझियोड़ा, अंतर सूं झर झर बेवता प्रेम रा इमरत सूं भरियोड़ा वे राजस्थान रा लोकगीत उणा रो केवणों कांई? किण मुलक रे कनै एड़ा अमोलक रतन है। जेसलमेर री रलियावणी, रातां री मूमल पिछोला री झोलखेती पणियारी, आड़ावला रा घाट में, जलामारू रा डेरा, निरखण आई री रंगभीणी रागणी, मारवाड़ री मन भावणी मांढा। कालिदास रा मेघदूत री नांई सजोरी कुरजां, घूम घूमाली घूमर, लूंब लूंबालो गोरबंद। यां राजस्थान रा गीतां नै कुण संवारेला? कुण अवेरेला? कुण संजावेला? नवा राजस्थान रा नवा जुग में यां नै नवा रूप सूं राखणो है के नीं?

लोकगीत ई ज ईकांई गति अर यति सूं पोला पोल ओरांगणा लोक नृत्य ओछी माया नीं है। घूम घूंमाली घूमर, ताती माती गेरा करकाती फूंदी, ये राजस्थान रा जपा जीवण री सरजीवणी बूंटी है, बूंटी। भीलवाड़ा रा भीलां रा थाली मादल रा नाच, आडावला रा गिरासिया रा सामूहिक नाच, जठे हजारां नर नारी एक ताल पै पग देता नाचे। हजारां लोग लुगाई भेला व्हेन नांचे पण मजाल कांई के एक ताल खिडत व्हे जावे के एक पग वांको चुको पड़ जावे। आपणी ई मदमाती लोक संस्कृति नै कांई लोप व्हेवा देणी है? लोप नीं व्हेवा देणी है तो या काम कुण करेला?

राजस्थानी लोक संस्कृति रा घणां घणा रूप है। आंपणां तेंवार, रागरंग, आणंद उच्छाह, प्रेरणा उमंग सूं भरियोड़ा तो है ई ज पण सामूहिक भावनां आंपांरा तेंवारा री मोटी खूबी है। जेड़ी भावनां रो झीणपणो है एड़ो ई ऊकणतो आपोण है। यां रा मांयने है। आंपणी सावण री तीजां होंवा, फागण री फागां, गिणगौरां, संकरात रा दड़ा, दसरावा रा चौगनिया, एड़ा और जगा है कठे? दिन दिन यांरो लोप व्हेतो जाय रियां है। आंपां आंपां रा रतना नै रुलाय रिया हां। दूजी जगावाला वां रा तेंवारा नै नवा नवा रूप दे जन जागृति कर रिया है। महाराष्ट्र नै देखो, गणेश चौथ उणां रो

( श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत )

राष्ट्रीय तैंवार व्हे गियो है। बंगाल में पूजा रो तैंवार कांई एक पर्व है। नाटक, ड्रामा कविता पाठ. लेक्चर, गाणां बजाणां, भांत भांत रो सजावटां। इण मौका पे वे सजावटां रा भीणां पणां ने उघाड़ उघाड़ मूंडागे राख दे। आंपां र तैंवारा में नवी जोत जगावा की क्षमता कोयनीं है कांई ? है क्यूं कोयनीं, घणी है, पण करे कुण ? करावे कुण ? आज आंपा रे इन्स्टीट्यूट व्हे तो यां री रिवाइ-वल व्हे।

आंपांणा तेंवार ई ज कांई आंपांणी पोसाकां ई देखो। आंपणी पोसाका में कतरो रंग है। दूजा मुल्कां का मिनख आंपां रा रंगां ने देख हुलसावै, चकतमार व्हे जावै। आंपणी जेड़ी सुरंगी, बोरंगी पोसाकां कठै ई कोयनीं। पोसाकां रो नांम लेता म्हारे वो दिन याद आये जावे। केई वरसां पैली नेहरू जी उदैपुर पधारिया। सभा में भाषण कर रिया। सभा जम री रंग त्रिरंगी, सुरंगी पोसाकां, लेरियां, मोठड़ा, चूंदड़ियां, साफां पागड़ियां, जांणे आकूरो खेत फूलियो। नेहरू-जीं देखिया, मुलकिया राजी व्हिया। पछे बोलिया, "मेवाडां ओर थां थांरी सगली चीजां ने भूल जाजो पण थांरा रंगां ने मत भूलजो"। आंपणां प्रधान मन्त्री आंपणी संस्कृति रो मोल परखियो जो तो आंपां सारू हरख अर आंजस री बात है, पण वां जो भलावण आंपां ने दीधी उण रो मांयनो परम समझणिया कतराक हैं ? उण रो ऊंडो अरथ जांणणियां कतराक है ? आंपणी संस्कृति ने संभाल राखवा रो, पाछी जीवतो करवा रो अर विकास करवा रा कांम वां आंपा ने भलायो वीं में आंपां कांई कीधो ? करणो तो अलगो रियो वीं मारगा माथे पांवड़ो ई नीं मेलियो। सांच पूछो तो यां पाछला पनरा बीस बरसां मे आंपा री संस्कृति ने छिटकाई, उण सूं अगला भागिया, उण री उपेक्षा करी। डूंगरपुर री भीलडियां राती पीली व्ही, रंगीवंगी फिरती उणां ने सुधार रा नांम माथै धोला पैराय दीधा, उणां री मस्ती खोस लीधी। नेहरू जी रो भलायो काम करवा रो मतलब यो व्हे के आपां एड़ी इन्स्टीट्यूट कायम करां, जो ई कांम ने हाथ में झेलें। आंपणी संस्कृति री कांई कांई चीज गिणावूं। कठा तांई गिणावूं। आंपणी शिल्प ई ले लो। कतरी खूबियां है, कतरो रूप है। जैसलमेर रा जालदार झरोखा, मंडोवर रा मालिया, पीछोला पे लटकता छाजा. व्हाला व्हैला जैपर री कवेलीदार छातियां, देलवाड़ा जेड़ा मन्दिर, रणथम्भोरे जेड़ा किला। ये आंपणों शिल्प रा नमूना है। देस परदेस रा लोग यां ने देख देख मूंडा भर भर बखांण करे।

ईंगलेंड रा नामी शिल्पज्ञ सर ह्यू कॉसम जी रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लन्दन रा प्रोफेसर है वां उदैपुर ओर जैपुर री घणी खोत सूं सोभा बखांणी है। उदैपुर सारू वां कहियो :

"The city stands in a valley amid green hills on the bank of a wide lake of steelblue water wity tiny islands. On these islands rise from the waters edge, palaces of pure white marble which glisten in sun light.

जैपुर री गिणती वां संसार रो सर्वश्रेष्ठ तीन नगरियां में कीधी। पेलां वेनिसा, दूजे पेरिसा, तीजो जैपुर। एक दूजे अंगरेज शिल्प शास्त्री लिखियो "अबे मर जावूं तो ई सोचनीं

( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत )

म्हें जैपुर देख लीधों । I have seen Jaipur and now I can die.

अमेरिका रा Mase Lerner लिखियो जैपुर तो गंधर्व नगरी है। उणां रा ई ज लफ्ज आपने सुणा दूं :

"You look at it and have the feeling you have in venice, that it is an invented city called up before your eyes by some daeman of the inpossible."

वां आगे कहियो :

"What Jaipur convinces you of is that miracles are still woven in our lives."

अबारूं तीन बरसां पैला रूस रा नामी कठपुतली रा कलाकार ओब्रोत्सजोव आया। उणां ने हूं जैपुर री नगरी दिखावण ने लैय न गी। चकतमांन व्हियां देखता रिया पछै बोलिया सैंतीस मुलकां में हूं गिया बठा री नांमी नांमी राजधानियां अर नगरियां देखी, पण जैपुर जेड़ी नंगरी म्हां रे देखणा में नां आई।

आपणे इण आर्किटक्चर री खूबियां समझण सारूं, नवा ढंग सूं विकास करवा सारूं एक खास संस्था री आज चावना नीं है कांई ? नीं है तो यो काम करेला कुण ? जै आंपां एड़ी संस्था कायम नीं करांला तो आपणां रूड़ा रूपाला शिल्प ने बिगाड़ रूप करूप कर नांखांला। इण री नजीर आपरी आंखियां आगे जौहरी बाजार है जठा री चौड़ी सरूप सड़क रे बीचों बीच थांमा गाड़, रूंखड़ा रोप जैपुर नंगरी रा नांक ने रूप करूप कर नांखियो। इण री नजीर आपरे मूंडागे आपणों रविन्द्र थियेटर है, लाखां रिपिया लगाय आंपां बणायो पण जैपुर रा नामनदार शिल्प रे अध बीचे, छतरियां वाला अजबघर रे साम्हों सामह थेगलो लगायो व्हें ज्यूं ऊभो है। आपां एड़ी संस्था नीं बणावांला तो इण थियेटर जेड़ा थेगला जगा जगा ऊभा कर आंपणां सुंहावणा, सुघड़ शिल्प ने दसा बिगाड़ कर दांला।

दूजा मुलकां वाला आप आपरी लोक संस्कृति ने प्रिजर्व करवाने रिवाइव करवा ने डेवेलप करवा में, कोई कांण कसर नी राख रिया है। म्हूं वां मोटा मोटा मुलकां री, रूस जेड़ा देसां री बातनीं करूं जो करोड़ा रिपिया लगायरिया है। म्हूं लेनिनग्राड़ री पुश्किन इन्स्टीट्यूट री नजीर कोनी देवूं, ताशकंद री अकादमी री नजीर ई कोनी दू जठे एक अकादमी रे नीचे पूरी अट्टारा इन्स्टीट्यूट कांम करे। बठे तो लोक संस्कृति रा एक एक अंग पे, एक एक इन्स्टीट्यूट है। म्हूं तो आपने नजीर देवूं रूमानिया और नार्वे जेड़ा छोटा मुलका की। रूमानियां आंपणा राजस्थान रो मुश्किल सूं पूणो व्हेला, जठा री आबादी आंपां सूं तीन चौथाई व्हेला। पण बठे एड़ा छोटा सा देस में ईं थजब रो काम व्हेरियो है। बठे सौ सौ दो सौ दो सौ बरसा रा जूनां घरां ने यं रा यूं साबता रा साबता नींव सींव सूधी उठाय उठाय लोक संस्कृति रा म्युजियम में लाय मेल्ह दीधा हैं। एक एक नाच री फिल्मा उतार लीधी हैं। एक एक लोकगीत री ओल् ओल् ने रिकोर्ड कर लीधी है। रंगा पे, पौसाकां पे, तेवांरा पे, आर्किटेक्चर पे, बठे शोध करे, संग्रह करे, डेवेलप करे, रिवाइव करे अर उण सूं जनता में जागृति पैदा करे। बठा रो बच्चो बच्चो आप री लोक संस्कृति पे आंजस करें। नार्वे रा लोक संस्कृति रो अजायबघर तो

( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत )

पूरी बस्ती री बस्ती है। दुनिया ये ई ज कांई सगला ई मुलकां में लोक संस्कृति रो घणो काम व्हेय रियो है। ग्रांखियां मींचियां तो ग्रापां ई ज बैठिया हां। गा कि तो ग्रापां ई ज हां। कैई जणा कैवे कि एडी इन्स्टीच्यूट बणाय फजूल पैइसा री बरबादी करणी है। बांरी कोरी या ई ज मन्सा व्हे के ग्रांपां ने तो ग्रांपणी संस्कृति री दीवालो काढ़ ऊंधा तालो जड़ माथे ताखड़ो ग्रोढ न बैठ जाणो है जदी तो बात न्यारी। पण ग्राज म्हूं चेताय री हूं के ग्रबारां ग्रांपां नीं चेतिया तो पछे पछतावाला, ग्रबारूं या ग्रणमोल रतनां ने तो गमाय देवालां पछे सीखिलिया रेय जावेला जांने बैठिया भेला करजो।

सायर हटियो, जल फटियो,

मांणक रलंवलियाह।

रीति बिखोटा मांणसा,

सांखोटा चणियह।

मांणक तो परा जावैला बैठा कौडियां सांवालियां वीण जो पछै। ग्राज ग्रांपां यां ने ग्रबरे न नीं राखिया है तो ग्रागे ग्रावा वाली पीढी कदै ई ग्रांपां न माफ नीं करेला। ग्रांपणी ई संस्कृति ने संभालिया विनां नीं जोधाणो जोधाणी रेला, नीं बीकाणा बीकाणो रेला नीं उदियाणो ई उदियाणो रेवैला।

म्हारी तो ग्राप सारा सरदारां ने याई ग्रर्ज है के ग्रांपणी पाछली ग्रर ग्रागली पीढियां दर पीढियां री रजवट ग्रर धरवट ने कायम राखणी है तो ग्राप इण बिल ने सर्व सम्मति सूं पास करावो।

(५.०० म० प०)

( श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन )

**श्री ग्रब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने राजस्थानी कल्चर को महफूज रखने के लिये इस बिल को सदन के समक्ष रखा है ग्रौर इस मंशा को जाहिर किया है कि हमारे पूर्वजों के रहन-सहन, खान-पान, बातचीत ग्रादि चीजों को किस प्रकार महफूज रख सकें ताकि ग्राने वाली पीढ़ियें ग्रासानी के साथ इस बात को व्यक्त कर सकें कि हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे ग्रौर हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी ? वास्तव में सदस्य महोदया के ख्यालात बहुत नेक हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस समय भी राजस्थान सरकार की तरफ से पी. ग्रॉर. ग्रो. काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च इन्सटीच्यूशन हैं, जन सम्पर्क कार्यालय काम कर रहे हैं, एज्यूकेशनल इन्स्टीच्यूशन्स हैं, हिस्टोरियन्स इस मामले में रिसर्च करते हैं, ग्रार्क्योलोजिकल विभाग हैं, ये सब विभाग ग्रपना ग्रपना कार्य कर रहे हैं ग्रौर सरकार की तरफ से भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं कि जो पुरानी इमारतें ग्रौर खंडहर हैं उनको किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। साथ ही पुराने फोटोज उपलब्ध हों उनको संग्रहालय में रखा जावे, ताकि हमारे भूतकाल का वर्णन हमारी भविष्य में ग्राने वाली पीढ़ियां कर सके। ग्रगर इस बिल की मंशा यही हो कि इस प्रकार का इन्स्टीच्यूशन कायम करें जिसमें राजस्थान का कल्चर ही हो, दूसरा नहीं तो मैं यह कहूंगा कि यह बात इस प्रगतिशील युग में ठीक नहीं होगी

( श्री अब्दुलजब्बार )

और चल नहीं सकेगी क्योंकि इसमें केवल वही लोग अधिकांश भाग लेंगे और सहयोग देंगे जो राजस्थानी कल्चर में उत्सुक होंगे और दूसरे लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह एक बिल्कुल केवल स्कीम हो जावेगी। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक कई भाषाएं बोली जाती हैं। उदयपुर में मेवाड़ी, अजमेर में और भाषा बोली जाती है, झुंझुनू में शेखावाटी की भाषा और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में अलग भाषा बोली जाती है। इस प्रकार एक भाषा नहीं है। इस कारण भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सही रूप से और अच्छे ढंग से विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी के सामने रख दिया जावे, जहां पर इस पर विचार अच्छी तरह से हो सके कि कोई इस प्रकार का इन्स्टीट्यूशन कायम किया जावे या नहीं और अगर किया जावेगा तो उसका क्या असर होगा। गवर्नमेंट खुद इस बात के लिये उत्सुक है कि राजस्थान का कल्चर सुरक्षित रहे और इसके लिये गवर्नमेंट ने पी. आर. ओ. और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स खोल रखे हैं जिससे राजस्थान का कल्चर सुरक्षित रहे। माउन्ट आबू, उदयपुर के महल, जयपुर के बाजार, महल, आदि केफोटोज व किसी प्रकार के और खण्डहर हैं वे म्यूजियम और आर्क्योलोजिकल विभाग में रखे जाते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई स्पेशल चीज इसमें लेने का विचार हो तो सभापति महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे जो बैठकर इसके स्कोप पर पूरा पूरा विचार करे। क्योंकि इसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है। इसलिये इस राजस्थान के कल्चर को हटाकर इसका कोई दूसरा नाम रख दिया जावे तो अच्छी चीज होगी। क्योंकि अलग अलग जगह की संस्कृति अलग होती है। जैसे जोधपुर, बीकानेर में फर्क है और उदयपुर में और जयपुर में आपको बहुत फर्क नजर आवेगा।

**श्री चन्दनमल बैद** (उप-मंत्री, उद्योग) : आप (श्रीमती चूंडावत) उदयपुर और बीकानेर दोनों को रिप्रेजेन्ट कर रही हैं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि आप जो गवर्निंग कौंसिल बनावें वह गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बड़ी बना दी जावे तो बहुत अच्छा होगा। इससे यह होगा कि जो एमाउन्ट चन्दे से इकट्ठा होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड होगा तो गवर्नमेंट मदद करेगी। इसलिये मैं कहूंगा कि यह इन्स्टीट्यूशन किस तरह के लोगों से चलाया जावे, कैसा हो; ये सब बातें सिलेक्ट कमेटी में तय होंगी कि आया यह गवर्नमेंट के द्वारा चलायी जाने वाली संस्था होगी या नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे।

**श्री सभापति** : श्री गंगासिंह।

**श्री गंगासिंह परिहार** (हिन्डौली) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल की भावना का सम्बन्ध है, मैं इससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं लेकिन इसमें ड्राफ्टिंग की बहुत कमियें हैं इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। इसमें जो गवर्निंग कौंसिल बनाने की बात क्लॉज (५) में है। उसकी तहत जो चेअरमैन का चुनाव होता है और चेअरमैन की नियुक्ति होती है और उसके पॉवर्स हैं इतने संकुचित कर दिये गये हैं कि कोई भी चेयरमैन वहां

( श्री गंगासिंह परिहार )

पर काम करना पसन्द नही करेगा और वह काम भी नहीं कर सकता। इसके अलावा गवर्निंग कौंसिल बनाई गई है, उसके जो मेम्बर्स हैं उसमें पांच तो स्टेट गवर्नमेंट के नोमिनी होंगे और एक विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुन कर जावेगा। यह विधान सभा द्वारा चुनाव की बात उचित नहीं होगी। विधान सभा तो सोवरिन बॉडी है, वह किसी एक्ट के रूप को बदल सकती है। इसकी तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेटिव चुना जाकर किसी बोडी में जाय तो वह उपयुक्त नहीं होगा। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का रिप्रेजेन्टेशन जो इसमें दिया है वह साफ नहीं है कि गवर्नमेंट किन किन आधारों पर इसका रिप्रेजेन्टेशन करेगी। वैसी सूरत में हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने मन माफिक रिप्रेजेन्टेशन दे दे और इस इन्स्टीट्यूशन का जो मकसद है वही खत्म हो जाय। इस सूरत में जबकि इसमें ड्राफ्टिंग की कमियां हैं, यह अच्छा होगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, जिससे कि यह बिल अच्छे स्वरूप में सदन में पेश हो सके।

( अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए )

**श्री सभापति** : श्री रामकिशन !

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि समय की बहुत कमी है; अतः बहुत संक्षेप में, पांच-पांच, सात-सात मिनट में अपनी बात रखें।

**श्री रामकिशन** ( वैर ) : सभापति महोदय, यह जो बिल आया है मैं उसकी भावना से पूर्णतः सहमत हूं। और माननीया सदस्या से अभी विचार सुने पर क्योंकि वे राजस्थानी बोली जो बोल रही थीं, ध्यान रहे मैं राजस्थानी भाषा को बोली नहीं कह रहा हूं, पूरी तरह समझ में नहीं आ सका। पर उन्होंने जो राजस्थान की संस्कृति का जिक्र किया है वह अपने आप में बहुत बहुमूल्य चीज है और इसको बढ़ाने की प्रवृत्ति राजस्थान सरकार और इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन की हो, इसमें दो राय नहीं। जो इस बिल में रखा है और उनके भाषण से मालूम हुआ उससे ऐसा लगता है कि वे इस कार्य को थोड़ा संक्षित कर रही हैं। भारतीय संस्कृति से राजस्थानी संस्कृति अलग कहां है। केवल पहनावा, लोकगीत और लोकनृत्य से ही कोई संस्कृति अलग नहीं हो जाती, किसी भी संस्कृति में इनके अलावा भी और चीजें होती हैं, हर क्षेत्र की संस्कृति में किन किन तत्वों का समावेश किया जाना चाहिये, यह एक विचारणीय विषय है। बिल में पहनावा, गाना, बजाना, नृत्य इन चीजों का जिक्र किया है और मैं समझता हूं इस दृष्टि से यह काफी है पर जब भारतीय संस्कृति से राजस्थानी संस्कृति को अलग करने का प्रयत्न करेंगे तो यह मामला बहुत विशिष्ट हो जाता है। इसलिए इसको अधिक समय के लिए विचार का मौका मिल सके, इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिये।

हर संस्कृति की परम्पराएं होती हैं, देन होती है। हम राजस्थानी संस्कृति को ४ भागों में बांट सकते हैं। प्रस्तावक महोदया ने तीन ही बातें रखी हैं, एक बात भूल गई हैं। राजस्थानी संस्कृति को सूरों की संस्कृति, सतियों की संस्कृति और संतों की संस्कृति कह सकते हैं, पर इसके अलावा शोषण की संस्कृति भी एक भाग है।

**श्री चन्दनमल वैद** ( उप-मंत्री,उद्योग) सामन्ती संस्कृति।

**श्री रामकिशन** : सामन्ती संस्कृति का भी बड़ा प्रभाव है। मैं शोषण की संस्कृति जान–बूझ कर कह रहा हूं। क्योंकि शोषण पुरातन शब्द है, और सामन्त नई सी चीज है। तो हम राजस्थान की संस्कृति को चार भागों में बांट सकते हैं, संत, सूर, सती और शोषण। प्रस्ताविका महोदया ने ३ का तो जिक्र किया है पर शोषण वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया। मुझे हंसी आ रही थी जब वे प्रधान मन्त्री का उल्लेख कर रहीं थीं कि प्रधान मंत्री ने राजस्थान के लोगों को बड़ा सराहा। किसी भी संस्कृति का यह सबसे भद्दा स्वरूप है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ लोगों का तालकटोरा में नृत्य हो, मैं नहीं कह सकता कि यह संस्कृति है। अगर संस्कृति की पूजा है तो घर में प्रदर्शन करें। खुद तो दूसरे तरीके से विचार करेंगे और गरीब आदिवासियों की पुरातन चीजों का, उनसे गरीबी का प्रदर्शन करायेंगे। मैं आदिवासी नृत्य का समर्थक हूं, आदिवासियों की भाषा का समर्थक हूं, पर यहां के सामन्तों ने, उच्च वर्ग के लोगों ने कोशिश की कि इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह खाना खाओ और इस तरह के गाने गाओ और उसको यदि हम संस्कृति कह दें तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, एक करोड़ ८० लाख लोगों के प्रति। २० लाख लोग ऐसे हैं जो पुराने–नये अर्थों में अपना मतलब निकाल लेते हैं।

माननीय सदस्या ने कुछ चीजों का जिक्र किया है। मैं उनके उद्देश्य से सहमत हूं। उन्होंने दूसरे मुल्कों का जिक्र किया है कि वहां पुरानी चीजों का संरक्षण किया जा रहा है। एकदिन मैं म्यूजियम में गया, मैं बहुत कम जाता हूं, पर मेरे बच्चे ने जिद्द की तो मुझे जाना पड़ा। वहां तीन चीजों को देख कर बड़ी निराशा हुई। वहां घुसते ही पहले तीन चीजें मिलेंगी। एक जगह लिखा है राजस्थान के मीणा-मीणी, उनके जरा चेहरे देखिये, बिल्कुल उदास, बिल्कुल सुस्त, कपड़ों की हालत बहुत खराब। उसके बगल में ही राजस्थान के सेठ-सेठाणी हैं, जिनके चेहरों पर प्रफुल्लिता है, चमक है, कपड़े रेशमी और सोने के जेवरों से लदे हुए हैं, आंखों में भी चमक है। फिर आगे हैं अर्द्ध नग्न नारियां। अर्द्ध नग्न नारियों का प्रदर्शन और इस तरह का प्रदर्शन ही अगर संस्कृति है तो इससे बड़ा संस्कृति का मखौल और नहीं हो सकता। यह हमारी प्रीमीटिव स्टेज, पूर्व रूपता है। इनको सुरक्षित रखने का एक ही अर्थ हो सकता है, उजबेगिस्तान, रूस में जो पुराने समय की चीजों को सुरक्षित रखा जाता है उसके लिए रूसी अधिकारी नेबोको का मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इन चीजों का संरक्षण इसलिए नहीं किया जाता कि इनसे कोई इतिहास को प्रेरणा मिलेगी बल्कि इनके पीछे उद्देश्य है कि जनता के दिलों में यह बात पैदा की जाय कि जार के युग में हमारी यह हालत हुई थी, कहीं वही जार का युग फिर से नहीं आ जाय।

सभापति महोदय, जहां तक इस बिल की व्यवस्था का प्रश्न है उसमें भी मुझे कुछ एतराज है, इन सब बातों पर प्रवर समिति में ही विचार किया जा सकता है। एक जगह लिखा है लेखक, चित्रकारों को आमन्त्रित किया जायगा। फिर लिखा है कि ललित कला, संगीत कला एकेडेमी के प्रतिनिधियों को भी लिया जायगा। सभापति महोदय, ललितकला, संगीत कला ये भी तो इसी तरह की ही प्रतिनिधि संस्थाएं हैं।

इसमें लिखा है कि ५ ख्यातिप्राप्त संस्कृत के विद्वानों को रखा जायगा। तो इस तरह

# Page No 57



( श्री रामकिशन )

हम जो प्रतिनिधित्व ऐसा रख रहे हैं कि वह एक ही वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा । मैं नहीं कहता कि माननीया सदस्या का यही विचार है । पर ७ वीं धारा में ऐसी ही स्थिति है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों पर अच्छी तरह तभी विचार कर सकते हैं जब कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । आसाम में नागा संस्कृति है, मध्य प्रदेश में गौड़ संस्कृति है, दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति है, राजस्थान की कौनसी संस्कृति है ? मीरां की संस्कृति का मैं प्रशंसक हूं, राणा प्रताप की संस्कृति आजादी की संस्कृति है, लेकिन ताल कटोरा में भीलों को नचाने वाली संस्कृति का मैं विरोधी हूं । आदिवासियों का अपने क्षेत्र में सामूहिक नाच हो पर तालकटोरा में ले जाकर प्राइम मिनिस्टर के सम्मुख नचाना, यह पुरानी गरीबी का प्रदर्शन है ।

तो मैं इस पर विशेष न कह कर इतना ही कहूंगा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय जिससे गम्भीरता से पूरे ढंग से इस पर विचार हो सके । अन्य जगहों पर तो व्यवस्था की है उसकी भी जानकारी मिल सके । दूसरे देशों में भाषा, भोजन, भावना के बारे में, संस्कृति क्या प्रभाव करती है इस पर भी विचार कर सकें ।

**श्री सभापति** : श्री विजयसिंह झाला ।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : सभापति महोदय, जो बिल माननीय सदस्या ने रखा है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं । मैं मानता हूं कि हमारे राजस्थान में हमारी संस्कृति की रक्षा ज्यादातर महिलाओं के द्वारा हुई थी और मुझे आज खुशी है कि एक महिला द्वारा ही इस प्रकार का बिल हमारे सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसके द्वारा यह चाहा गया है कि हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलना चाहिये, उसकी रक्षा होनी चाहिये ।

जहां तक राजस्थान में साहित्य का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बहुत से ऐसे गीत हैं, चाहे वे शृंगार रस के हों, या वीर रस के हों, जिस समय वे गीत गाये जाते हैं तो हमारी आंखों के सामने वैसा ही चित्र आ जाता है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का रस अन्य भाषाओं में नहीं है । लेकिन प्रश्न यह है कि वे गीत किसने लिखे, कब लिखे और कब तक रहेंगे ? इसकी कोई योजना नहीं ।

साथ ही साथ हमारी चित्र कला है वह मौसम के आधार पर बनाई गई हैं । मैंने देलवाड़ा में बहुत से चित्र देखे हैं जो छः ऋतुओं के आधार पर बनाये गये हैं । इस प्रकार के छः ऋतुओं के आधार पर बने हुये चित्र दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते । आज विदेशी लोग उन चित्रों को देखते हैं; अधिक से अधिक उनकी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं । लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी इस तरह की चित्रकला को सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है, उसको किसी भी प्रकार से प्रिजर्व नहीं कर रही है और उस ओर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । हमारी बहुत सी चित्रकला खंडहरों में बिखरी पड़ी है, लेकिन आज तक सरकार की ओर से यह कोशिश नहीं की गई कि उन खंडहरों में बिखरी पड़ी हुई जो चित्रकला है उसको सुरक्षित रखें । कैलाशपुरी में सास बहू का मन्दिर है उसको दिखाने के लिए मैं एक अंग्रेज को ले गया था । वहां की कला

( श्री विजयसिंह झाला )

को देख कर उसने कहा कि ब्रिटेन में इस प्रकार की कला देखने को नहीं मिलती। उसने कहा कि यह मेरा अधिकार है कहने का कि आगरे का जो ताजमहल है उसको मैंने देखा है और उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि सास बहू के मंदिर की जो कला है उसके बाद उसका दूसरा नम्बर आता है। और भी कई अच्छी कला हैं तो वह इस सास बहू के मंदिर की है। लेकिन अफसोस है कि उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आज सियार या गीदड़ उन खंडहरों में रहते हैं उनको प्रिज़र्व करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

इस प्रकार की बहुत सी कलाएं हैं। यह देखने की राज्य सरकार की ओर से कोशिश नहीं की गई है कि वे किस युग की हैं, उसके पीछे क्या महत्व है। रात दिन हम देखते हैं कि इस प्रकार की कलाएं उन खंडहरों में हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके प्रिज़र्वेशन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः जहां कहीं इस प्रकार के खंडहर हों, कलात्मक हों, उसके ऊपर परिचय-पत्र सरकार की ओर से जरूर होने चाहिये कि वे किस युग की कला है और उसको किसने बनाया और उनका क्या महत्व है।

**श्री सभापति** : Are you supporting the Bill or you want that it should be sent to the Select Committee ?

**श्री विजयसिंह झाला** : I am supporting it and I shall also advise that it should be sent to the Select Committee.

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ बहुत से जो इस प्रकार के स्थान है, जहां हमें संस्कृति का भान होता है, उन स्थानों को हमारे राज्य के द्वारा खंडित किया गया है। मैं हल्दीघाटी का उदाहरण देता हूं। चेटक की मूर्ति को लेकर आज सारा हल्दीघाटी युद्ध का इतिहास याद आता है। वहां पर सड़क निकाली है। उस नाले में से होकर सड़क निकाली है जहां चेटक कूदा था। आज वहां की जनता को भी यह नहीं मालूम होता है कि कौनसा नाला था जहां से चेटक कूदा था। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जिस समय उधर पधारे थे तो उन्होंने पूछा कि वह कौनसी पर्टीक्युलर जगह है जहां चेटक उस नाले को कूदा था। वहां पर जब उनको वह सड़क निकली हुई मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के महत्व के सांस्कृतिक स्थानों को प्रिज़र्व करके नहीं रखा। जिस इन्जीनियर ने यह सड़क बनाई है उसने संस्कृति को नहीं समझा और वह मूढ़ है। ये खंडहर हमारी पुरानी संस्कृति के परिचायक हैं, उसके प्रतीक हैं, उन पर हम कोई परिचय-पत्र खुदे हुये नहीं देखते हैं तो जब विदेशी बाहर से आते हैं तो वे क्या देख पायेंगे ? सरकार ने इस ओर कुछ नहीं किया है।

इसके साथ साथ बहुत सी कला है। साज बजाने की कला है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, नगारे और मादल हैं। कई प्रकार के साज हैं। जिनको बजाने में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त की है। मैं आपको एक उदाहरण देता

# Page No 59



( श्री विजयसिंह झाला )

हूं । नाथद्वारा में पखावजजी हैं । भारतवर्ष में पखावज बजाने में उनका पहला नम्बर है । आगे जाकर इस कला को कौन सुरक्षित रखेगा, जो हमारी राजस्थान की संस्कृति का एक प्रतीक है, जो हमारे राजस्थान की संस्कृति की एक झलक है, उसको सिखाने के लिए क्या आपने कोई योजना बनाई है ? यह तो हमें उस समय ही मालूम हो गया था जब रवीन्द्र नाटक-गृह का उद्घाटन किया गया था, रवीन्द्र मंच का उद्घाटन किया गया था, उस समय किस प्रकार से राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन किया था । राजस्थान की सरकार के लिए यह एक शर्म की बात थी कि जो आयोजन संस्कृति का हो और उसमें राजस्थान संस्कृति की कोई झलक न हो ।

सभापति महोदय, हमारी संस्कृति के साथ हमारी कुछ रूढ़िवादितायें भी हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा । उनको हमें वास्तविक संस्कृति से अलग करना पड़ेगा । मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं । जैसे भोपा प्रथा है । एक संस्कृति अवश्य है उसमें । यहां छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहां पर भोपे भाव लेते हैं । उनमें आपने मूर्तियां देखी होंगी । छोटे छोटे मन्दिरों में धर्मराज की मूर्ति होती है, उस मूर्ति को देखने के बाद यह मालूम हो सकता है कि किस प्रकार हमारे राजस्थान में न्याय होता था । एक सही रूप में जो प्रथा राजस्थान में पनपी थी उसका गलत रूप से प्रयोग हुआ है और रूढ़िवादिता इस प्रकार की बन गई है कि जिसका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । इसलिए इस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है उसको संस्कृति से दूर करना पड़ेगा ।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

सभापति महोदय, जिस रूप में बिल आया है उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन सुझाव दूंगा, और इसको प्रवर समिति के अन्दर भेजने के लिए समर्थन करूंगा ।

दो-तीन बातें ये है कि हमारी संस्कृति को सीमित कर दिया गया है; मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा । हमारे गांवों के अन्दर कुछ आदमी ऐसे हैं; किस दिन किस गांव में कितनी वर्षा होगी यह सब बता देते हैं । इस प्रकार की कला को प्रिजर्व करना चाहिये । अभी जब वर्षा नहीं हुई थी तो लोगों ने पांच महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि किस दिन किस गांव में कितनी वर्षा होगी । दवाइयों या मंत्र आदि का यह तरीका अस्पतालों में नहीं है । सर्प काटने का मैं बताता हूं । अस्पताल से जिसको कह दिया कि यह ठीक नहीं हो सकता उसको उन लोगों ने ठीक किया है । इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसको प्रिजर्व करना चाहिये । बिल का दायरा बड़ा सीमित है, इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये ।

**श्री सभापति** : श्री हांडा । संक्षेप में ही रखिये ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : कम से कम समय लेने की कोशीश करूंगा ।

सभापति महोदय, राजस्थान संस्कृति बिल, १९६३ को माननीय सदस्या ने सदन में प्रस्तुत किया है और विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपनी राय उस पर प्रकट की है । जिस योग्यता से इस बिल को सदन में उपस्थित किया गया है वह योग्यता इस बिल के प्रारूप से इस सदन के समक्ष ला चुकी हैं।

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

ग्रौर मैं भी बड़ी गम्भीरता से इस चीज को ग्रनुभव करता हूं कि राज्य में संस्कृति का एक इतिहास बनाने के लिये, संस्कृति को जीवित रखने के लिये, संस्कृति के सम्बन्ध में ग्रनुसंधान करने के लिये यह ग्रावश्यक है कि इसके लिये सांस्कृतिक इन्स्टीट्यूशन कायम किया जाय।

माननीय सदस्या ने राजस्थान के महान् साहित्यकार, राजस्थान के ग्रेट स्कल्प्चर, इन सारी चीजों का हवाला देते हुए एक ग्रपील की कि इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन राजस्थान के ग्रन्दर कायम की जाय। जहां तक इस प्रकार की संस्था का सम्बन्ध है यह संस्था पुराने साहित्य के सम्बन्ध में पुरानी स्क्रिप्ट के सम्बन्ध में, पुराने साहित्य के सम्बन्ध में, पुराने ग्रभिलेखों के सम्बन्ध में इस प्रकार की संस्था हो। गवर्निंग बॉडी के नीचे बाकायदा रिकॉर्ड कायम किया जावे, उसका ग्रध्ययन किया जावे, उनका कलेक्शन कायम किया जावे। इसके साथ साथ इन सबके विकास के सम्बन्ध में संस्था काम करे। वह संस्था इस प्रकार की संस्था हो जिसमें फाइनेन्शियल कॉम्प्लीकेशन्स इन्वोल्ड न हों। एग्जीबिशन के जरिये, फोटोज् के जरिये उचित प्रकार से इसका प्रचार हो, इस प्रकार की ग्रगर कोई संस्था बनती है तो कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई भी इस प्रकार की संस्था का विरोध करे।

ग्रभी एक माननीय सदस्य ने बात कही कि राजस्थान की संस्कृति को भारत की संस्कृति से ग्रलग क्यों रखा जाय? वे माननीय सदस्य क्षमा करेंगे, मैं समझता हूं संस्कृति के सम्बन्ध में कोई गहरा ज्ञान नहीं है। बहुत सारे सदस्य राजनैतिक परिभाषा में इसको देखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि समाज की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों के ग्रन्दर संस्कृति का विशेष स्थान है। राजस्थान की कला को देखा जाय तो वह कला हमें बीकानेर के महलों में, ग्रामेर के महलों में, मन्डोर के मन्दिरों में—चाहे वह सामन्ती युग में ही क्यों न हुई हों, लेकिन सामन्ती युग की महान् कला का जन्म इनमें हुग्रा है वह भी गरीब के रक्तदान से किसी कलाकार की देन है, किसी कलाकार की कल्पना है। हो सकता है राजस्थान को सामन्ती युग की संस्कृति की देन, उस समय के कवियों की कविता, केसरीसिंह बारहठ जैसे कवि, प्रतापसिंह जैसे कवियों की कविताग्रों को लीजिये जिन्होंने राणा प्रताप को चेतना दी; यह सब इन कवियों की देन है। सामन्ती युग में हो, या किसी युग में हो, माननीय सदस्य ने कहा कि तालकटोरे के ग्रन्दर पं० जवाहरलाल नेहरू के सामने ग्रादिवासियों के नाचे जाने को मजाक कहा, उन्होंने उसको गिरा हुग्रा बताया। मैं समझता हूं, एक देश की ग्रादिम जाति नृत्य करती है, ग्रपनी पुरानी संस्कृति का प्रदर्शन करती है तो इसमें उनको क्या गिरावट दिखाई दी? उनकी जाति का जो युग युग का ग्रनुभव है वे ग्रपनी भाषा ग्रौर ग्रपने हाव-भाव में प्रगट करते हैं। उनका ग्रपना एक इतिहास है। उसके उनके विकास के बढ़ते हुए चरण पढ़ सकते हैं। विभिन्न ग्रवस्थाग्रों में उनका किस प्रकार से विकास हुग्रा उसके लिये गैलेरी कायम करके इस सम्बन्ध में गहन ग्रध्ययन करने का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसके लिये इन्स्टीट्यूशन की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी प्रकार सभापति महोदय, ग्रापने जिस प्रकार का कॉन्स्टीट्यूशन इस संस्था का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रखा गया है उसमें रजिस्टर्ड एसोसियेशन्स के मेम्बर्स को लिया गया है। मेरा ख्याल है कि राजस्थान के जो अपने राईटिंग्ज हैं, स्कल्चर है, पोइट्स के सोंग्ज हैं, विभिन्न कला की विभिन्न ब्रान्चेज हैं उसमें राजस्थान के अपने कला प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। इस संस्था का काम रुक न जाय उसके लिये इसमें प्रोवीजन रखा है। चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी द्वारा इस संस्था को चलाने का प्रबन्ध किया गया है। उसके बाद चुनाव का प्रोवीजन है। सारे रजिस्टर्ड एसोसियेशन्स के डेलीगेट्स को लिया गया है, विधान सभा के तीन सदस्यों को भी लिया गया है। इसके अलावा तीन एकेडेमीज हैं इसमें हर एक एकेडमी के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज को लिया गया है। मौजूदा अवस्था के अन्दर तीन एकेडेमीज को जो फंक्शन कर रही हैं और जिनको गवर्नमेंट द्वारा एड दी जाती है। बड़ी योग्यतापूर्वक उन एकेडेमीज का कार्य चल रहा है। इसके कार्यकलाप के बारे में, हो सकता है किसी को कुछ शिकायत हो। जहां तक एकेडेमीज में रुपये लेने की बात है यह सही विचार है कि गवर्निंग बॉडीज को काफी डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की है। इसी उद्देश्य से इसको बनाने की कोशिश की है। इस इन्स्टीट्यूशन का यह वास्तविक उद्देश्य है। यह ठीक है कि जोधपुर में संगीत एकेडेमी के सेक्रेटरी के बारे में जैसा कि एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि उसको अपोइन्टमेंट से पहले ही तीन महीने की तनख्वाह दे दी गई है उन हजारों रुपयों को रिटर्न नहीं किया गया।

अभी दो दिन पहले राजकीय प्रवास भवन में उदयपुर की एक एकेडेमी द्वारा डोल्स का डिस्प्ले दिखाया गया सारी रामायण को उसमें बताया गया।

**श्री सभापति** : Let us prune these examples. Come to the point.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और गौरव से कह सकता हूं कि जिस प्रकार डोल्स का शो किया गया वह दुनिया के अच्छे से अच्छे डोल्स शो जैसा था। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डोल्स के समान था, जिसका बड़ा नाम है। उदयपुर की इस कला मण्डली ने जो प्रदर्शन किया वह वाकई में एक अद्वितीय चीज थी। यह संस्था कला में काफी ख्याति प्राप्त की हुई है।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय न लेता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं कि पांच जो इसमें गवर्नमेन्ट के नोमीनीज रखे हैं इस सम्बन्ध में सबसे अधिक सदस्यों को एतराज हो सकता है और इसमें मुझको भी एतराज है। गवर्नमेन्ट के नोमीनीज की संख्या कुछ कम कर दी जाय। जहां तक इसके एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स का सम्बन्ध है; मैं चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर यह पास हो जावे। ऐसी संस्था की निश्चित रूप से आवश्यकता है जिससे हमारा जो वास्तव में इतिहास है उस इतिहास का प्रतीक है। रंग महल की खुदाई ले लीजिये, ऑर्चियोलोजिकल डिपार्टमेंट अपनी तरह से काम करता है, जिसमें पांच हजार वर्ष तक की सभ्यता की झांकी दी है जो आज भी धरातल में विद्यमान हैं। उसका अपना फंक्शन है, लेकिन इस इन्स्टीट्यूशन के रूप में जो पुराने अभिलेख, पुरानी संस्कृति को कायम रखते हुए इसको जिन्दा रखने के लिये, उसके अध्ययन के लिये इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन की आवश्यकता है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (ग्रासीन्द) : सभापति महोदय, राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३ जो माननीय सदस्या द्वारा रखा गया है उसका मैं सपोर्ट करता हूं। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। राजस्थान की संस्कृति किस प्रकार से सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षो से बनी हुई है उसको हम मेन्टेन नहीं करेंगे तो किस प्रकार से पुरानी संस्कृति जो हमारी थी, जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, किस प्रकार से मेन्टेन कर सकेंगे ? इसका इतिहास ग्रलग ग्रलग रूप में हमें बताता है कि राजस्थान की जो संस्कृति है वह हिन्दू एज में, मुस्लिम एज में, ग्रंग्रेजों के जमाने में ग्रौर ग्राज जब भारतवर्ष ग्राजाद हुग्रा है तब से हमारी संस्कृति है, वह किस प्रकार से मेन्टेन हो रही है !

माननीय सभापति महोदय, हमारी भाषा, हमारी चित्रकला, हमारी जो इमारतें वगैरह हैं वे हमारी संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। ये वाकई इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

दूसरा, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारी पुरानी संस्कृति इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसकी गौरव गाथायें तरह तरह के विद्वान लोग गाते ग्राये हैं। उनको मेन्टेन करना ग्रत्यंत ग्रावश्यक है। हम ग्रगर ग्रपनी संस्कृति मेन्टेन नहीं कर सकते तो हम ग्राने वाली पीढ़ी को उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे सकेंगे। ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की है कि हम ग्रपने कल्चर को किस तरह से प्रयत्न कर बचा सकते हैं ? दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्या ने कहा है ग्रौर विदेशों में भी पुरानी संस्कृति को मेन्टेन करते हैं। उसके ग्रन्दर बच्चों को ग्रौर दूसरों को बताने के लिये ग्रलग ग्रलग इन्स्टीट्यूशन्स कायम करके उसके जरिये से उन लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है, कितना रुपया खर्च किया जाता है, यह देखना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। ग्रगर हम पुरानी संस्कृति को भूल जाते हैं, पुरानी गाथायें भूल जांय तो ग्राने वाली पीढ़ी के लिये कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिये इन सब को प्रिजर्व करने के लिये, उसके ग्रागे ग्रध्ययन के लिये इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन का कायम किया जाना जिससे हम हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रख सकें, बहुत ग्रावश्यक है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो संत, सूर ग्रौर सती हमारे राजस्थान में हुए हैं उनके द्वारा जिस प्रकार की संस्कृति की छाप हमारे राजस्थान के नर-नारियों पर लगी हुई है, उस प्रकार की छाप शायद संसार में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस प्रकार का इन्स्टीट्यूट यदि राजस्थान में ग्रगर कहीं बने तो बहुत ही ग्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा। उसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे सकेंगे। मगर मेरी मान्यता है कि हमको इसे, जनमत जानने के लिये भेज देना चाहिए, जिससे जो इसमें खामियां है वे दूर की जा सकें ग्रौर जो कानूनी मिस्टेक्स हैं दूर की जा सकें। खास तौर से रिप्रेज़ेन्टेशन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि उसमें ग्रॉफीशियल नोमिनी ज्यादा हो गए हैं। इन सब बातों के होते हुए भी इस बिल को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए, ताकि एक ग्रच्छा इन्स्टीट्यूट कायम हो सके ग्रौर ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

**श्री दुर्गालाल बाददार** (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज-

# Page No 63



( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

स्थान की संस्कृति ग्रौर प्राचीन इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। उसे ग्रक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की। भावना को लेकर जो यह विधेयक ग्राज हमारे सामने विचार के लिये ग्रा रहा है वह महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस पर गहराई से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति के पास ग्रवश्य भेजना चाहिए। संकुचित परिसीमा में इसकी सीमा निर्धारित करने की चेष्टा की गई, संस्कृति एक विशाल चीज है। संस्कृत मानव जीवन को वास्तविक मान्यता प्रदान करने की वस्तु होती है।

"संगीत साहित्य कला विहीन,
साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीन।"

यदि इन बातों पर ग्राप विचार करें तो ग्रापको ग्रनुभव होगा कि संस्कृति वह वस्तु है जो वास्तव में मानव को मानवता का रूप देती है ग्रौर उस संस्कृति की मर्यादा को निरन्तर ग्रक्षुण बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विचार जो माननीय सदस्या ने रखे हैं, वे महत्वपूर्ण हैं।

सरकार के लिए बड़ा क्षोभ का विषय है। कि जिस संस्कृति पर गर्व करते हैं उसके विषय में कोई विचारधारा नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल ने जिस समय टैगोर थियेटर हॉल का उद्घाटन किया तो उन्होंने उसकी प्रशंसा तो की कि ग्रच्छी जगह बनाया है, रामनिवास बाग में बनाया है, लेकिन इसमें राजस्थान की कला का ग्रभाव ही मिला। यह संस्कृति जब मनुष्य में उत्पन्न होती है तो वह उस देश की महानता को बढ़ाने वाली होती है।

मुझे एक बात याद ग्रा रही है। ईसा से ३२५ वर्ष पूर्व जब भारत पर सिकन्दर ने ग्राक्रमण किया तब वह इस देश के बहुत प्रान्तों को जीतता हुग्रा चलता जा रहा था। एक दिन वह किसी जंगल में घूमने के लिए गया। वहां देखा कि एक ग्रंधा बूढ़ा ग्रौर एक छोटी लड़की मौजूद हैं। दोनों लकड़ियां बीन रहे थे। लड़की कहती है बाबा जल्दी करो, बरसात ग्राने वाली है। सिकन्दर को बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि ग्रब तो बहुत ही कड़ी धूप है, मेह कहां से ग्राएगा, यह लड़की शायद पागल हो गई है। वह उनके पीछे पीछे गया। ग्रागे थोड़ा दूर जाकर देखा कि बादल भी ग्राता है। लड़की फिर कहती है कि बाबा जल्दी करो। हालांकि वे जल्दी जल्दी चलते गए लेकिन फिर भी रास्ते में मेह ग्रा गया। वे ग्राखिर ग्रपनी झोपड़ी तक पहुंच गए ग्रौर दरवाजा बन्द करके ग्रन्दर बैठ गए। सिकन्दर झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। ग्रब वह ग्रंधा ग्रावाज देता है कि बेटी देखना, शायद कोई बाहर ग्रतिथि खड़ा है। सिकन्दर के लिए ग्रौर भी ग्राश्चर्य हुग्रा। उन्होंने कहा कि एक ना समझ बच्ची कहती है कि मेह ग्राने वाला है जब कि बादल का नामोनिशान नहीं ग्रौर यह ग्रन्धा ग्रादमी कहता है कि बाहर कोई ग्रतिथि खड़ा है। लड़की जब दरवाजा जाकर खोलती है तो देखती है कि सिकन्दर महान् खड़ा है। उसने कहा बाबा एक ग्रतिथि खड़ा है, उस बूढ़े ने सिकन्दर का स्वागत किया।

**श्री सभापति** : This is all besides the point.

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : This has reference to 'Sanskriti'

**श्री सभापति** : This is not necessary.

Page No 64



**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : जब सिकन्दर बैठ गया तो उसने पूछा कि बाबा, मुझे पहले यह बताइये कि इस लड़की को कैसे मालूम पड़ा कि मेह आने वाला है जब कि इतनी कड़ी धूप थी और आप अंधे होते हुए भी कैसे जान गये कि मैं बाहर खड़ा हूं। वह लड़की हंस पड़ी, वह कहने लगी बाबा यह भारतीय नहीं है। उस बच्ची में भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही इस प्रकार की रमी हुई थी। भारत के बच्चे भी जानते थे कि जब चीटियां अन्न का दाना लेकर निकलती हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि मेह आने वाला है और अंधा इस प्रकार जान गया कि सिकन्दर बाहर खड़ा है कि उसके सिर पर जो लोहे का टोप था उस पर जो मेह की बूंदें गिर रही थीं, उन्हीं से ही वह भांप गया कि कोई आदमी बाहर खड़ा है।

तो मैं निवेदन करूं कि ये ऐसी बातें हैं जो संस्कृति के द्वारा ही आती हैं। जिस क्षेत्र में मनुष्य उत्पन्न होता है और जिस प्रकार के वातावरण में वह रहता है, वैसी ही संस्कृति बनती है। तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की संस्कृति क्या है। राजस्थान के अतीत गौरवपूर्ण इतिहास को देखिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृति का निर्माण युग की मांग होती है।

इस देश पर आततायियों के आक्रमण हुए और आवश्यकता जब हुई तो देश के कवियों ने वीर रस का साहित्य निर्माण किया। इसे वीरगाथा काल कहते हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

**श्री सभापति** : Two minutes only.

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : तो उस समय की संस्कृति में वीर रस की रचनाएं की गई थीं। यही नहीं, जीवन के सर्वांगीण अवस्थाओं पर भी विचार किया गया और इसके पश्चात् वास्तविक दृष्टिकोण को लोक के सामने रखते हुए जो चित्र उन्होंने प्रदर्शित किया उसे ही संस्कृति और संस्कार का रूप दिया जाता है।

यह एक गम्भीर विषय है। हजारों स्कूल, कॉलेज भी मिलकर समाज में सुधार उतना नहीं ला सकते जितना केवल संस्कृति और संस्कार ले आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की पुरानी थाती की ओर ध्यान देंगे तो वास्तव में देश का सही निर्माण हो सकता है। इससे चारित्र्य निर्माण हो सकता है, हमारे देश के नागरिकों का और सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से जो चारित्र्य-निर्माण हमारा होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इस दृष्टि से हमारी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को उन्नत करने के लिये हमें प्रयत्न करने चाहिये। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस पर राजस्थान सरकार को अवश्य विचार करना चाहिये। अगर इसके लिये क्षति भी करनी पड़े तो करनी चाहिये। मानव को सुधारने वाली वास्तविक चीज यही है। इस दृष्टिकोण से सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। मैं इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : अब सरकार अपना दृष्टिकोण बता दे।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय सदस्या ने रखा उसकी भावना से तो मैं बहुत सहमत हूं, पूर्ण रूप से सहमत

( श्री निरंजननाथ श्राचार्य )

हूं। किन्तु साथ ही भावनाओं के वेग में बहकर जिस ढंग से यह विधेयक पेश किया गया है उस उसके रूप को स्वीकार करने में मैं अशक्त हूं।

यह बात ठीक है कि जिनके द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उनका जीवन स्वयं का सांस्कृतिक क्षेत्र में शोध कार्य में बीता है और मुझे यह बात प्रकट करने में प्रसन्नता है कि लोक कला, लोक वार्ता और लोक गीतों के क्षेत्र में उन्होंने स्वयं ने एक साधना की और कुछ कृतियां भी उनकी इन पर निकली हैं।

ऐसी स्थिति में, मैं यह जानता हूं कि इस विधेयक के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और वे क्यों इसे मूर्तरूप देना चाहती हैं। लेकिन जिस रूप में यह है उस रूप में इसको स्वीकार करने में बहुत कठिनाइयां हैं। यह अधूरा है। इसमें अलग अलग प्रशासनिक कठिनाइयां हैं।

इसके साथ ही कुछ संशोधन प्रस्ताव आये। उनमें पहला प्रवर समिति के सुपुर्द करने का है। इसके सम्बन्ध में मेरा ऐतराज है और वह ऐतराज इस कारण से है कि यह विधेयक अपने आप में अपूर्ण है। जब बिल एक्ट का रूप धारण करता है तो यह देखा जाता है कि उसे किस तरह से कार्यरूप में परिणत किया जाय। कार्यरूप में परिणत किये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान इसमें नहीं है और अगर यह एक्ट बनता है तो इसको कार्यान्वित किया नहीं जा सकता और इसमें कोई क्लॉज फन्ड के सम्बन्ध में नहीं है। इसलिये इसे सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। यह विधेयक शुरू से आखिर तक भावनात्मक है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा मैंने निवेदन किया मैं इस विधेयक की भावना का आदर करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि अलग अलग अङ्ग जो संस्कृति के हैं उनको कन्सोलिडेट किया जावे और एक बॉडी कायम की जावे।

मैं स्वयं इस बात का हामी हूं कि लोक-नृत्य, लोक-वार्ता, लोक-कला अथवा और दूसरे अङ्ग जो हमारी इस संस्कृति की भावना से सम्बन्धित हैं अगर उनको साथ नहीं रखा गया और कन्सोलिडेट रूप में कोआॅर्डिनेट करके एक दूसरे के पूरक के रूप में नहीं चलाया गया तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ने वाली सभ्यता जो विकृत रूप में आ रही है उसके सामने वह नष्ट हो सकती है। इस स्थिति में जहां तक इनके संरक्षण का और कोआॅर्डिनेटेड रूप में चलाने का प्रश्न है वहां तक तो मैं विधेयक की भावना का आदर करता हूं। जैसा कि इस विधेयक में एम्स और आॅब्जेक्ट्स के रूप में बताया भी गया है कि :

"To constitute a statutory institute charged with the task of preserving, classifying record and in other respects serving the cause of culture of Rajasthan."

इस समय राजस्थान में सरकार की सहायता से तीन अकादेमियां अलग अलग चल रही हैं। साहित्य, दूसरी संगीत और नाट्य अकादेमी और तीसरी ललित कला अकादेमी। तीनों का अलग अलग विशेष स्थान है। जैसा संस्कृति का विश्लेषण किया गया उसके ये तीन अङ्ग हैं और उन तीनों को सुरक्षित रखने के लिये ये तीन अकादेमियां हैं। इनका अलग अलग उद्देश्य है। लोक गीत, लोक वार्ता, लोक कला, संगीत और

( श्री निरंजननाथ आचार्य )

लोक नृत्य आदि विविध अङ्ग संस्कृति के हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये, उनमें शोध करने के लिये, उनको जीवित रखने के लिये ये तीन अकाडमियां अपने अपने उद्देश्यों के आधार पर काम करती हैं। इसलिये इस विधेयक को कोई बिल्कुल नये रूप में नहीं माना जा सकता। पर विधेयक में एक भावना जो है कि ये अलग अलग अङ्ग जो संस्कृति के क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं उनको कन्सोलिडेट किया जाय और उनको कोआॅर्डिनेट करके काम किया जाय तो अधिक अच्छा काम शोध एक ही संस्था के संरक्षण में हो सकेगा। यह विचारणीय है।

अब जो उद्देश्य इसमें सन्निहित हैं वे दूसरे अलग अलग अङ्गों में हैं। उदाहरणार्थ साहित्य अकाडमी के उद्देश्य को रखना चाहूंगा। इसमें है :

"To revive the folk dance and to promote research in Indian culture and music......"

जहां तक भावना और उद्देश्यों का प्रश्न है तीनों अकाडमियों के संविधान में यही भावना और उद्देश्य मिलते हैं।

अब जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यह विधेयक अपूर्ण है अपने आप में और अपूर्ण इसलिये है कि राजस्थान में अभी भी इन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली शोध करने वाली वाॅलन्टरी एजेन्सियां है। उदाहरणार्थ : भारतीय लोक कला मण्डल, चोपासनी शोध संस्थान, शारदा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भारतीय विद्या मन्दिर, बीकानेर, आदि कई संस्थाएं हैं जो अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर काम करती हैं।

अब विधेयक के प्रारूप को देखा जावे तो वह अपूर्ण लगता है। ऐसी स्थिति में प्रवर समिति के सामने भी यह भेजा जावे तब भी यह अपूर्ण रहेगा क्योंकि वहां तो जितनी सामग्री इसमें होगी उसी पर वे अपने विचार दे सकेंगे, अधिक नहीं। इससे तो अच्छा यह रहेगा कि जैसा एक माननीय सदस्य ने इसे जनमत के प्रसारित करने की बात कही तो मैं समझता हूं कि हमारी भी इसमें सहमति हो सकती है। यह इसलिये भी उचित मालूम होता है कि जैसा विश्लेषण संस्कृति का किया गया और जिस परिभाषा में इसको रखा गया वह परिभाषा जन-जीवन से सम्बन्धित है। इसलिये राजस्थान के जन-मानस को जानना आवश्यक हो जाता है। वे इस पर विस्तार से अपने सुझाव भेज सकते हैं, वे सीमित नहीं हैं। इस दृष्टि से सरकार इस पर सोच सकती है।

मेरा प्रस्ताव है अन्त में कि इसका क्या रूप हो सकता है, यह न तो माननीय सदस्या की कल्पना में है न हमारी कल्पना में है क्योंकि इसके अनेक अङ्ग अलग अलग काम कर रहे हैं। यह जरूर है कि अलग अलग अङ्गों को कोआॅर्डिनेट किया जाकर एक रूप में उनको सामने रखा जा सके जिससे किसी भी विद्वान को यह आभास हो सके कि दरअसल में इस दिशा में हमारे यहां क्या काम हो रहा है। इस सुझाव पर सरकार खयाल कर सकती है।

दूसरी बात, जैसा मैंने अर्ज किया, माननीय सदस्यों ने कई शंकाएं भी प्रकट कीं कि दरअसल इस ओर काम भी कुछ हो रहा है

( श्री निरंजननाथ आचार्य )

या नहीं। तो, मैं साहित्य अकादमीज़ के कार्य को प्रस्तुत करूं। जहां तक साहित्य का प्रश्न है राजस्थानी साहित्य अथवा दूसरा उसमें शोध भी हो रहा है, कृतियां भी निकली हैं। साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं और जो कृतियां ला रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

( ६ म० प० )

इसी तरह से संगीत के क्षेत्र में भी माननीय सभापति महोदय, इसी आधार पर उसमें भी शोध कार्य हो रहे हैं और साथ ही में प्रोत्साहन भी कलाकारों को दिया जा रहा है, चित्रकारों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसी तरह से जो तीसरी ललितकला अकादमी है जिसके अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, बहुत ही ऊंचे इस विषय में गम्यता रखने वाले हमारे स्पीकर महोदय हैं वे इसमें शोध कार्य करा रहे हैं और इसके विकास के सम्बन्ध में हमें बहुत गर्व है कि इसका विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि तीनों अङ्गों को एक ही संस्थान में कैसे समाविष्ट किया जा सके। आपने देखा होगा कि इस विधेयक में यह प्रावधान कहीं नहीं किया गया है कि इन तीनों अङ्गों का समाविष्ट कैसे किया जायेगा। हां, एक एक रिप्रेज़ेन्टेटिव जरूर ले लिया गया है, लेकिन यह नहीं है कि जो शोध-कार्य इन तीनों के क्षेत्र में किये गये हैं उनको किस तरह से कोआॅर्डिनेट किया जाये, इसमें समावेश नहीं है। इसलिए संक्षेप में मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऊंची भावना से विधेयक को यहां प्रस्तुत किया, और भावना भी उनके जीवन एवं उनके खानदान के आधार पर क्योंकि इस खानदान में इस प्रकार की भावना भूतकाल में रही, वर्तमान में भी मिलती है और भविष्य की मैं नहीं कह सकता। संगीत के अन्दर जहां तक शोध एवं शौर्य का सम्बन्ध है इतिहास माननीय सदस्या के पीछे रहा है। इसलिए जो भावनायें व्यक्त की गयी उसका आदर करते हुए मेरा विश्वास है अल्पकाल के लिए या दीर्घकाल के लिए जनमत के लिए यदि आपने कोई अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है तो उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्या से यह निवेदन करूंगा कि विधेयक की भावनाओं में नहीं बहकर उसके इस रूप को पास नहीं कराके आप अपना दिमाग, शक्ति और क्षमता से जो तीनों अकादमीज़ चल रही हैं उनका समन्वय कैसे किया जाये, आगे विकास कैसे किया जाये इस पर लगावें तो सरकार को मान्य होगा। यह निवेदन करते हुए कि हम आपके सुझावों का सम्मान करते हैं, माननीय सदस्यों के सुझावों का भी सम्मान करते हैं। अगर इनके सम्मान को मान लिया और आप विथड्रा कर लें तो भी सदन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जहां तक जनमत का प्रश्न है मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

**श्री सभापति** : Mover of the Bill.

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : सभापति महोदय, अभी उप-शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया इसके बारे में मेरा मतभेद है। अगर ये अकादमीज़ हमारी सारी की सारी बातों को पूरा करती होती तो मैं यह बिल आपके सामने पेश नहीं करती। इन तीनों इन्सटीट्यूट्स का दायरा बहुत ही संकड़ा है और आज कल्चरल इन्सटीट्यूट का बिल जो पेश किया है उसका दायरा बहुत लम्बा-

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

चौड़ा है। उदाहरण के तौर पर जैसा अभी आपने संगीत अकाडमी का जिक्र किया उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगी कि संगीत-नाटक अकाडमी ने हमारे स्थानीय लोक कला के लिए या लोक कलाकारों के लिए अब तक क्या किया ? एक भी ठोस कदम उठाया हो तो आप मेहरबानी करके बतायें........

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा) : मेरे पास है, मैं बता सकता हूं यदि आप चाहें तो।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : जो संगीत अकाडमी है उसके द्वारा जितने भी कार्यक्रम रखे गये वे सारे के सारे बाहर के कलाकारों को भाड़े पर बुलाकर किये गये। आज तक नाटक अकाडमी ने एक भी राजस्थान की प्रतिभा को आगे लाया हो तो बतायें, अगर संगीत नाटक अकाडमी ने एक भी नाटक लिखवाया हो तो बतायें। खैर, मैं इस सारी बहस में नहीं जाना चाहती हूं। अगर मुझे इतना समय दिया जाये कि यह अकाडमी कहां तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाई है, तो मैं इस पर प्रकाश डाल सकती हूं।

साहित्य अकाडमी के बारे में मैं कहूंगी कि हमारा राजस्थानी लोक-साहित्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। क्या साहित्य अकाडमी ने लोकसाहित्य की ओर आंख उठाकर भी देखा है, सोचा है ? नहीं। उसने लोक साहित्य के बारे में कोई काम नहीं किया और उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। यदि आप दूसरी बातें पूछें तो साहित्य अकाडमी ने इन पिछले ६ सालों में मुश्किल से एक दर्जन किताबें प्रकाशित की हैं और इन किताबों के लिए कहा था कि सस्ते भाव पर हम बेचेंगे। आज तक उनमें से एक पुस्तक भी नहीं बिकी और उनको कीड़े खा रहे हैं।

ललित कला अकाडमी में मैं कहती हूं कि किस कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है........

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मेरे पास है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : उन्होंने केवल चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई हैं, यह मैं जानती हूं। आज ६ साल में एक एलबम चित्रकला को प्रदर्शन करने के लिए निकाला है ? इन तीनों अकादमी में १६ लाख रुपया खर्च किया है, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहती हूं। यह तो आपने इतना यशोगान किया इसलिए मजबूर होकर कहना पड़ता है........

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपका भी किया है, लेकिन उसको आपने संभाला ही नहीं।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : सभापति महोदय, मान लीजिए कि अकाडमीज़ खूब काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं लेकिन फिर भी इस तरह के कल्चरल इन्स्टीट्यूट की जरूरत है क्योंकि जितने भी कल्चर के अङ्ग बताये वे सारे के सारे अङ्ग इन अकाडमीज़ में समाविष्ट नहीं होते हैं। हमें प्रसारित करने के लिए और अभी जो आपने उद्देश्य पढ़े उसमें साफ था कि "Folk dances of India, not of Rajasthan"

मेरा मतलब है कि ...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : India includes Rajasthan......

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : माफ कीजिए हिन्दुस्तान के अन्दर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग खूबियां है। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे उप-शिक्षा मन्त्री महोदय ऐसी बातें कहते हैं। तो मैं आपको जोर देकर कहूंगी कि यह कल्चरल इन्सटीट्यूट होना अपने यहां निहायत जरूरी है।

जैसा मैंने शिल्पकला के लिए कहा, क्या हमारी तीनों अकाडमीज़ इसके लिए कुछ कर रही है ? मैंने दूसरे दूसरे संस्कृति के थोड़े से मामूली अङ्गों को गिनाया, क्या वे अकाडमीज़ सारे के सारे अङ्गों को कवर कर लेते हैं ?

खैर, आपने जनमत का जो सुझाव दिया तो मैं उसका स्वागत करती हूं। मैं चाहती हूं कि इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जाये और राज्य सरकार को भी मालूम हो जाये कि जनमत क्या चाहती है। इसलिए मैं स्वागत करती हूं। लेकिन एक आश्वासन चाहती हूं कि अगर जनमत इसके पक्ष में प्रबल है तो आप इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : भविष्य के लिए आश्वासन नहीं दिया जा सकता। क्या हो भविष्य, किसे पता ?

**श्री सभापति** : इस बिल के बारे में जो संशोधन आये थे केवल प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए आए थे। उसके बारे में माननीय सदस्य, श्री गिरधारीलाल व्यास ने बेशक एक संशोधन प्रस्ताव इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए भेजा है। वह यद्यपि बहुत देरी से आया, तथापि मैं उसे एडमिट करता हूं। अब चूंकि मूवर महोदया ने भी मान लिया है कि यह जनमत के लिए प्रसारित किया जाये तो अब प्रश्न सदन के समक्ष यह है कि क्या सदन की यह मन्शा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

(स्वीकृत)

बिल जनमत जानने के लिए प्रसारित किया गया।

( विराम )

श्री हरिराम।

## राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

( विचार-विमर्श हेतु अस्वीकृत )

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६३ को विचारार्थ लिया जाये। सभापति महोदय, मैं यह उम्मीद करता था कि पिछले जो पंचायतों के चुनाव हुए. . . . .

( ६.१० म. प. )

( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री, पदासीन )

पंचायत समिति के चुनाव हुए, मैं समझता था कि यह हमारी सरकार, उसके जो अनुभव हैं उससे कुछ सीखेगी और उसके अनुभवों के आधार पर यह महसूस किया कि हमने जो यह पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट बना रखा है उसके अन्दर बड़ी खामियां हैं और उसके अन्दर इतनी जबरदस्त खामियां हैं, कि मैं यह महसूस करता था कि यह उसी सरकार की तरफ से है और वे काफी कमजोरियां हैं। काफी इसके अन्दर जो कमियां हैं उन तमाम कमियों को लेकर कोई एमेंडमेंट

( श्री हरिराम चौहान )

बिल आयेगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी पूरे तीन साल होने को आये। पंचायत समितियों को और तीन साल के अन्दर हमारी सरकार की तरफ से कोई भी इस किस्म का संशोधन नहीं आया तो मैंने यह जो संशोधन रखा है। तो मेरा इस संशोधन से कोई यह मकसद नहीं है कि उस एक्ट के अन्दर जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी खामियां हैं वे तमाम की तमाम खामियां इस संशोधन से दूर हो जायंगी। मैंने यह कोशिश की है कि जो एक तजुर्बे के अन्दर, जो आम लोगों के दिमाग के अन्दर यह बात आ चुकी है कि हमारी पंचायत समिति के चुनावों की जो प्रणाली है, पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव की जो प्रणाली है वह बहुत दोषपूर्ण है, और उसका जो नतीजा हमारे सामने आया है वह बड़ा ही भयंकर है और उसका नतीजा हमारे ऑपोजिशन के लोगों के सामने आया हो, इस तरह की बात नहीं है, वह नतीजा जो दूसरे उधर के बैठने वाले लोग हैं उनके सामने भी उस चीज का नतीजा आया है, और वह किसी के पक्ष में नतीजा पड़ता हो, वह एक विशेष गुट के पक्ष में, जो पॉवर अपने हाथ में रखता हो उसके पक्ष में वह नतीजा पड़ा है, और बाकी जो दूसरे ग्रुप के अन्दर ही अन्दर जो खुद की तरफ से अपने पॉवर के अन्दर आना चाहता हो और किसी किस्म का नारा देकर आम जनता की जो सेवा करना चाहते हैं वे भी इस प्रणाली से बड़े दुःखी हैं, और उन्होंने भी बड़े जोर-शोर से अपनी पार्टी के अन्दर ऐसे दूसरे लोगों के पास भी इस तरह की मांग की है कि ये जो पंचायत समिति के प्रधान हैं उनके जो चुनाव हों उनका चुनाव पंचायतों के सरपंच ही न करें। इसके मुकाबले में सरपंच और पंच और न्याय-पंचायत के जो सदस्य हैं वे तमाम मिलकर अगर करें तो ज्यादा प्रजातान्त्रिक स्वरूप बनता है, और इसके अन्दर सरकार का सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का जो नारा है वह भी पूरी तरह होता है। इसके अन्दर जो अभाव है, उस भावना का अभाव है क्योंकि इसके अन्दर जब तक आप देहात के अन्दर जो लोग रहते हैं, वे आम लोग रहते हैं, आप सत्ता उन लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, आप सत्ता उन लोगों में बांटना चाहते हैं, उन लोगों के हाथ में सत्ता देना चाहते है तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कुछ अधिकार दिये जायें, और इन पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को ज्यादा से ज्यादा प्रजातान्त्रिक बनाया जाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, इस तरह का किया जाय।

अब मैं आपके सामने सभापति महोदया, यह अर्ज करूं कि यह जिस तरह का, सरपंच जो वोट देता है तो यह जरूरी नहीं कि उस इलाके के मेजोरिटी वोट का प्रतिनिधित्व करता हो, क्योंकि हमारे यहां जिस तरह की चुनाव-प्रणाली है वह प्रोपोर्शनल चुनाव-प्रणाली हिन्दुस्तान के अन्दर है नहीं, और उसके अन्दर जो अल्पमत के वोट से चुना हुआ सरपंच उस पंचायत समिति का सदस्य होता है और उसी पर फिर प्रधान चुनने का अधिकारी होता है, और अगर इसमें पंच और न्याय पंचायत के सदस्य भी आजायें, क्योंकि वे भी उस इलाके के चुने हुये लोग हैं, उससे काफी एक मेजोरिटी का भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, मेजोरिटी की राय से एक प्रधान चुनने में एक तरह से आ सकेगा, और वह ज्यादा प्रजातांत्रित तरीका समझा जायेगा और उसका अच्छे से अच्छा नतीजा हमारे सामने आयेगा।

(श्री हरिराम चौहान)

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोग्रॉप्शन होता है पंचायत समितियों के अन्दर, कुछ लोगों का कोग्रॉप्शन किया जाता है और उसके अन्दर कुछ अनुभवी लोग जो इलाके के अन्दर या जिले के अन्दर जो अनुभव प्राप्त लोग हैं उनको लेकर कोग्रॉप्शन का एक तरीका रखते हैं। मैंने इस बिल के अन्दर यह नहीं कहा है कि कोग्रॉप्शन के तरीके को हटा दिया जाय, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी मौजूदा एक्ट है उसके अन्दर यहां तक ही महदूद नहीं है कि उसके तजुर्बे से, उसके अनुभव से कुछ चीज सीखी जाय, बल्कि वह एक्ट यहां तक पहुंच जाता है कि लेते इसलिए हैं कि उसके अनुभव से कुछ सीखना चाहता हूं, उसके अनुभव से फायदा उठाना चाहता हूं, उसके अनुभव से हम पंचायत समिति के इलाके के अन्दर विकास करना चाहते हैं, लेकिन इस एक्ट के अन्दर वे इस तरह के जो अनुभवी आदमी है, जो एक ही चीज का चाहे अनुभव रखते हो उसको अपना लेते हैं, लेकिन वह प्रधान भी चुन लिया जाता है, और उसका नतीजा यह होता है, उसका नतीजा इस रूप में होता है कि मानलो कि कोई वकील है, मान लो कि कोई शहर के अन्दर रहता हो और वह शहर के अन्दर रहने वाला आदमी जो कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखता है और पूरी तरह से अपना उस पार्टी के अन्दर असर रखता है तो वह शहर के अन्दर रहने वाला इन्सान भी पूरी तरह से पंचायत समिति का प्रधान बन जायगा। तो उससे जो नतीजा हमारे सामने आता है वह एक तरह को गुटबन्दी के रूप में आता है, और गुटबन्दी भी इतनी जबरदस्त गुटबन्दी कि उसके तहत जो चुनाव-प्रणाली है, आज पंचायत के अन्दर हम यह चाहते हैं, यह महसूस करते हैं आम लोग कि उसके अन्दर राजनीति नहीं आनी चाहिए। वे आज पूरी तरह से राजनैतिक अखाड़ा बनी हुई हैं और जब बाहर के लोग आते हैं या इस तरह से गुट बन जाते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वह हमारे सामने आया है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर पंचायतों के जो चुनाव हुए, पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए, जैसा कि राजस्थान में अगर ७००० पंचायतें हैं और उनके अन्दर जितनी भी पंचायत समितियां हैं, वे चाहे इस तरफ के लोग हैं और चाहे कम-बेशी तादाद में इस तरफ के लोग हैं, उन्होंने तमाम लोगों को देखा कि मिनिस्टर लोग जीप लेकर घूमते थे और जीपों से ही कोई काम चला हो इस तरह की बात नहीं थी। एक जीप नहीं, दो जीप नहीं ४-५ जीप नहीं, बल्कि १०-१० जीपें कुछ थोड़े से आदमी जो कि १५-२०, ३०-४० की तादाद में होते हैं, एक पंचायत समिति में जहां कि लोग ३५-४० की तादाद में होते हैं उन ३५-४० लोगों को उड़ाने के लिए, उनको चोरी करने के लिए, अथवा उन ३५-४० को लोभ देने के लिये, उनको प्रलोभन देने के लिए मिनिस्टरों की कारें घूमी हैं, एक नहीं, बल्कि ८-१० कारें घूमी है। जब उनसे काम नहीं चला, बस किराये की हैं या मांग कर लाई गई हैं, उनको उनमें भाखरा ले जा रहे हैं वहां की जनता यह इन्तजार कर रही है कि हमने जिन लोगों को चुना है वे लोग गये कहां, कौन ले गये। फ़िर मिनिस्टरों को टेलीफोन करते हैं। किसी ने देखा होगा तो वहां से कहा गया कि मिनिस्टर साहब भाखरा चले गये और दूसरे लोग भी उनकी पार्टी के लोग थे कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृन्दावनजी जा रहा है या कहीं जा रहा है। यहां

(श्री हरिराम चौहान)

तक हुआ है कि बहुत सी जगह बहुत बड़े बड़े बन्द मकानो में बन्द कर दिये गये हैं, ताला लगा दिया गया है। आम जनता बाहर खड़ी चिल्ला रही है, आम जनता बाहर खड़ी नारा लगा रही है कि हमारे सरपंच हमको चाहिए, उनको वापिस दो, हम उनको यह बताना चाहते हैं, हम अपनी राय देना चाहते हैं कि हमारे हिस्से के अन्दर, हमारे फायदे के अन्दर कौन सा प्रधान हो सकता है। कौन आदमी हमको चुनना है इस तरह का हमें मशविरा दे सकें। इस तरह की सारे राजस्थान के अंदर सब बातें हुई हैं। मैं जो आपके सामने, सदन के सामने यह संशोधन बिल रख रहा हूं उसका यह एक बहुत बड़ा मकसद है और वह यह कि आप इस तरह से यदि पंचों को और सरपंचों को वोट का अधिकार दे देते हैं तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में वे वहां के वोटर हो जायेंगे। यदि पूरे गांव के लोग वहां जायेंगे तो मुश्किल हो जायगी क्योंकि ३५ आदमियों को पकड़ ले जाना कुछ आसान बात पड़ती है, तीर्थ करने लेजाना आसान हो जायगा। लेकिन इसमें १५ पंच और मिल जांय और न्याय पंचायतों के सदस्य और इसमें मिल जायं तो काफी बड़ी तादाद इन लोगों की हो सकती है और फिर पूरी तरह से वहां के इलाके का प्रतिनिधित्व हो सकता है और जो भी मिनिस्टर साहबान की तरफ से घटना होती है उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, लगाम लगाई जा सकती है। इस लगाम को लगाने के लिये हाउस के सामने यह बात कहना चाहता हूं।

इस तरह की प्रणाली का मैं ही विरोध कर रहा हूं यह बात नहीं है, जो हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बड़ी बड़ी सेमिनारों में और कान्फ्रेन्सों में इस तरह की टिप्पणी की है। पंजाब में तो बिल्कुल दूसरी तरह का कानून है और हमारे यहां जो प्रधान को चुनने का सिस्टम है उससे बिल्कुल दूसरी तरह का है। वहां पर भी पंच-सरपंच और चुने हुए नुमायन्दों को अधिकार है कि सरपंच को चुन सकें। मैंने छोटा सा, दो-चार लाइन का बिल इसलिये सदन में पेश किया है, वर्ना और भी बहुत कुछ संशोधन मोटी किताब बनाकर पेश किये जा सकते थे लेकिन क्योंकि हर सवाल पर, हर बिल पर हमारी सरकार के सामने एक प्रेक्टिस और इज्जत का सवाल आ जाता है क्योंकि अपोजीशन की तरफ से आया है इसलिए कैसे मंजूर किया जाय क्योंकि सरकार की तरफ से नहीं आया इसलिये हर सवाल पर इस तरह का रवैया अख्त्यार करते हैं इसलिये मैंने यह समझ कर, यह सामूहिक तरह से, सामूहिक समझ से, इधरवालों की समझ से और उधर वालों की समझ से भी, जब सब की समझ से पंचायत समिति के प्रधान को चुनने का तरीका रखा जायगा वह सर्व मान्य होना चाहिये।

अभी जो उनके चुनाव का तरीका है उससे बड़ा भयानक परिणाम निकलता है। तो दोनो तरफ से इस तरह की बात मानली जाय तो यह दो लाइन का संशोधन मंजूर हो जायगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको मान लेंगे क्यों कि आपने अपने तजुर्बे से देखा है कि पंचायत समिति के प्रधान बहुत मंहगे पड़ते हैं। थोड़े लोग किसी न किसी तरह से खरीद लिये जाते हैं, निश्चित-रूप से खरीदे जाते हैं। वे उनको शराब पिलाते हैं, कहीं न कहीं उनको घुमा कर लाते हैं, इसलिए यह सिस्टम मंहगा पड़ता है। जब प्रधान बन जाता है तो उन सरपंचों का उस पर असर नहीं होता है। आपकी तमाम

( श्री हरिराम चौहान )

समस्याएं ऊपर जाकर या तो नौकरशाही की बहुत बड़ी तादाद में समा रही हैं और इस कानून की तहत आपने बी. डी. ओ. को जो अधिकार दे रखे हैं उनके द्वारा वह पंचायत समिति का एक तरह से हाकिम है, अफसर है, उन सरपंचों का भी अफसर है और यहां तक कहूं कि पंचायत समिति के प्रधान का भी अफसर है तो अनुचित नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से नौकरशाही में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है वह पूरी तरह से नहीं किया है, इसमें बहुत कमियां है क्योंकि पंचायत समितियों के प्रधान का चुनाव है वह भी थोड़े लोगों से होता है, इसलिये वे लोग भी किसी न किसी प्रलोभन से उनको वोट दे देते हैं। इसलिये पूरे माने में पंचायत समिति के प्रधान पर उन सरपंचों का असर किसी तरह से नहीं होता। नतीजा यह होता है कि तकाबियें दें तो उसका हिसाब नहीं मिलता, आप किसी तरह का अनुदान दें तो उसका हिसाब नहीं मिलता। यहां तक रिपोर्ट है कि पंचायत समिति के प्रधान को १५ हजार रुपये मिले थे, उनमें से ५ हजार का भी हिसाब नहीं है। जब आॅडिट वाले चैक करने आते हैं तब उस वक्त नया हिसाब तैयार किया जाता है। कागज पर कलम तब लगाई गई है जब कि आॅडिट पार्टी बुरी तरह से पीछे लग गई। इस तरह की मिसालें भी हैं।

मैं सदन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं क्यों कि उधर से मंत्री जी जवाब देने खड़े होंगे, मैं समझता हूं वे क्यों ज्यादा टाइम लगावें, वे स्वयं इस बात को समझते हैं, उनकी समझ में यह चीज आई हुई है, प्रेस्टिस पोइन्ट बनायेंगे नहीं; यह समझ सकते हैं कि दरअसल में दिक्कत है, लोगों को तकलीफ है, उसमें सुधार करना है इसलिये इसमें टोलमटोल का सवाल नहीं होना चाहिये। आखिर में सही माने में यदि आप प्रजातन्त्र के हामी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का दम भरते हैं और आप यह समझते हैं कि प्रजातन्त्र के लिये असेम्बलियां चलाना चाहते हैं, पंचायत समितियां चलाना चाहते हैं और आप यही समझ कर पालियामेंटरी तरीका चलाना चाहते हैं तो आपके लिये यह और भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम यहां पर कुछ बातें करके चले जायं, कितने ही कानून आपके सामने लावें, कितने ही संशोधन आपके सामने लावें और प्रस्ताव आपके सामने लावें और आपकी तरफ से जरा भी हां नहीं निकले तो आप प्रजातन्त्र के लिये फायदा नहीं कर रहे हैं, प्रजातन्त्र के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आप उसके पेट में छुरी भोंक रहे हैं।

आप यकीन मानें कि मैं बहुत से लोगों से सुन चुका हूं कि जब आॅपोजीशन इतना बड़ा है, जब आॅपोजीशन की बात नहीं सुनी जाती है, कोई संशोधन नहीं मन्जूर किया जाता है, वाजिब मांग निश्चित है उसको भी मन्जूर नहीं किया जाता है तो क्यों बैठे हैं, क्यों इतनी बड़ी असेम्बली रखी जाय, क्यों पार्लियामेन्ट रखी जाय और क्यों पंचायत समितियां रखी जायं, यह नारा प्रतिक्रियावादी लोग दे रहे हैं। उस नारे को आप बल दे रहे हैं, इसलिये में आपसे फिर दर्ख्वास्त करूंगा कि आप पूरी तरह से ठंडे दिमाग से विचार करें क्योंकि इन तमाम लोगों, आम लोगों की भावना इस अमेन्डमेन्ट के पक्ष में है इसलिये आप उन तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए, चाहे इधर के लोग हों, चाहें उधर के लोग हों वे बाहर जाकर कहेंगे कि मन्जूर होना चाहिये, लेकिन आपका

( श्री हरिराम चौहान )

विहप इश्यू हुआ है, इसलिये मजबूरी है। इसलिये मैं आपसे दर्ख्वास्त करूंगा कि आप इसको मन्जूर करलें। यह छोटा सा अमेन्डमेंन्ट है इसको अवश्य मन्जूर कर लिया जाय। यदि नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं, आप प्रजातन्त्र की सेवा नहीं करेंगे। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसके बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। जहां तक माननीय सदस्य के सिद्धान्त का प्रश्न है, मैं उसका स्वागत करता हूं और इस संशोधन का समर्थन करता हूं। लेकिन जिस रूप में यह आया है मैं मानता हूं कि इसमें और परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके जो आधार हैं संशोधन के, वे तीन आधार हैं; एक तो यह है कि इससे करप्शन फैला है। जो मौजूदा प्रणाली है प्रधान के लिये मैं उसको मानता हूं और उसके बारे में अधिक नहीं कह सकता। एक दूसरा जो विशेष आधार है, जिसके अनुसार जो पंचायत समिति के प्रतिनिधि आगे जाते हैं, जहां तक सरपंच का प्रश्न है वह ग्रामीणों का सही रूप में प्रतिनिधि होता है, लेकिन कोऑप्शन के द्वारा सोशियल वर्कर्स होते हैं जो जिस स्तर के होते हैं वे महानुभाव आते हैं तो जो सारी शुद्ध प्रणाली है उसका रूप विकृत हो जाता है। हमें बार बार सदन में आश्वासन दिलाते हैं और उसके लिये सभी पार्टियें कोशिश करती हैं कि जो एक सभा होती है पंचायत समिति वह राजनीति से दूर रहे। लेकिन ये दो महारथी इसके अन्दर ज्यों ही प्रवेश करते हैं, पंचायत समिति में राजनीति प्रारम्भ हो जाती है और जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जाता है सरपंचों के रूप में, वह प्रतिनिधित्व सारा का सारा इन दो हाथों में चला जाता है और शहर के लोगों का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। तो माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है कि केवल सरपंचों में से ही प्रधान हो मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यह संशोधन रखता हूं कि सोश्यल वर्कर्स के कोऑप्शन करने का सवाल है, वह बिल्कुल बन्द कर दीजिये। अगर आज आप इसको बन्द कर देंगे तो पंचायत समिति को राजनीति से दूर रखने का जो आप प्रयास करते हैं उसमें आप सफल हो जायेंगे और सही रूप में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पंचायत समिति में बना रहेगा।

इसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न उठता है कि वोट कौन कौन दें। इस सदन के समक्ष जो सूची माननीय सदस्य ने संशोधन के रूप में रखी है, उसमें जो उन्होंने न्याय पंचायत में पंच को वोट देने का अधिकार देने का संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं मैं समझता हूं कि जब हमें न्याय-प्रणाली को राजनीति से कतई दूर रखना है और जब कि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं, और प्रशासनिक प्रणाली को भी न्याय-प्रणाली से दूर रख रहें, वैसी स्थिति में न्याय हं पंचायत के पंच को इस पद्धति में डालना उचित नहीं है, जिस पद्धति को आज तक प्रयोग करते रहने से इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इससे भ्रष्टाचार फैला है, इसमें पक्षपात हुआ है और राजनैतिक षडयंत्र हुआ है। इसलिए न्याय पंचायत के पंच को पंचायत समिति में वोट देने का अधिकार देने से न्याय प्रणाली में भी राजनीति पहुंच जायगी और मेरी राय से, सही रूप में जो लोगों को न्याय मिलना

( श्री विजयसिंह झाला )

चाहिए उसमें कुछ ठेस पहुंचेगी। इसलिए जो संशोधन माननीय सदस्य ने न्याय पंचायत के पंच को पंचायत समिति मे वोट देने का अधिकार देने का दिया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम किन पंचों को वोट देने का अधिकार दें। मैं समझता हूं कि जो पंच विकास पंचायत के सदस्य हैं, उनको जरूर वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये। इससे मैं भी सहमत हूं। लेकिन दरअसल में जिस तरह आज सरपंचों को पकड़ कर वोट लेने का प्रयास किया जाता है—मैं केवल कांग्रेस पर ही आरोप नहीं लगाता हूं, पर किसी भी पार्टी ने अपने सदस्य को प्रधान बनाने की कोशिश की, वह किसी भी पार्टी का हो, वह निश्चित रूप से तीन-चार दिन पहले से सरपंचों को पकड़े रख कर उनका वोट पाने का प्रयास करता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन चुनाव के समय कोई भी सरपंचों को पकड़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा पंचों को पकड़ने की कोशिश कर सकता है, और मेजोरिटी पंच को पकड़ कर दूसरी जगह ले जा सकता है; इसलिए मैं इसमें यह संशोधन रखूंगा कि पंचायत समिति क्षेत्र में जितने मतदाता हैं, उनको क्यों नहीं यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में से, जिसको वे उचित समझें, अपना प्रधान चुन कर पंचायत समिति में भेज सकें। क्योंकि आप पंचायत समिति को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं और जिस प्रकार का प्रोपेगन्डा, जिस समय विधान सभा के इलेक्शन होते हैं, उनमें होता है, उसमें आप इसमें अलाऊ नहीं करना चाहते, इसलिए मेरा सुझाव है कि जो प्रधान पद के लिए खड़ा होना चाहे वह एक विज्ञप्ति निकाल दे। पंचायत हैड क्वार्टर पर आप एक बैलट बॉक्स रख दें और उसमें सब वोटर्स को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाय। तो जिस सिद्धान्त के आधार पर आप यह संशोधन ला रहे हैं कि जो करप्शन है, पंचों को पकड़ कर, सरपंच को पकड़ कर दबाया जाता है इस हालत में सुधार होगा और इसके द्वारा प्रजातन्त्र को अपनायेंगे।

इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो संशोधन विधेयक रखा है, उसमें आपने क्लॉज़ २ में प्रधान को तो रखा है, कि प्रधान सरपंचों में से चुना जाय लेकिन उप-प्रधान के चुनाव के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। आपने कह दिया है कि पंचायत समिति का प्रधान पंचायत समिति के सदस्यों में से उनके द्वारा चुना जायगा। पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनमें कोऑप्शन में आये हुए सदस्य भी है। आपने पंचायत समिति के सदस्यों की अलग अलग परिभाषा नहीं की है और वही परिभाषा ली है जो मूल विधेयक में है। जिस सदस्य का कोऑप्शन होता है सोशल वर्कर्स का वह प्रधान के लिए खड़ा हो सकता है। मेरी समझ में जो सरपंचों से प्रधान होगा और जो सरपंचों में से उप-प्रधान होगा, उसमें इस सिद्धान्त का पालन करेंगे तो प्रधान और उप-प्रधान ऐसे आ गये तो इन महारथियों के आने से पंचायत समिति में राजनैतिक षडयन्त्र फेलेगा। इसके साथ ही अलग कोऑप्शन के रूप में आया हुआ व्यक्ति प्रधान हो जाय और दूसरा सरपंच उप-प्रधान बन जाय तो वह नहीं के बराबर होगा और अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक में बहुत सी कमियां है। इसके अलावा, जहां तक मैंने सुना है, सरकार ने इस संबंध

( श्री विजयसिंह झाला )

मे एक कमेटी बैठाई है, उस कमेटी का नाम क्या है, सादिक अली कमेटी। उसने भ्रमण किया, तो लोगों ने ऐसे प्रस्ताव उसके सामने रखे कि कम से कम जो भ्रष्टाचार इस प्रणाली में है और कई प्रकार की दूसरी कमियां हैं उनको दूर किया जाय। इसलिए, इन सारी बातो पर सोचने के लिए मैं प्रस्ताव रखूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : सभापति महोदय, मेरे एक माननीय साथी ने यह जो बिल रखा है मैं इसका स्वागत करता हूं। इस बिल के पीछे जो भावना है, जिस मकसद के लिए रखा गया है, इसके बारे में हिन्दुस्तान में पिछले दो साल से बहुत चर्चा हुई है, बहुत सी सिम्पोजियम्स और बहुत सी सेमीनार और पोलिटिकल थिंकर्स ने राय जाहिर की है। मैं समझता हूं, पिछले वर्ष जो पंजाब मे चुनाव हुए उसमे प्रणाली में कुछ सुधार किये। इन्हीं चर्चाओ के ऊपर राजस्थान में भी प्रयास शुरू किये गये। उस वक्त सरकार की मंशा थी, ग्रामीण जनता, जो देश की ८०, ८५ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उसके हाथ में एक इस तरह का इन्स्ट्रूमेंट दिया जाय, जिससे समाज में क्रांति ला सकें और जनता की दिलचस्पी हो विकास के कामों में। जो सरकार के सामने दिक्कतें हैं वे दूर हों और जो राष्ट्र की एकता चाहते हैं वह कायम रहे। इस प्रकार देश को मजबूत बनाने के साथ साथ मे दिमाग मे यह ख्याल था कि हम जो शांतिमय तरीके से समाज में तब्दीली लाना चाहते है, प्रजातंत्र में विश्वास कायम करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ यह भी आम जनता की स्थिति किस तरह से मजबूत हो। यह मकसद था। जब पंचायत राज का काम शुरू किया गया। हम आज देखते हैं, तीन साल के प्रयास के बाद, जिस मकसद के लिए पंचायती राज्य शुरू किया गया, क्या उसके नजदीक पहुंचे हैं ? क्या हमारा स्वप्न साकार हुआ है ? मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ सफलता जरूर प्राप्त की, लेकिन जो असली मकसद था जनता में विश्वास उत्पन्न करने का, डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों में और सोशलिज्म की नीति में विश्वास उत्पन्न करने का, वह नहीं कर सके हैं। इसका कारण है कि कर्मचारियों और ऑफिसर्स के कारण, सरकारी मशीनरी के कारण जो पूरे अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिल पाये, जैसा महाराष्ट्र ने किया है। यह ठीक है कि पैसे की कमी हो सकती है, और कई कारण हो सकते हैं, तकनीकी सलाह का अभाव हो सकता है लेकिन ये सारी बातें यह साबित करती हैं कि इन सारी कमियों के कारण पंचायती राज्य अपना पूरा स्वरूप अख्तियार नहीं कर सका। इसमें एक मुख्य चीज यह भी थी पंचायतों के चुनाव का जो सिस्टम सोचा गया, इसके कारण कई चीजें फैली—फिरकापरस्ती फैली, पैसे का गलत इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति फैली, कुनबापरस्ती फैली, जातीयता फैली। यहां तक ही नहीं, एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा हुआ गांवों में आपस में झगड़े हुए। तो यह मकसद कि ८० प्रतिशत जनता को राहत पहुंचे, राष्ट्रीय एकता की तरफ वे अग्रसर हों और नेशनल इमोशनल इन्टीग्रेशन की स्प्रिट पैदा हो पूरा नहीं हुआ। उसके साथ ही साथ यह चीज पैदा हो कि अदालतों में जो चीज देखते हैं, जिस तरह इन्साफ होता है उसी तरह न्याय पंचायतों में बैठकर इन्साफ हो, सारा इन्टरप्रिटेशन हो और उनमें इस तरह का कॉम्पलीकेशन पैदा करें। महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में पहले भी पंचायतें थीं।

( श्री केदारनाथ )

मैं इस दौरान और विभाग की बात नहीं करने जा रहा लेकिन, अभी जो दस मिनट पहले कल्चरल का नाम सदन के सामने आया तो मैं सोचता था कि कल्चरल यूनिटी इस देश में नहीं है, उस कल्चरल यूनिटी को कायम करने वाली चीज़ थी यह पंचायत राज। जब जब देश में पंचायतें कमजोर हुई हैं, नेशनल डिसइन्टीग्रेशन हुआ है। देश की सभ्यता को बनाये रखने का यह मार्ग था, यह मेरी मान्यता है, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। मेरा आर्गुमेंट था। पंचायतों के अन्दर जो इस सिस्टम में कमी पैदा हुई है, प्रधान के चुनाव का मुझे खुद को एक्सपीरियन्स है, किस प्रकार चुनाव से पांच-सात रोज पहले कन्वेंसिग शुरू हो जाता है, किस प्रकार सरपंचों को इकट्ठा किया जाता है, किस प्रकार घरों में बन्द कर दिया जाता है और किस प्रकार परेशान किया जाता है।

मेरे एक दोस्त ने यह कहा कि इलेक्शन्स में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और पोलिटिकल पार्टीज़ अपना वर्क करती हैं। इसको रोका जावे। मेरी यह मान्यता है कि अगर कोई नागरिक यह कहे कि पोलिटिक्स पार्टीज़ इसमें भाग नहीं लें और सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं हो तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि कोई भी पार्टी होगी, जो शासन करने वाली पार्टी रहेगी और जब तक चुनावों की यह पद्धति रहेगी और चुनाव लड़ते रहेंगे और चुनावों में हिस्सा लेंगे तब तक पोलिटिकल पार्टीज वर्क करती रहेंगी और सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता और यह रुक भी नहीं सकती। हम आज से १५ वर्ष पहले की बात सोचते हैं; जिस समय कहा जाता था कि पोलिटिकल पार्टीज़ को म्युनिसिपेलिटीज में और पंचायतों के चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिये। और न उसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग होना चाहिये। पोलिटिकल पार्टीज़ को तो कम से कम म्युनिसिपल्टीज़ के और पंचायतों के चुनावों से दूर रहना चाहिये। मगर आज के प्रजातन्त्र युग में कोई भी पोलिटिकल पार्टीज़ इसमें भाग लेने से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वे अपना केन्डीडेट इलेक्शन के लिये खड़ा करते हैं और जब केन्डीडेट खड़ा करते हैं तो उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है। इसके सम्बन्ध में पोलिटिकल पार्टीज़ के और कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये माननीय ढेबर साहब के शब्द हैं :

"It appears clear to me that elections to the Panchayat on party lines cannot be avoided. It would have been possible, I think, to avoid these tendencies some time back but since the last General Elections it is becoming plain that none of the political parties appear to be in a position to offer resistence to the idea of setting up candidates to the elections."

मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूं और इसके अलावा श्री जयप्रकाशनारायण ने कहा है: in the new era of reconstitution of Indian Polity" मैंने ऐसी मन्शा प्रकट की है। यह पोलिटिक्स के बड़े बड़े विचारकों का मत है। इसके अलावा मैं और भी उदाहरण आपके सामने रखता, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं है।

अब मैं अगले पोइन्ट्स जो हैं उनको लूंगा। अगर हम देखें कि इलेक्शन के रिज़ल्ट पंचायतों के क्या रहे हैं

( श्री केदारनाथ )

और कौनसी क्लास के लोग और कौनसी शक्तियें इलेक्शन्स में जीत कर ज्यादा आई हैं और जो जीत कर आये हैं उन लोगों की आबादी और आमदनी क्या है और कितनी परसेन्ट उन्हें पंचायतों और पंचायत समितियों में सीटें हासिल हुई हैं तो आपको उनकी सही तस्वीर मालूम हो जावेगी और यह भी मालूम हो जावेगा कि हमारी पंचायतों का जो स्वरूप हम बनाने जा रहे हैं वह स्वरूप हमारे अन्दाज से सारा गलत साबित हुआ है। आप देखेंगे कि जिन लोगों की आमदनी माहवारी ३००) रु० या ३००) रु० से ज्यादा है और जिनकी आबादी देहातों में १२ परसेन्ट है उन्होंने पंचायतों में २३.१ परसेन्ट सीटें जीतीं और पंचायत समितियों में ४१.६ परसेन्ट सीटें जीती हैं।

जिनकी आमदनी १५०) रु० माहवार की है और जिनकी आबादी ६२ प्रतिशत है उन्होंने पंचायतों में ४६.६ सीटें जीती हैं और पंचायत समितियों में २६.३ परसेन्ट सीटें जीती हैं। ये रिजल्टस् हैं आपके इलेक्शन के। यह पोजिशन इस बात को संकेत करती है कि आज भी ग्रामों में सामाजिक प्रभाव के लोगों और पैसे की कीमत है और आप इतने अर्से में इस डिसपेरिटी को दूर नहीं कर पाये हैं। आपका यह १२ साल का विकास कोई इन्स्टीटयुशनल चेन्ज नहीं ला सका। आज गांवों में पहले लोगों का जैसा प्रभाव था वैसा का वैसा स्टेटस को है। उन लोगों के हाथ में आज भी ग्रामीण लोगों की बागडोर है जो पहले कास्ट के बेरियर्स थे। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में पंचायत राज्य सफल हो तो हमें इसके लॉज में तब्दीलियें करनी चाहिये। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है :

'That these institutions of real democracy should also become instruments in the hands of high caste and high class people, to deny to the under privileged people; their social, economic rights, is a great challenge not only to the values of socialism but to the whole concept of democratic decentralisation."

यह एक बड़े पोलिटिकल थिंकर का विचार है। अगर हम चाहते है कि समाजवादी समाज की व्यवस्था हो और देहातों में सामाजिक क्रांति हो, विकास के कार्य ठीक तरह से चलें, विकास के कार्य में कोई गलतफहमी नहीं फैले, प्रजातन्त्र मजबूत हो तो इसमें चेंज लानी होगी।

आज हम क्या देखते हैं कि लोग जातिवाद के विशाल सर्कल में फंस गये हैं। इसका हल होना चाहिये। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, "Status Quo biased leaders." जो आज की हालत में विश्वास करते हैं वे कहते हैं कि आप सारी शक्ति केन्द्रित करते हैं। इसलिये अगर आप जातिवाद के 'Slough' से जनता को निकालना चाहते है और आप यह भी चाहते हैं कि प्रजातन्त्र सफल हो तो आपको अपने कानून ( लॉज ) को बदलना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनावों के बाद सरपंच क्या करते हैं और पहले क्या करते हैं।

जब उनका चुनाव होता है तो वे जातिवाद का प्रचार करते हैं और दूसरा इसमें पैसा खर्च करते हैं, वायर पुलिंग कराते हैं, मुख्य मंत्री भी उस समय दौरे करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि जब तक हमें शासन में रहना

# Page No 79



( श्री केदारनाथ )

है, सब कुछ करना पड़ता है। पैसे का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। इन सारी चीजों के कारण ग्राम जनता का विश्वास आपके प्रति दिनों दिन उठता जा रहा है। वे पंच समझते हैं कि हमारी तीन साल तक इनको सरपंच बनाने के बाद कोई कीमत नहीं है। इसलिये मै यह कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को विकास के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिये। हम चाहते हैं कि ग्रामों की जनता भी पोलोटिक्लाइज्ड हो, ताकि जिस समय पंचवर्षीय योजना के बाद वोट लिये जावें तो उनको यह कहने का अवसर मिले कि फला व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। पोलोटिकल और नेसनलाइज्ड का ग्राम जनता को हक दिया हुआ है।

हमारे यहां प्रधान बड़ी pivotal position में रहता है। समिति का प्रधान बनने के बाद जिस सरपंच ने उसको वोट नहीं दिया उस सरपंच के यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं बनेगी, औषधालय नहीं खुलेगा, सड़क नहीं बनेगी यानी कोई कार्य नहीं होगा। यहां तक कि कोई उस पंचायत का दौरा तक नहीं करेंगे, न सरकारी अफसरों को जाने देंगे। इस प्रकार अफसरों में नौकरशाही बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और राजनैतिक उन्माद बढ़ा है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

इन शब्दों के साथ में यही कहते हुए कि यह बिल बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है इससे कुछ पोलटिकल थिंकिंग जागृत होगा। हमारे पंजाब, महाराष्ट्र ने भी इसमें सुधार किया है। केरल में भी सुधार होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान ने सबसे पहले पंचायतों का श्री गणेश किया था इलेक्शन के सिस्टम से और इसकी वजह से जो ग्रामों में स्थिति पैदा हुई है उसको देखते हुए कानून में चेन्ज करेंगे। मैं इस विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं

**श्री केसरीसिंह** ( पाली ) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात अत्यन्त ही संक्षेप में सदन के सामने रखता हूं। जिन कारणों की वजह से माननीय सदस्य ने यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह तो सर्व विदित ही है। जिन जिन तकलीफों को उन्होंने महसूस किया है वे तकलीफें बेशक हकीकत हैं और उनको मैं भी महसूस करता हूं इस बिल को यहां लाने में जो ग्रोब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स बताये गये हैं उनमें यह बताया गया है कि मेलाफाइड प्रेक्टिसेज़ दूर हों और इलेक्टोरेट को वाइडन किया जाए, इलेक्टोरेट को ब्रॉडन करने की बात की है। आपने सजेशन दिया है कि न्याय पंचायतों और पंचायतों के जो पंच हैं वे मिल कर समितियों के प्रधान को चुनने के लिये इलेक्टोरेट बने इसमें न्याय पंचों वाली बात तो कुछ जँचती नहीं परंतु मेरे खयाल से प्रधान के चुनाव के लिए जितने समिति में मतदाता हों उनको सबको अधिकार हो कि वे वोट दें तो यह ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस विषय में जनता की क्या राय है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। आपने कोग्रॉप्टेड मेम्बर्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया है यह कदाचित उचित नहीं है।

दूसरी बात इसमें यह है कि इस बिल के मुताबिक केवल सरपंच ही प्रधान बन सकेंगे। दूसरों के लिये रास्ता बन्द हो जाता है। एक तरह से यह बात ठीक है कि शहरों के लोग कोग्रोप्शन के जरिये समिति में आकर प्रधान

# Page No 80



( श्री केसरीसिंह )

बन जाते हैं पर शहरी लोगों से गांवों के लोग बिलकुल ही नफरत करते हों ऐसी बात नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढाः** माननीय सदस्य को अनुभव होगा क्योंकि वे भी प्रधान हैं

**श्री केसरीसिंह :** मैं सरपंच भी हूं। तो यह बात नहीं है कि शहरों मे ऐसे कोई आदमी हो ही नहीं सकते कि जिनको गांवों की जनता चाहे। लेकिन यह भी होता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वे पांच, पन्द्रह आदमियों यानी सरपंचों पर ज्यों त्यों प्रभाव जमा कर प्रधान बन जाते है। यह उस परिस्थिति में संभव नही हो सकेगा जब कि सारे मतदाताओं को अधिकार हो कि प्रधान को चुनें क्योंकि सब मतदाताओं पर तो कोई अनुचित प्रभाव जमा नहीं सकता। सब मतदाताओं को प्रधान के चुनने का अधिकार होने की दशा में अगर शहर के आदमी भी प्रधान के चुनाव में आ जायं तो इसमें आपत्ति की बात नहीं। लेकिन इस विषय में ग्रामों की जनता का मत जानना परमावश्यक है। गांवों में सरपंच बनते हैं उसके अलावा भी गांवों में बहुत से लोग हो सकते हैं जो डाइरेक्टली प्रधान के पद के लिये खड़े हों। तो इन सब हालात को देखते हुए केवल सरपंचों के लिये ही प्रधान बनने का रास्ता खुला रखते हैं, दूसरों के लिये बन्द रख देते हैं यह ठीक नहीं जंचा।

पंचायत समिति में कोआॅप्टेट मेम्बर्स होते हैं। इसमें शक नहीं कि कोआॅप्शन का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, कोआॅप्शन गलत तरीकों से हुए हैं, लेकिन कोआॅप्शन के पीछे भी एक उसूल है। वे देखते है कि अमुक वर्ग विशेष से एक व्यक्ति आता है, जो उसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी रखता है, वह पंचायत समिति को एक्सेप्टेबल भी है, वह उस वर्ग विशेष के सम्बन्ध में पंचायत समिति के सामने सब बातें अच्छी तरह से रख सकता है तो कोआॅप्शन के पीछे यह मूल भावना है कि कोआॅप्शन के जरिये विशेष वर्गों का पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व हो सके।

इसके अलावा दो अनुभवी सदस्यों को कोआॅप्ट करने की बात है, इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिये, जितने सरपंच हैं, पंचायत समिति में, उनमें कोई भी एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्स्पीरियेन्स रखने वाला नहीं है तो वास्तव में जो व्यक्ति एड्मिनिस्ट्रेशन में अनुभवी हैं, वे समिति के मेम्बर बन सकें और वैसे लोगों की सलाह मिल सके इसके लिये उनका कोआॅप्शन हो तो यह कोई बेजा बात नहीं है। बल्कि बड़ी अच्छी बात है।

अगर यह करते हैं कि प्रधान सरपंच ही हो सकते हैं कोआॅप्टेड मेम्बर्स नहीं हो सकते तो जो लोग कोआॅप्ट किये जायेंगे वे अपने आपको दूसरे सदस्यों याने सरपंच के मुकाबले में नहीं समझेंगे, तो उस दशा में कोई भी समझदार आदमी कोआॅप्टेड मेम्बर बनना नहीं चाहेगा। तो इस दशा में या तो कोआॅप्शन का प्रावधान बिल्कुल ही हटा दें या फिर यदि प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन्स से करा देते हैं, सारे ही मतदाताओं को चुनाव का अधिकार हो तो उनमें कोई अपने को हीन या ऊंचा नहीं महसूस करेगा। प्रधान को डाइरेक्टली प्रजा चुनेगी तो प्रधान का प्रजा से सम्पर्क भी ज्यादा रहेगा। आगे

( श्री केसरीसिंह )

जाकर प्रधानों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे तो यह प्रणाली जनता के लिये अधिक हितकर होगी।

इलेक्टोरेट का ज्यादा ब्रॉड बेस्ड करना तो ठीक है पर न्याय पंचायतों के पंचों को इलेक्टोरेट में शामिल रखना वाजिब नहीं, केवल प्रधान ही सरपंच बन सकते हैं, कोओप्टेड मेम्बर नहीं, इस तरह का प्रावधान रख कर कोऑप्टेड मेम्बर्स को अपने आपको हीन महसूस करने दिया जाय, यह बात भी ठीक नहीं लगती। तो इन वजूहात से मेरा खयाल है कि जनता का आम ग्रामवासियों का इस विषय में क्या मत है यह जानना परमावश्यक है। उधर इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये सादिकअली कमेटी राज्य सरकार ने बैठाई है जो पंचायत समितियों की सारी गतिविधियों का अच्छी तरह अध्ययन करके बारीकी से छानबीन करके अपनी रिपोर्ट करेगी। मैं समझता हूं कि दिसम्बर तक वह कमेटी अपनी सिफारिश कर देगी, तो कमेटी की बात भी आपके सामने आ सकेगी ऐसी दशा में फिलहाल ३ महीनों के लिये यह बिल जनमत के लिये प्रसारित किया जाय तो अधिक वाजिब होगा।

( अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए )

**श्रीमती सभानेत्री:** श्री जयकृष्ण शर्मा !

**श्री जयकृष्ण शर्मा** ( थानागाजी ) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेण्डमेंट) बिल, १९६३ पेश हुआ है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस बिल को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हम, जो पंचायत राज की मूल भावना है उससे दूर चले जाते हैं। हमने राजस्थान के अन्दर पंचायती राज्य को प्रारंभ किया और राजस्थान के अन्दर पंचायती राज्य से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुवा। हो सकता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने में गलतियां, कमियां रही हों, लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य देखें कि प्रजातन्त्र, जिसका जन्म हमारे यहां हुआ है. उस प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में हम सदन में और बाहर चर्चा करते हैं इस प्रणाली का काम ढिलाई से होता है तो उस ढिलाई को दूर करने का हम प्रयास करते हैं और हमारा कर्त्तव्य होता है कि अपने प्रयासों से उन कमियों, गलतियों और ढिलाइयों को दूर करें।

पंचायती राज्य के सम्बन्ध में पंचायत समिति तथा जिला परिषद अमेंडमेंट बिल माननीय सदस्य द्वारा पेश किया गया है और इसके द्वारा कमियों को दूर करना चाहते हैं। मैं इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि २ अक्टूबर, १९५९ को पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थापना हुई और इनके द्वारा गांवों के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण पहुंचा। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आईं और उनसे प्रभावित होकर हमने सोचा कि पंचायत समिति और जिला परिषद का एक्ट है इसके अन्दर कुछ सुधार होना चाहिये, लेकिन उसमें प्रधान के चुनाव का सुधार हो, वह कहीं नजर नहीं आया। इसमें बहुत सी बातों के बारे में आपका हमारा अनुभव है और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं और इस सदन के सदस्य हैं उनको भी कई अनुभव हुए होंगे कि इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में हमारे सुझाव जानने के लिये सरकार ने कमेटी बैठाई है, सब के पास

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

कलेक्टर का प्रोफोर्मा भेजा है कि अपने अपने सुझाव इस सम्बन्ध में भेजें। ये सुझाव २० सितम्बर तक आमन्त्रित किये हैं, आपने भी अपने सुझाव भेजे होंगे। तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो इस बिल में लाया गया है काफी नहीं है। इसमें इतना वजन नहीं है कि हम इसे कानूनी रूप दे सकें। इसमें लिखा है कि कोई सरपंच :

"among the Members of the Panchayat and Nyaya Panchayat"

पंच-सरपंच और न्याय पंच किसी भी सरपंच को प्रधान चुनेंगे तो हिन्दुस्तान की जो प्रजातन्त्र की प्रणाली है उसमें यह कहीं नहीं है कि सरपंच तो प्रधान चुनें और उसमें पंच और न्याय पंच मत दें। तो इसमें सबसे बड़ी खामी यह नजर आती है।

दूसरा कोआॅप्शन के बारे में है। इसमें दो राय हो सकती है, पर मेरा ख्याल है कि जो ७ व्यक्ति कोआॅप्टेड होते हैं उनमें हैं २ अनुभवी, दो महिलाएं, एक हरिजन और २ सहकारिता के प्रतिनिधि। तो जब कभी हमारे यहां सदन में महिलाओं, हरिजनों और कोआॅपरेटिव सहकारिता के सम्बन्ध में चर्चा होती है तो इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि हरिजनों का उत्थान होना चाहिये, महिलाओं को स्थान देना चाहिये, सहकारिता को स्थान देना चाहिये तो यह कैसे हो सकता है कि इस प्रावधान को हटा दें ?

हो सकता है कि कोआॅप्शन के सम्बन्ध में दो राय हों। कई कहते हैं कि इससे शहरी लोग चले जाते हैं।

दूसरा प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि जो चुनाव की प्रणाली है वह दो प्रकार की हो सकती है। एक तो सरपंच की पंचों में से हो सकती है और सरपंचों से प्रधान का चुनाव रखा ही हुआ है लेकिन न्याय पंचायतों की इसमें बात रखना तो उतना ही गलत है जितना कि सरपंचों से प्रधान का चुनाव। यदि न्याय पंचों से वोट कराना है तो सारे वातावरण को दूषित करना है। मैं न्याय पंचो की बात करना ही नहीं चाहता। पंच और सरपंच वोट देते हैं और उनमें से प्रधान बनाते हैं तो किसको प्रधान बनायें ? पंचों को भी सरपंच के लिए खड़ा होने का प्रावधान किया हुआ है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, पंचायत समिति का कोई वोटर हो, प्रधान के लिए खड़ा हो सकता है यदि वह नियम और योग्यतायें जो उसमें रखी हुई हैं उन योग्यताओं को, उन क्वालिफिकेशन्स को वह फुलफिल करता हो। यह बात तो समझ में आ सकती है। पैसे वालों को मौका मिलेगा, विशेष वर्ग को मौका मिलेगा, विशेष जाति के लोगों को मौका मिलेगा, यह जो कहा जाता है वह उससे भी दूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि पंचायत राज्य को विस्तृत रूप देना है, गांव के लोगों को प्रतिनिधित्व देना है कि उनका प्रतिनिधित्व उस पंचायत समिति में किस प्रकार हो, पंचायत समिति के द्वारा कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, गांव का उत्पादन किस प्रकार से हो तो हमें इस बारे में विशेष रूप से सोच कर निर्णय करना होगा। जब हम इस ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ता है कि जिला परिषद में और पंचायत समिति में यह किस प्रकार से हो। गुण व अवगुण दोनों तरह से मिलते हैं।

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

करप्शन का जहां तक सवाल है, प्रजातंत्र प्रणाली में जो चुनाव होते हैं, इस सदन में माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, माननीय सदस्यों ने चाहे जैसे कारण दिखाये हों, वे सब जानते हैं कि उनके बड़े बड़े खर्चे हुए हैं और अन्य बातों से विधान सभा में चुन कर आए हैं, फिर यह सवाल पैदा नहीं होता कि यह किस प्रकार से हो। हमें यह देखना है कि हमें कौनसी प्रणाली और परिपाटी डालनी है, किस प्रणाली से और किस परिपाटी से हम प्रजातंत्र को सफल कर सकते हैं ?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इनमें राजनीति का समावेश होना भी इसलिए जरूरी हो गया है कि कई राजनैतिक पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, छोटी–मोटी होती हैं तो नागरिक दल बना लेती हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

तो इस प्रकार से जिला परिषद और पंचायत समितियों में चुनाव लड़े जाते हैं।

न्यायोचित मांग के लिए माननीय सदस्य ने कहा कि हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं और हमारी न्यायोचित मांग को अवश्य स्वीकार करना चाहिये। मैं इस बात का हामी हूं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में यह विश्वास होना चाहिये जो न्यायिक हो, उसको स्वीकार किया जाय। यह सदन उसको स्वीकार करे।

यह जो बिल आया है इसमें इतनी खामियां हैं कि इसको प्रवर समिति को भेजते, इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजते। आज हम इस बात को मंजूर करते हैं कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं उनके अलावा भी और उसकी जरूरत होगी क्योंकि यह बिल अधूरा है। इसमें बहुत सी खामियां हैं। सादिक अली के चेयरमेनशिप में जो कमेटी बनी है उसमें सदन के तीन एम० एल० एज़० हैं जो जिला प्रमुख भी हैं और प्रधान भी हैं। वे इस बारे में और विचार कर रहे हैं। गवर्नमेंट उस हालत में विचार करके इसमें अमेंडमेंट फिर लावेगी। जनता ये तीन-चार साल के इस परीक्षण से एक भावना आयी है पंचायती राज्य के बारे में। उनकी पंचायत समिति और जिला परिषद् के बारे में क्या धारणायें बनी हैं, यह भी विचारणीय है।

तो उनके पास हमारे सुझाव गये हैं, जो भेजना चाहते हैं वे जावेंगे और उसके बाद वे सब राज्य सरकार के पास आवेंगे। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जनता की भावनायें हैं, जो जनता के सुझाव हैं उन पर वह पूरा मनन करें और उसके पश्चात् ही इसमें आवश्यक परिवर्तन करें क्योंकि पंचायतों के चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं। प्रधान का जो चुनाव है वह दोषपूर्ण है। एक ओर से ही नहीं सब ओर से बताते हैं। पंचायती राज्य को जन्म राजस्थान ने दिया, सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया, उसके कारण राजस्थान में जागृति हुई है। यदि आप २० जनरल इलेक्शन भी कर देते तो इतनी बड़ी जागृति नहीं होती जो कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के बनने से जनता में अब पैदा हुई है।

इसलिये यह जो बिल आया है उसमें बहुत ही खामियां हैं। इसको या तो जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जाय, हालांकि उससे यह अधूरा रहेगा, वर्तमान में

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

जो एक्ट है उसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है, को-ऑप्शन, स्टेन्डिग कमेटीज़, को-ऑपरेटिव्ज का चुनाव, कृषि-निपुण, जिसके बारे में अभी परसों ही जिक्र हुआ है, पंचायत समिति के चुनाव, चुनाव की टर्म पांच साल या चार साल करने के बारे में,ये जो इसमें नहीं हैं उनकी ओर ध्यान दिलाते हुए राजस्थान पंचायत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमेटी का निर्माण किया गया है उसके सुझावों का ध्यान रखते हुए और साथ ही पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं उनसे पहले जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट में परिवर्तन होना चाहिये और यह यदि गवर्नमेंट की ओर से मूव हो तो बहुत ही अच्छा है। प्रधान के लिए ही अमेंडमेंट रखा हो तो इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

**श्रीमती सभानेत्री** : चूंकि समय बहुत कम रह गया है; ७॥ बजे इस पर बहस समाप्त करनी चाहिये थी। माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। अत: केवल पांच-पांच मिनट ही माननीय सदस्य अब इस पर बोलें।

(विराम)

माननीय श्री जोधासिंह

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

**श्रीमती सभानेत्री** : समय बहुत कम है पांच मिनट से कम क्या समय दिया जा सकता है।

**श्रीजोधासिंहचौहान**(गिरवा): सभापति महोदया, पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों के बारे में काफी प्रकाश डाला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ तो सरकार ने यह सोचा कि हम हमारी इस आजादी को जनता में फैलायें,उसे गरीब नागरिकों तक पहुंचायें,इसलिये पंचायती राज्य कायम किया जाय। वास्तव में दृष्टिकोण तो ठीक था, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की पार्टी देश पर शासन करती है उसके जो लक्षण हैं वे ही उसमें आ जाते हैं।

**श्री रामकिशन** (वैर) : सभापति महोदया, सरकारी पक्ष की ओर से मन्त्री महोदय कोई भी नहीं हैं, सब गायब है। मंत्रियों को चाहिये कि वे यहां रहें।

**श्रीमति सभानेत्री** : आचार्य जी आ गये हैं।

**श्री रामकिशन** : घूम रहे हैं।

**श्री जोधसिंह चौहान** : जब हमारे यहां पंचायती राज्य की स्थापना हुई; पंच, सरपंच, प्रधान चुने गये।

**श्रीमती सभानेत्री**: ट्रेजरी बैंच पर कोई मन्त्री नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री; राजस्व) : आ गया हूं।

**श्री जोधसिंह चौहान** : जैसा कि कहा गया कि पंच-सरपंच को दबाया जाता है कांग्रेस की ओर से, मेरा भी कटु अनुभव है इस सम्बन्ध में। जनता को वास्तविक रूप मे पंचायती राज्य का पहले ज्ञान नहीं कराया गया, यह नहीं बताया कि हम तुमको राज्य सौंप रहे है और तुम्हारा राज्य है, तुमको न्याय करने का मौका होगा। मैं आपको

# Page No 85



( श्री जोधसिंह चौहान )

उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैं दूसरी कांस्टिट्यूएन्सी का रहने वाला, मावली के अन्तर्गत क्षेत्र में गया तो वहां सरपंच महोदय से मिला तो उन्होंने कहा कि हमको तो इस प्रकार की आज्ञा है, हमारे जिला परिषद के प्रधान ने इस प्रकार का हुक्म दे रखा है कि जो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे वे आगे हार जावेंगे। जो डावरी नाम का गांव है वहां तीन सौ, चार सौ वोट हैं। सरपंच वोट नहीं देगा, दूसरे नहीं देंगे और उनको कांग्रेस की ओर से इस प्रकार सिखाया गया है लेकिन वे जानते हैं कांग्रेस के द्वारा वहां सरपंच वगैरह को थोपा गया है। उन्होंने सोचा ग्रामवासियों को प्रजातन्त्रीय ढंग में नहीं ला सकते अगर इस प्रकार का दबाव माना गया। वे सोचते हैं कि कांग्रेस जो करती है वह करती है और वे लोग इस प्रकार से उनके कहने पर चलते हैं, ग्रामवासियों के कहने पर नहीं। उससे क्या हुआ कि वहां के जितने भी सरपंच थे वे कांग्रेस के अनुयायी थे, कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हैं तो वे सत्ता के खिलाफ वोट माने जायेंगे,सरकार ने उनको हिदायत दे रखी थी....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व ) : आपको कैसे सौभाग्य प्राप्त हो गया ?

**श्री जोधसिंह चौहान** : मुझे भी जनता ने भेज दिया है। वही तो मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग खिलाफ होते हुए भी वहां की जनता ने मुझे चुना है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (ग्रामीन्द) : आपको जनता ने चुना है, इसी तरह से उनको भी जनता ने ही चुना है।

**श्री जोधसिंह चौहान** : जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है। विकेन्द्रीकरण करने से जहां लोग यह सोचते थे कि सारी सत्ता जनता के हाथ में आ जायगी वह नहीं हुआ। जनता सोचने लगी, योजनायें हम अपने लिये बनायेंगे, लेकिन वह हुआ नहीं। सहकारी समितियां बनाकर घोटाले होने लगे। डोडावत में जहां कांग्रेस को वोट आये वहां पर २००-३०० मुझे मिले। वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मेरी जान पहिचान न थी, फिर भी लोगों ने मुझे वोट दिये और मुझे जिताया, वहां के सरपंचों के दुर्व्यवहार से तंग आकर वहां की जनता ने मुझे चुना है। हमारी पंचायतों में जो कोआॅप्शन से मेम्बरों को लिया जाता है, यह भारी कमी है। बारां पंचायत समिति में जो कोआॅप्शन से मेम्बर लिये गये हैं वे सारे नगर के निवासी हैं। चार व्यक्तियों में से तीन नगर के चुने गये। तीनों का एक जगह रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकता। अगर गांवों का हमें उद्धार करना है तो वहां शहर का एक भी नुमायन्दा लिया जाना उचित नहीं है। ग्रामवासी यदि कम समझदार या पढ़े-लिखे हों तो वहां दूसरे व्यक्ति को कोआॅप्शन द्वारा लिया जा सकता है। अब गांवों में भी काफी पढ़े-लिखे लोग मिलने लगे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रामवासियों का ही कोआॅप्शन ज्यादा होना चाहिये।

जहां तक कृषि निपुण का सवाल है उसमें भी इसी प्रकार से आदमी लिये जाते हैं। कृषि निपुण के लिये जिस प्रकार माननीय केसरीसिंहजी ने राय दी थी कि नियम बनने चाहिये। नियमों के अनुसार ही लेना चाहिये। आज कांग्रेस वालों का राज है। बहुमत के आधार पर जिस तरह से ये चाहें कर सकते हैं। हो सकता है, कल किसी दूसरी पार्टी का राज्य आ जाये तो बहुमत उनका

( श्री जोरसिंह चौहान )

होगा तो वे भी मनमानी कर सकते हैं। इसलिये इन नियमों में संशोधन होना चाहिये। आये दिन प्रधान मनमानी करते हैं, प्रधान महोदय बाहर जाते हैं, तीन तीन महीने तक बाहर चले जाते हैं, अपना काम दूसरों को नहीं देते इसका क्या कारण है ? यही कारण है कि पार्टी बाजी, गुट-बन्दी के सिवाय उनके सामने कोई सवाल ही नहीं रहता, उनके सामने देश के कल्याण की बात नहीं रहती, उनके सामने अपनी पार्टी का स्वार्थ रहता है। आज हमें हर किसान को सुखी बनाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश को गुटबन्दी से ऊपर उठाकर जो इस जनतन्त्र में विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं वहां हम जनता की राय से चलें तभी गांधीजी का रामराज्य का स्वप्न पूरा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ आया है उसे प्रवर समिति में दे दें ताकि वहां से पास होकर अच्छी राय आ सके, इसमें बहुत सारी अनियमिततायें हैं वे भी दूर हो सकें।

**श्री [illegible]सिंह राठोड़** (जायल) : सभापति महोदया, पंचायत समितियां और जिला परिषदों को ठीक ढंग से चलाना है तो यह जरूरी है कि मौजूदा एक्ट है उसमें काफी तब्दीली करनी पड़ेगी। इस सारी तब्दीली की तरफ ध्यान न देकर मौजूदा एक्ट में जो संशोधन पेश हुआ है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मौजूदा बिल के अन्दर इलेक्टोरल कॉलेज के सम्बन्ध में कहा गया है। दूसरा, प्रधान कौन बने इस संबन्ध में भी कहा गया है। इलेक्टोरल कॉलेज के अन्दर पंचायतों के सरपंच, न्याय पंचायत के मेम्बर्स को तथा सब पंचों को लिया गया है। जहां तक न्याय पंचायत के मेम्बर्स का सम्बन्ध है मैं इसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि पंचायत समिति और न्याय पंचायत अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स हैं, एक इन्स्टीट्यूशन का दूसरी इन्स्टीट्यूशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर न्याय पंचायतें और पंचायत समितियों का संबन्ध रहता है तो इसका मतलब यह होता है कि न्याय को इन्डिपेन्डेन्ट नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वे काफी नहीं है। इसलिये पंचायत के मेम्बर्स तक एक्स्टेन्ड करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ सुझाव में कहा गया है कि सारी पंचायतों के अन्दर रहने वाले वोटर्स हों उनके वोट लिये जांय, पर इस समय यह ठीक नहीं होगा। इसमें जो खर्च होगा वह बहुत ज्यादा होगा। इससे हमारी फाइनेन्सेज पर काफी असर होगा। जहां तक पार्लियामेंट के इलेक्शन का सम्बन्ध है या लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स के चुनाव का सवाल है उसमें अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है, परन्तु प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। हो सकता है, कहीं पर दो दफा भी इलेक्शन कराना पड़े, जिससे स्टेट के एक्सचेकर पर वजन पड़ेगा। इसलिये मौजूदा हालत में यह मैं वाजिब नहीं समझता कि प्रधान का इलेक्शन हो उसमें सारे के सारे पंचायत समिति के वोटर्स वोट दें। साथ ही साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि अब मौजूदा इलेक्टोरल कॉलेज में प्रधान का इलेक्शन पंचायतों के मेम्बर्स तक एक्सटेन्ड करना जरूरी है।

दूसरा अमेंडमेंट जो यह है कि सरपंच ही प्रधान हो सकता है, यह वाजिब नहीं। यह जो आइडिया है वह वाजिब है। कोआॅप्शन के

( श्री गंगासिंह राठौड़ )

जो मेम्बर्स हैं, उस पंचायत समिति के मेम्बर्स हैं उन्हें प्रधान-शिप से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो मूल भूत अमेंडमेंट बिलपेश हुआ है उसकी कुछ धारायें और उसके कुछ प्रोवीजन ठीक हैं और कुछ ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इसमें किसी प्रकार की भी खामियां हों; उनको निकाला जा सके।

**श्रीमति सभानेत्री** : श्री मानसिंह महार

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : आदरणीय सभानेत्रीजी, सदन के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं समझता हूं, आज जिस प्रकार से राजस्थान में प्रधान के चुनाव हुए वे एक प्रकार से समझा जाय तो हमारे इस जनतंत्र के लिये कलंक हैं। शायद हमारे उप-मंत्री जी समझते हों, मैं यह गलत बात कह रहा हूं। मैं समझता हूं सरपंचों को भेड़ बकरियों की तरह मोटरों में बन्द करके जबरदस्ती गंगा नहलाने, जमुना नहलाने ले जाते हैं और जिनको दस दिन तक बाहर रखा यह कोई जनतंत्र नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : यह तो आपही की तरफ से शुरू हुई।

**श्री मानसिंह महार** : पहले कांग्रेस वालों ने शुरुआत की तो झखमार कर हमें भी करनी पड़ी !

**एक माननीय सदस्य** : यह तो झख मारने की तो आपकी आदत ही है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व) : आपने तो दोनों चीजें एक साथ कर दी।

**श्री मानसिंह महार** : हम तो झख भी मारते हैं; लेकिन अब मैं संस्कृत भाषा का प्रयोग करता हूं, 'गू' भी खाते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था सभानेत्रीजी, यह जो प्रधानों का चुनाव है इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इस कमी को महसूस करते हुए माननीय मित्र ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा यह आया है उनकी नीति है कि इसमें कुछ ऐसी चीज रख दी जाय ताकि वह पूरी न हो सके। इसमें न्याय पंचायतों को जोड़ दिया गया है। अब तक जो प्रधान हुआ करते थे वे सरपंचों द्वारा चुने जाते थे लेकिन न्याय पंचायतों को इस दल-दल से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। हमारी न्याय पंचायतें बिलकुल सेपरेट रहें।

किन्तु उन न्याय पंचायतों के सदस्यों को भी चुनाव में पार्टी बनाते हैं। जब यह बात देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मै समझता हूं कि यह खतरनाक बात है और यह बिल किसी भी तरह सदन को पास नहीं करना चाहिए, जो न्याय पंचायतें इन्डिपेंन्डेंट रहनी चाहिए वह जो एम था, वह बहुत अच्छा एम है, उसको इस बिल के द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई है, तो हमें इसका विरोध करना है। इसके अलावा इसके अंदर एक और बड़ी खामी है कि प्रधान के चुनाव में कोआॅप्शन के बाद प्रधान का चुनाव हो तो कोआॅप्शन को भी नहीं उड़ाया गया है। जो लोग पंचायतों के चुनाव में हार जाते हैं या पंचायतों के सरपंच होने के अधिकारी नहीं होते हैं, जो अपने जोर से, सरकारी सत्ता के जोर से कोआॅप्शन में मेम्बर बन जाते हैं पंचायत समिति के और फिर प्रधान बन जाते हैं।

( श्री मानसिंह महार )

यह तो राजस्थान है। यहां पर एक प्रधान ऐसा है जो जोधपुर का रहने वाला है, दिल्ली में एम. पी. हैं और प्रधान बन गया और प्रमुख बन गया, पाली की जिला परिषद् का यहां तो कुछ भी हो सकता है। हमारी जयपुर की जिला परिषद् का नमूना दूं। हमारे जिला प्रमुख न तो कहीं के प्रधान है उनका एक बैंक के सदस्य के नाते कोग्रॉप्शन हो गया और जिला प्रमुख बन गये। इतना ही नहीं, वह आज माइनोरिटी में होते हुए भी जिला प्रमुख बना बैठा है। इसके अंदर यह प्रोवीजन किया गया है कि २।३ मैजोरिटी अगर नहीं हो तो प्रमुख में अविश्वास नहीं आएगा। आप सोचें, आज जयपुर जैसे महत्वपूर्ण जिला परिषद् में भी ऐसा आदमी बैठा हैं। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मीटिंग में जयपुर के तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने कहा कि इस जिला परिषद में आज तक पार्टी बाजी नहीं हुई। आज प्रथम मौका है, मानसिंह महार के आने से पार्टीबाजी चालू हो गई। मैंने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि "Charity begins at home." हमारे प्रमुख महोदय ने जब देख लिया कि बहुमत उनका नहीं है, वे अल्पमत में हैं तो उनका २।३ मैजोरिटी को नहीं देखना चाहिए। और प्रेम से इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए अगर सही लोकशाही की परम्परा बनानी है तो यह होना चाहिये। अगर कानून में कोई लेकुना है तो उससे लोगों को नाजाइज फायदा नहीं उठाना चाहिए, हालांकि तोड़-फोड़ हमारी सरकार सरपंचों की अधिक करती है; जैसे इधर के मेम्बरों को लेना। अब तो ५–६ को ले रहे हैं। मैं सरकार को बताता हूं कि और भी ५–६ ऐसे हैं जो आपके पास आना चाहते हैं तो उनको भी ले लीजिए; हमारे यहां से कीचड़ हट जायगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं समझता हूं कि इस बिल के अंदर कोग्रॉप्शन को खत्म किया जाय। अगर कोग्रॉप्शन को रोका गया तो जो बीमारी हमारे सामने है वह २५ प्रतिशत कम होगी।

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को थ्रो आऊट किया जाय, क्यों कि इसके अंदर जो न्याय पंचायतों वाली बात है वह इतनी घातक है कि इसका मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि अब इस पर संजीदगी से विचार किया जाय। आपने एक स्टडी टीम बनाई है, उसकी रिपोर्ट को भी देखिए। ऐसे मामलों में जो जल्दबाजी होती है, उसका मैं विरोध करता हूं। स्टडी टीम की रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी और सदन विचार करेगा! इसमें परिवर्तन जरूर करना है, मगर जिस प्रकार से न्याय पंचायतों की बात रखी है उसका मैं विरोधी हूं इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

**श्री रामकिशन** (बैर) : माननीय सभानेत्रीजी, जहां तक इस संशोधन का उद्देश्य है वह अपने आप में काफी साफ है और मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष भी इस बात को मानता है कि प्रधानों के चुनावों में अनियमितताएं हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकारी पक्ष के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस तरह की प्रणाली में हम परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके साथ साथ सादिकअली की रिपोर्ट भी आनी है। उसने एक प्रश्नावली प्रकाशित की है। उसको देखने से मालूम पड़ता है कि वह कमेटी सारे देश भर में जा

( श्री रामकिशन )

रही है। वह सारे पंचायत राज्य स्ट्रक्चर की जानकारी ले रही है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी कुछ खराबियां हैं और वर्तमान कार्य प्रणाली में संशोधन होना लाजमी है। हर कार्यप्रणाली में कोई न कोई दोष जरूर होता है। पहले भी राजस्थान सरकार की तरफ से जो वर्किंग इन पंचायती राज राजस्थान नाम की जो इवैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट निकली थी उससे मालूम होता है कि काफी खराबियां हैं। ५६ प्रतिशत जिला परिषदों में और शायद १५ प्रतिशत पंचायत समितियों की मीटिंगों के बारे में, उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में उनकी सब-कमेटीज के फंकशंस के बारे में, सब पर राय जाहिर की है। उस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि उन्होने एक दो बातें मुद्दे की कही हैं। एक तो जो सहवर्ती सदस्य होते हैं जिनका सहवरण किया है, वह पूरा नहीं है।-वह रिपोर्ट के करीब २४ और ४३ पेज पर विस्तार से लिखा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व) : अभी तो नहीं पढ़ा, आपको कैसे ख्याल आया....

**श्री रामकिशन** : आपके पापों का दंड हमको भुगतना पड़ रहा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : किन शब्दों में लिखा है, वह तो पढ़ कर सुना दीजिये।

**श्री रामकिशन** : मैं उसकी हिन्दी कर दूंगा।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : आप किसकी हिन्दी कर दोगे ?

**श्री रामकिशन** : आपकी।

तो सभापति महोदय, सहवर्ती अपने कर्त्तव्य पूरा नहीं करते,न सुझाव दे पाते हैं।

पर एक बात और कही गई कि महिलाओं का सहवरण जो हुआ है वह भी ऐसा ही है। वे भी अधिकतर बिल्कुल चुप-चाप बैठी रहती हैं, शान्त रहती हैं। अब महिलाएं भी गद्दी पर, तख्त पर बैठने लग गई हैं, कोई इस प्रकार की राय अपनी न बना लें क्योंकि महिलाओं का जहां तक सम्बन्ध है उनको हमें विशेष अवसर देने होंगे। इसलिए उनके सहवरण को समाप्त करने की बात हमें नहीं करनी चाहिए।

इस रिपोर्ट में खासतौर से एक बात कही गई है कि प्रशासन के नाम पर अनुभवी लोग जो उसमें चुने गये थे उनका भी काम नगण्य रहा। वे न तो वहां उपयोगी सिद्ध हुए हैं और न कोई ठीक सलाह-मशविरा दे पाये हैं। दूसरी बात यह भी कही गई है जिसको संशोधन के द्वारा लाने की कोशिश इस बिल में की गई है।

इनमें पचास प्रतिशत वकील हो गए हैं। वैसे मैं वकीलों का विरोधी नहीं हूं। पर जो विकेन्द्रीकरण की मान्यता थी कि ग्रामीण नेतृत्व को आगे लाया जावे, उसको प्रभावशाली बनाया जावे तो इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वह नेतृत्व प्रभावशाली बन नहीं रहा है। मैं सारे राजस्थान भर की बात नहीं कहता। हमारे केदारजी ने कहा है कि जो प्रेरक शक्ति इन पंचायतों के द्वारा हम पैदा करना चाहते थे वह नहीं हो पाई। इसमें भी सारे राज्य की बात तो नहीं कहता पर भरतपुर का मुझे अनुभव है। मैं उस बारे में थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। वहां ५०० के लगभग पंचायतें हैं। उनमें से केवल दो हरिजन सरपंच

( श्री रामकिशन )

बन पाये हैं। वहां भी समाज का वही ऊपरी वर्ग ही किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव कायम किए हुए हैं इस प्रणाली के द्वारा। बांसवाड़ा में सरपंच है, महिला सारे राजस्थान में केवल एक।

**एक माननीय सदस्य** : महिला प्रधान भी है।

**श्री रामाकिशन** : मैं सरपंच की बात कहता हूं।

इसलिए निवेदन है इस सम्बन्ध में कि जिस उद्देश्य से भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य से यह बिल लाया जा रहा है उससे सरकार की सहमति है। उसे सरकार भी स्वीकार करती है।

पर चूंकि इस पर सादिकअली की रिपोर्ट भी आनी है, उसके आने के बाद और दूसरी स्टेटों के अनुभवों की रिपोर्ट भी आने के बाद अगर इस पर गम्भीरता से अध्ययन किया जाकर, जो प्रणाली पांच हजार वर्ष से हमारे यहां से लुप्त रही, और जिस पांच हजार वर्ष पुरानी प्रणाली को हमने फिर से लागू किया है, उस सब पर चूंकि इस समय पुर्नविचार हो रहा है, तो वह पुर्नविचार किया जाकर कुछ निर्णय लिये जा सकें, इसलिए निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए। तब तक वे रिपोर्टें भी आ जावेंगी और उनकी सिफारिशों को देखकर उन पर निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी और इसमें कुछ परिपक्वता भी आ जावेगी।

**श्रीमती सभानेत्री** : अब सरकार की ओर से जवाब होगा।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : मेरा एक अमेन्डमेण्ट है इसमें।

**श्रीमती सभानेत्री** : आपका अमेन्डमेन्ट नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : सभानेत्री महोदया, मुझे भी थोड़ा निवेदन करना है।

जिस प्रकार से जो प्रस्ताव रखा गया हैं उसमें पंच, सरपंच, न्याय पंचायत के सरपंच आदि को इलेक्टोरेट में शामिल किया गया है। तो जो खड़े नहीं हो सकते उनको इलेक्टोरेट में लेना कहां तक न्याय-संगत है और कानून सम्मत है ? यह विचारने का प्रश्न है।

दूसरी बात, कोआॅप्शन के बारे में कहा गया है कि ये प्रभावशाली होते हैं और प्रधान बन जाते हैं। गांव वालों को हिस्सा लेने का इसमें अवसर नहीं मिलता। इस बारे में मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि कोआॅप्शन जिस बेसिस पर रखा है वह यह है कि अच्छे लोग, समझदार लोग आवें तो वे जब आते हैं और प्रधान बन जाते हैं तो इसमें क्या दोष है ?

तीसरी बात यह है कि जैसे ग्राम चुनाव होते हैं उसी तरह एम. एल. ए. और एम० पी० की तरह सरपंचों और प्रधानों का भी चुनाव हो। तो जब तक उस चुनाव कानून में संशोधन नहीं लाया जावेगा तब तक यह किस प्रकार से हो सकता है ?

इसके साथ ही जैसे अभी कहा गया कि सादिकअली रिपोर्ट भी आनी बाकी है और बहुत से अमेन्डमेंट्स भी इसके बाद आने वाले हैं और इसमें बहुत सी बातें

( श्री गिरधारीलाल व्यास )

अपूर्ण भी हैं तो उन सबको एक साथ नहीं लेकर एक अमेन्डमेंट आज कर दें और दूसरे अमेन्डमेन्ट्स फिर अगले दिन लावें तो यह ठीक प्रतीत नहीं होता। इस पृष्ठभूमि में मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मन्त्रीजी अपना उत्तर देंगे।

**श्रीरामप्रसाद लड्ढा**(उप-मन्त्री,राजस्व) सभापति महोदया, अभी पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अमेन्डमेन्ट) बिल, जो माननीय सदस्य ने रखा है उसके सम्बन्ध में बहस की जा रही है और उस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव भी सदन के सामने और रखे गये हैं, एक इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में और दूसरा जनता की राय जानने की दृष्टि से जनमत के लिए प्रसारित करने के सम्बन्ध में हैं।

मैं इन तीनों ही प्रस्तावों का विरोध करता हूं और उसके पीछे कारण हैं। राजस्थान में जो अपार जनशक्ति है, जो बिखरी हुई है, उसका संचय कर के, गांवों के सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से उत्तरदायित्व उनके कन्धों पर रखा जावे, गांवों में विलेज लीडरशिप पैदा की जावे और सारा उत्तरदायित्व उनको सौंपा जावे जिससे गांवों का विकास हो सके। यह तभी सम्भव है जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। इस दृष्टि से १९५९ में हिन्दुस्तान में पहली बार राजस्थान के अन्दर इस योजना को चालू किया गया, उसके अन्तर्गत चुनाव हुये और इसका कार्य-भार उन लोकतान्त्रिक संस्थाओं ने सम्भाला।

एक बार के चुनाव के बाद और इन तीन सालों के अनुभवों से बहुत सी बातें जनता के सामने, सरकार के सामने और इस सदन के सामने आईं जिनकी वजह से यह अनुभव किया जाने लगा कि बाहर के अनुभवों के आधार पर, राजस्थान के स्वयं के अनुभवों के आधार पर जो यहां लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के संबंध में कानून और नियम बने हैं उनमें हेर-फेर किया जावे।

इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया जो इस पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी।

इस बीच में माननीय सदस्य ने आज यह एक संशोधन प्रस्ताव सदन के समक्ष एक अमेन्डमेन्ट बिल के जरिये रखा और जो दलीलें इसके पक्ष में हो सकती थीं वे उन्होंने दीं।

मैं उनके अन्दर नहीं जाऊंगा। लेकिन सदन के सामने इसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है, दूसरा पहलू क्या हो सकता है इसको जरा रखने का प्रयत्न करूंगा और वह प्रयत्न इसलिये करूंगा, इस बात को प्रमाणित करने के लिये करूंगा कि यह एक ऐसा साधारण मसला नहीं है कि जो इस अमेन्डमेन्ट बिल के जरिये, जिस रूप में यह रखा गया है उस रूप के जरिये, हल कर लिया जा सके।

इसके लिये अधिक कहने की आवश्यकता इसलिये भी नहीं है कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने इस बिल को जिस शक्ल में रखा है उसको उस शक्ल में मानने की बात का समर्थन नहीं किया। कइयों ने उसे बिल्कुल ही थ्रो आउट करने की बात कही, कइयों ने इसमें कई खामियां बताई और कइयों ने इसे प्रवर समिति में भेजने और जनमत जानने के लिये प्रसारित करने की बात कही।

# Page No 92



( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

जनता की राय जानने की बात को माना जावे और प्रवर समिति के पास भेजने की बात को भी मान लियाज ावे तब भी इससे यह सारी समस्या हल नहीं होती है। यह इसलिये नहीं हल हो सकती कि प्रवर समिति भी आखिर इस पर विचार करती है तो उन्हीं मुद्दों पर विचार कर सकती है जो मुद्दे ओरीजिनल बिल में हैं।

ओरीजिनल बिल के अलग मुद्दों पर प्रवर समिति विचार नहीं कर सकती. इसलिए प्रवर समिति के पास भेजने की जो समस्यायें माननीय सदस्यों ने सदन के सामने रखी हैं वे हल नहीं हो सकती। इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं। जनता की राय जानने के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा है। जहां तक उसकी स्प्रिट का और जनता की राय इस संबंध में क्या है उसको जानने का सवाल है वह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन जनता की राय किस प्रकार से जानी जाये, माननीय सदस्यों ने जो उसका प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करके माना जाये या सरकार ने जनता की राय जानने का एक तरीका अपनाया हैं उसके तरीके से भी जनता की राय जानी जा सकती है–उसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि सादिक अली की चेयरमैनशिप में १० अन्य सदस्यों के साथ जिसमें इस सदन के सदस्य, प्रमुख, प्रधान, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और प्रोफेसर्स भी हैं इस प्रकार की एक कमेटी बनी है। अगर मैं उस कमेटी की टर्म्स एण्ड रेफरेन्स को थोड़ी सी सदन की जानकारी के लिए सुना दूं तो मालूम होगा कि उसका क्षेत्र कितना विस्तृत है कि जिन सब बातों पर वह कमेटी जायेगी :

"To study the working of the panchayat Raj in our State in all its aspects to examine the existing Legislations in this respect and to suggest ways and means to make improvements, if necessary.."

तो यह टर्म्स एण्ड रेफरेन्स उसकी हैं, जो इतनी विस्तृत हैं कि वर्किंग के अन्दर एग्जामिन करके, लेजिस्लेचर के अन्दर कोई डिफेक्ट हो उसको भी एग्जामिन करके जितनी बातें आज तक के अनुभव से राजस्थान में या हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों से आई हैं उनकी जानकारी करके एक रिपोर्ट पेश की जाये और इसके लिए ज्यादा इन्तजार नहीं करनी पड़ेगी। मेरी जानकारी के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट फरवरी, १९६४ तक पेश हो जायेगी और वह दिन भी कोई बहुत दूर नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण योजना की स्टडी करने के लिए उसके कायदे और कानून का अध्ययन करने के लिए और सुझाव देने के लिए अधिक समय नहीं है। इसलिए फरवरी, ६४...

**श्री विजयसिंह झाला ( नाथद्वारा ) :** यह फरवरी १९६४ की डेट जो आपने फरमाई है कि इस समय तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तो फिर अमेंडमेंट कब करेगी और अप्रेल ६४ में ही आप पंचायतों के चुनाव करा रहे हैं। तो एक ही महीने में अमेंडमेंट हो जायेंगे ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और सरकार विचार करके उसके तहत जिन नियमों या कानूनों के अन्दर अमेंडमेंट की आवश्यकता है उनको सदन के सामने रखेंगे और सदन जिस प्रकार का निर्णय तरमीमों पर लेगा उसके मुताबिक कार्यवाही की

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

जायेगी। इसलिए मैं जनता की राय जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अब मूल प्रस्ताव के संबंध में जो दलीलें उन्होंने दी हैं उनको काटता हुआ तीन-चार मुद्दे सदन के सम्मुख रखूंगा, कि जो दूसरा पहलू इस बात का बनता है। सबसे पहले मैं जो उन्होंने मुद्दे की बात कही वह यह कही कि को-ऑप्शन तो रहे लेकिन को-आप्शन के तहत आने वाले आदमी प्रधान के तहत नहीं चुने जा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सदस्य जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, दो को-ऑप्शन में आते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से भी आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी आते हैं, सोशियल एक्सपीयरेन्स रखने वाले भी आते हैं तो सबसे बड़ी भलाई की बात आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कही और कहा कि जो ऐसे आदमी को-ऑप्शन के जरिये आते हैं उनको प्रधान बनने का अधिकार नहीं है; यानी महिला, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और को-ऑपरेटिव सोसाइटी के आदमियों को। लेकिन इस प्रजातन्त्र में उनका भी हाथ होना चाहिए। इसलिए को-ऑप्शन के जरिये उनको लाने की योजना बनाई और वह वीकर सैक्स होने के नाते भी और महिलाओं को मौका देने के लिये भी यह एक जरिया निकाला। बल्कि यह भी कर दिया कि जिस तरह दूसरे आदमी प्रधान बन सकते हैं उसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी भी प्रधान बन सकते हैं, महिलायें भी बन सकती हैं, दूसरे भी लोग बन सकते हैं। उस अधिकार को इस डेमोक्रेसी के युग में जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले अपने लिये रिजर्वेशन चाहते हैं, वहां माननीय सदस्य यह कहें कि को-ऑप्शन से आने वाले लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं को वंचित रखा जाये, यह उचित नहीं लगता। यह सदन एग्जामिन करे, कमेटी एग्जामिन करे। लेकिन इसके खिलाफ जो दलील आई उसके लिए मैंने निवेदन किया है।

महिलाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर दो महिलायें प्रधान के रूप में काम कर रही हैं; एक तो कोटा में है और दूसरी बीकानेर में, और महिलायें को-ऑप्शन से आई हैं। अगर को-ऑप्शन से कोई महिला प्रधान के रूप में काम करती है तो उसमें कौनसी राजनीति आ गई? उस वीकर सैक्स को दूसरे रास्ते से आने का रास्ता तो कोई और खुला नहीं है। अगर वह इस तरह से आती है तो आप रोक लगाना चाहते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर जो २३२ पंचायत समितिया हैं उनके अन्दर केवल ६० प्रधान ऐसे हैं कि जो को-ऑप्शन से आये हुये हैं, बाकी के सब जो चुनाव जिस प्रकार सरपंच चुनकर आते हैं और पंचायतें बनाते हैं अगर २३२ में से केवल ६० ऐसे हैं कि जो को-ऑप्शन के जरिये आये हैं। उन पंचायतों में महिलायें भी हैं, कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले भी हैं, कुछ को-ऑपरेटिव के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी हैं और कुछ वे लोग हैं जो सोशियल वर्क के आधार पर आये हैं..

श्री हरिराम धारू ( सिवाना ) : शिड्यूल्ड कास्ट्स की महिलायें कितनी हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : टोटल मैंने बता दिया है, आपकी जाति का तो पता नहीं।

**श्री हरिराम घारू** : कितनी महिलायें हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : महिलायें दो है और ५८ बाकी के पुरुष हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता था कि मैंने यह भी देखा है कि आपकी तरमीम में कहा गया कि ये को-ऑप्शन से आने वाले प्रधान के लिए खड़े नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ख्याल से वे प्रधान के लिए खड़े हो सकते हैं। मैं दोनों में कोई मेल नहीं पाता। फिर न्याय पंचायत के मेम्बरों को आपने इसमें क्यों किया जब कि हमारी पॉलिसी है कि एग्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग किया जाये और हमारी यह पॉलिसी केवल हाईकोर्ट और सेशन्स कोर्ट तक ही नहीं है बल्कि नीचे से नीचे लेवल तक है। इसी दृष्टि से न्याय पंचायत को और विकास पंचायत को, ज्युडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए जो नीति हमने अपनाई है वही न्याय पंचायत और विकास पंचायत के लिये अपनाई है और इस बिल के जरिये आप उनको वापिस ब्लॉक्स में घुसेड़ना चाहते हो ?

एक सवाल यह आता है, कि एक डिफिकल्टी नजर आती है। जो माननीय सदस्यों के लिए विचारणीय प्रश्न है और वह यह है कि अगर आपने पंच, सरपंच या न्याय पंचायत के पंच, जैसा कि आपने कहा है वे, प्रधान को चुनें और प्रधान चुन लिया जाता है लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि सब मिलकर एक सरपंच को प्रधान चुन लेते हैं लेकिन जो पंचायत समिति का वर्किंग है, पंचायत समिति के १२, १५, या २० सरपंच या दूसरे लोग जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह प्रधान जिसको दूसरे पंचों ने मिलकर चुना है वह हार्मोनियसली उस पंचायत समिति में काम नहीं कर सकेगा, काम इसलिए नहीं कर सकेगा कि उसको तो दूसरे पंचों ने चुना है और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनको उस पर्टीक्यूलर व्यक्ति में विश्वास नहीं है। तो यह योजना जिसको हम सफल देखना चाहते हैं वह इस नुक्स की वजह से असफलता की ओर भी जा सकती है। अब अविश्वास पास करने का प्रश्न आता है और पंच, सरपंच और न्याय पंचायत के पंच उसको चुनते हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है, कौन नहीं, क्या वह पंच, सरपंच और न्याय पंचायत के पंच करेंगे या पंचायत समिति के सदस्य ? यह एक लीगल प्रश्न है। इसकी लीगेलिटी ऐसी चीज है जिस को बिना एग्जामिन किये हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इस कमी को आपकी तरमीम का बिल जो है वह दूर कर देगा।

इसके अलावा आपने इसके इस उद्देश्य को लेकर कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन जो हो रहे हैं वे बहुत सीमित हैं और इसलिए उसमें करप्शन के ज्यादा चान्सेस हैं। मैं मानता हूं कई जगह ऐसी खराबियां इधर और उधर की पार्टियों से हुई हैं, हो सकती हैं। इसके लिए मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ यह देखना पड़ेगा कि कुछ करप्शन के छोटे दरवाजों को बन्द करके बड़े दरवाजे तो नहीं खोल रहे हैं ? आज हम कुछ आदमियों को, जैसा कि आपका कहना है कि तीर्थ यात्रा या दूसरी तरह से ले जाते हैं तो दस पांच हजार रुपया खर्च होता होगा और इस प्रकार के करने वाले कानून के विरुद्ध काम करने

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

वाले करते होंगे। लेकिन यह स्थिति आ सकती है कि ५० के बजाय २०० पंचायतों के पंच हैं उनके साथ भी इस प्रकार का तरीका अपनाया गया तो करप्शन का दरवाजा बहुत चौड़ा हो जायेगा और इसका शिकार बहुत बड़ा समाज बन जायेगा और उसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स बहुत बढ़ जायेंगे।

तीसरा प्रस्ताव यह आया कि क्यों नहीं जिस प्रकार एम० एल० ए० के चुनाव होते हैं उसी तरह से इसका कर दें। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि क्या यह प्रणाली मानी जाये कि एम० एल० ए० की तरह प्रधान का चुनाव हो। पंच, सरपंच और न्याय पंचायत के पंच प्रधान को चुनें या यह माना जाय कि जो आजकल चल रहा है। इन तीनों प्रणालियों के अपने अपने गुण और अवगुण हैं और साथ ही साथ दोष लगे हुये हैं।

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय मंत्री का मैं समय की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ८ बजने तक तो है ही।

**श्रीमती सभानेत्री** : फिर प्रभारी सदस्य का उत्तर होगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आखिर १५-२० मिनट तो लगेंगे।

**श्रीमती सभानेत्री** : तो फिर समय बढ़ाया जाय, अगर आप ज्यादा बोलें तो।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर देता हूं इस बहस को।

सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे यह जाहिर होता है कि जो कुछ बातें माननीय सदस्य ने रखी है वे अपूर्ण हैं। इस मायने में अपूर्ण हैं कि केवल एक आपत्ति प्रधान के चुनने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बताई है। केवल एक आपत्ति है उसके बारे में विभिन्न रायें हैं। कोई एम० एल० ए० की तरह से चुनाव चाहते हैं, कोई आज जो प्रणाली है उसको ठीक समझते हैं, कोई यह चाहते हैं कि न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों के पंच मिलकर चुनाव करें। कई इस बात को लेकर चलते हैं कि न्याय पंचायतों को छोड़ दिया जाय। जब विभिन्न विचारधाराएं हैं तो आवश्यक हो जाता है कि सभी विचारधाराओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाय। इसलिए केवल यह एक ही बात नहीं है। इसके अन्दर जितनी तरमीमात की बातें की जाती हैं वे इस बिल के अन्दर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। मैं यह नहीं मानता कि तीन साल में इधर-उधर या देश में जो कुछ इस सम्बन्ध में हुआ है उसका तजुर्बा केवल यही एक सुझाव हो जो कि तरमीम आपने प्रस्तुत की है। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर सभी माननीय सदस्य चाहेंगे कि विचार किया जाय, और एक अपूर्ण एमेंडमेंट लेकर एक इन्स्टालमेंट में किसी चीज के तरीके को नहीं अपनाया जाय। इस बात पर करीब करीब सभी माननीय सदस्य सहमत हैं और इसी वजह से मैं जो कुछ भी प्रस्ताव यहां रखे हैं उन सबका विरोध करता हूं उनके औचित्य और अनौचित्य को भविष्य के ऊपर छोड़ते हुए; इसलिए कि उन पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय, और माननीय सदस्य से भी इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ यहां पर प्रस्ताव किया है वह प्रस्ताव इतना इन्कम्प्लीट है। वह प्रस्ताव गरीब लोगों की गर्दन पर

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

कुठाराघात करने वाला है। यह उनके अधिकारों के विपरीत है इसलिए उसके ऊपर जब तक गम्भीरतापूर्वक विचार न हो जाय तब तक इस प्रकार का निर्णय ले लेना उनके स्वयं के इन्ट्रेस्ट में और यह जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना है उसको सफलतापूर्वक चलाने की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं होगा।

यहां पर कई तरह के विचार आये कि ५ वर्ष की अवधि कर दी जाय। इस सम्बन्ध में विचार आया और यह भी जो विचार आया कि जिस आदमी को वोट देने का अधिकार है उस आदमी को खड़े होने का अधिकार क्यों न दिया जाय ? और भी कई इस प्रकार के सुझाव आये हैं। उन सब सुझावों को तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब कि उन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और गम्भीरतापूर्वक विचार करने की दृष्टि से सारे मामले के महत्व को, जिनको कि सरकार ने समझा है, इसी वजह से गम्भीरतापूर्वक विचार करने की दृष्टि से यह कमेटी निर्माण की गई है और कमेटी में क्वेश्चनेअर के जरिये जनता की राय जाननी चाही है और जनता की राय जानने के बाद उस पर अध्ययन और उत्तरों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि सदन के समक्ष भी आयेगी और उसी के बाद उसके अनुसार जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी, उसके मुताबिक सदन के समक्ष सारी चीजें सामने आयेंगी, और उसी वक्त तहकीक तौर पर इन सारी चीजों के बारे में निर्णय किया जायगा।

सभापति महोदया, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ एमेंडमेंट है वह अधूरा है और उसके औचित्य और अनौचित्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार किये बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता है और माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। दूसरे प्रस्ताव जो कि प्रवर समिति और जनता की राय जानने का है उसके बारे में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसका विरोध करते हुए सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने प्रस्ताव वापिस ले लें।

**श्रीमती सभानेत्री** :(श्री हरिराम चौहान के खड़े होने पर ) आप कोई उत्तर देना चाहेंगे ?

( विराम )

तो सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

**श्री हरिराम चौहान** ( तिजारा ) : सभापति महोदया मंत्री महोदय ने जिस तरह से आलोचना की है वह मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गलत है और इस बिल को इस वक्त टालने का मकसद होगा कि पंचायतों का चुनाव जैसा कि इन्होंने डिक्लेयर किया है कि वे मार्च के महीने में चुनाव करायेंगे और इस तरह से इसको प्रवर समिति तक ने भी मंजूर नहीं किया है। ...

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ये सारी धारणाएं गलत सिद्ध होंगी इस समय; और टाइम बताएगा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): माननीय गृह मंत्रीजी ने घोषणा की है कि अप्रेल ६४ में पंचायतों के चुनाव होंगे।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने यह निवेदन किया है कि ये सारी धारणाएं कि किसी तरह इन चीजों पर विचार किये बिना ही

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

इलेक्शन हो जायगा, यह धारणा बहुत मुमकिन है कि निर्मूल साबित हो सकती है ।

**श्री हरिराम चौहान** : मंत्री महोदय ने जो एलान किया है या तो वह गलत है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सरकार अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है ।

**श्री हरिराम चौहान** : पंचायत समिति और जिला परिषद् के कानून के अन्दर कई संशोधन करके फिर चुनाव कराने होंगे। इतना जल्दी वह कभी भी नहीं हो सकता है। अभी तो रिपोर्ट पर बहस होगी और फरवरी में चुनाव कराने का नाम लेते हैं तो वह फरवरी के बजाय मार्च में, अप्रेल में, मई में, जून मे होगा ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : प्रिलीमिनेरी कार्यवाही से इसका अलग कोई ताल्लुक नहीं हैं ।

**श्री हरिराम चौहान** : उसका कोई तालुक नहीं है, लेकिन आपकी जो मन्शा है वह उसी तरह से पंचायतों के चुनाव हो । यह सब चीज जानने के बाद भी, यह महसूस करने के बाद भी, जैसा कि आपने खुद ने महसूस किया है कि इस प्रणाली में कुछ खामियां हैं, कुछ दोष है, उनके होते हुए भी कोई इधर-उधर की बातें करके कि हरिजनों के साथ अन्याय होगा या महिलाओं के साथ अन्याय होगा, हरिजनों और महिलाओं के प्रति जो प्यार आपका टपक रहा है वह दिखता है एक किस्म के काम से । वह प्यार हम जानते हें । वह प्यार हमने चुनावों में देखा है कि आपने कितने हरिजन प्रधान बनाये, कितनी महिलाओं को प्रधान बनाया । अगर मेजोरिटी में आप बना कर रख देते या उनकी आबादी के लिहाज से यानी ३० पर्सेन्ट राजस्थान के अन्दर उनकी आबादी है तो ३० पर्सेन्ट पंचायत समितियों के प्रधान बनाकर रख देते तो फिर हम मान लेते कि आपका प्यार है वह काफी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन उनकी आड़ में, उन हरिजनों की आड़ में, उन महिलाओं की आड़ में आप यह समझें कि हरिजन तो कच्चे माल की तरह मंडियों में लगे हुए हैं और जब मर्जी आये तब बोली लगा कर खरीद लें । यह कच्चा माल इतना सस्ता जो मिल रहा है कि जो चाहे पैसे के लोभ से, सरपंच के लोभ से, को-ऑप्शन के लोभ से उनको लेते हैं । उनसे कहते हैं कि को-ऑप्शन की तरह से हरिजनों की तरफ से आ जाइये, महिलाओं की तरफ से आ जाइये । यह जो आपने लोगों को कच्चा माल बना रखा है कि मर्जी आई वह बोली लगाता है मंडी के अन्दर । राजनीति के अन्दर जो आप यह चाहते हैं वह बिल्कुल हम नहीं होने देंगे । यह बात अलग है कि यह बात आप घमण्ड के साथ कह सकते हैं कि टाइम नष्ट करते हैं,क्योंकि आपकी तरफ हाथ ज्यादा खड़े होते हैं । आप यह बात भी कर सकते हैं कि हमको कुछ मानना-वानना है नहीं प्रस्ताव को और उसमें टाइम लगा है । क्यों आये हैं ? बैठे भी क्यों है ? इस तरह आये हैं कि हाजरी लगाकर चले जायं तो बात दूसरी है । मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपकी इस चुनाव प्रणाली में बिल्कुल अप्रजातांत्रिक तरीका है । इससे बड़ा नुक्सान हुआ है और जितने भी माननीय सदस्य इधर से बोले थे उनके लिये यह कहा कि किसी ने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया, यह आपने बिल्कुल गलत स्टेटमेन्ट दिया है । इधर के तमाम सदस्यों ने महसूस किया है कि पंचायत समितियों में तब्दीली लाई जाय । उनमें से

# Page No 98



( श्री हरिराम चौहान )

कुछ का विचार है कि न्याय पंचायतों को शामिल नहीं किया जाय। किसी ने यह कहा कि यह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है; इसलिये सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। उनकी भावनाओं को देखते हुए यह न्यायोचित सुझाव है। अमेन्डमेन्ट जो मैने रखा है वह छोटा सा है और पूर्ण नहीं है। अपूर्ण है। मैं उनके इस सुझाव को मानता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यदि सरकार ईमानदारी से चाहती है और मन्त्री जी चाहते हैं कि पंचायतों के चुनाव इस तरह से नहीं होकर संशोधन के तरीके से होंगे, वे यदि ईमानदारी से यह चाहते हैं कि जिस तरह की हुड़दंग-बाजियां पिछले चुनाव में चलीं, जिस तरह की शराब खोरी पिछले चुनाव में चली, जिस तरह से लोगों को उड़ा कर ले जाने की घटनाएं पिछले चुनाव के समय हुई, जिस तरह से लोगों का मोरल गिराने में मन्त्री जी ने आगे बढ़ कर हिस्सा लिया है, इन तमाम तकलीफों को समझते हैं, कमियों को समझते हैं तो आपको यह घोषणा करनी चाहिये कि हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कमियां हजार हैं लेकिन उधर के लोग और इधर के लोग एक मत हैं। जो पंचायतों के चुनाव कराये जाते हैं वे सोलह आने गलत हैं इस नतीजे पर सब लोग पहुंच गये है। इसके लिये यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार करते हैं तो कोई इसके खिलाफ नहीं है। आपको यह बात मान लेनी चाहिये और इज्जत का खयाल नहीं करना चाहिये। इससे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और यदि आप इसको नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इज्जत घटेगी।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

**श्री केसरीसिंह** ( पाली ) : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय क्योंकि मैं सादिक अली कमेटी का मेम्बर हूं।

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

अनुममति प्रदान की गई।

**श्री केसरीसिंह :** मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री :** और कोई अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहते हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : सभापति महोदय, समय २ मिनिट का और बढ़ाया जाय। इन्ट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में मेरा पोइन्ट आॅफ आॅर्डर है।

**श्रीमती सभानेत्री :** Sorry, इसके लिये समय नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला :** मुझे पोइन्ट आॅफ आॅर्डर पर तो बोल लेने दीजिये।

**श्रीमती सभानेत्री :** इसके लिये समय नहीं है, समय नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं निवेदन करती हूं, आप बैठ जाइये।

**श्री निरजननाथ आचार्य** ( उप-मन्त्री, शिक्षा ) : The Chair is on its legs.

**श्रीमती सभानेत्री :** प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

( अस्वीकृत )

(श्रीमती सभानेत्री)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक ९-९-६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ८.५ बजे दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ के म० प० २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

---

# संक्षिप्त विवरण

( शुक्रवार दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ )


स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर के शीर्षक १

बीकानेर जिले के अभावग्रस्त गांव ।

मजदूरों की बकाया ।

समाज कल्याण विभाग में अधिकारी व कर्मचारी ।

तावान ।

महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा ।

हरिजनों व पुरुषार्थियों के लिये जमीन ।

नई कोलोनी के प्लॉट की बिक्री ।

मछलियों का ठेका ।

सागे नदी पर बांध ।

गांवाही जंगल ।

छात्रावास ।

भूमि का आवंटन ।

विकास समारोह पर व्यय ।

केथवाड़ा ग्रामवासियों की मांग ।

जौहरी बाजार का विकास ।

आयुर्वेदिक औषधालय ।

खस के टाटों पर व्यय ।

मुआवजे का भुगतान ।

बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का औषधालय ।

हाउसिंग व स्लम क्लियरेन्स के लिए राशि ।

स्टोर और स्टॉक के हिसाब का अंकेक्षण ।

वाटर लॉगिंग की समस्या ।

अलेक्जेन्ड्रा हॉस्पिटल ।

नाले पर पुलिया का निर्माण ।

उत्पादन कमेटी का निर्माण ।

पलाना खान के विवादों के हल के लिए नियुक्ति ।

पिलाई की वसूली ।

कुएं के लिए दिया गया अनुदान ।

बांध का निर्माण ।

राजस्थान केनाल एरिया की सरकारी भूमि ।

जिला बोर्ड के वैद्य ।

२. सदन की मेज पर रखे गए पत्र ६७

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री ने राजस्थान कृषि विश्व-

विद्यालय अधिनियम, १९६२ की धारा ३५ (१) के अन्तर्गत, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से संबंधित प्रथम परिनियम। First Statutes of the Rajasthan Agricultural University, Udaipur की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

**३. आधे घण्टे की चर्चा** ६७

अनाज के भाव से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १२ (१९३ ई० एम०) के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर सर्व श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री मानिकचन्द सुराणा एवं श्री मुरली धर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने आधे घंटे की चर्चा उठायी।

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

**४. शासकीय विधायी कार्य**

**पुरःस्थापित किये गये विधेयक** ९४

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Agricultural University (Amendment) Bill 1963].

(२) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1963]

(३) जयपुर सूद सदाबर्त फण्ड प्रशासन विधेयक, १९६३।

[The Jaipur Sud Sadabarat Fund Administration Bill, 1963]

**५. गैर सरकारी विधायी कार्य विचारार्थ लिये गये विधेयक**

**(१) राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३** ९६

श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, प्रभारी सदस्या, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, आज अग्रेतर विचार किया गया।

वाद-विवाद के पश्चात् श्री गिरधारीलाल व्यास द्वारा प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन-प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

**(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३** १३८

श्री हरिराम चौहान, प्रभारी सदस्य, के इस प्रस्ताव पर कि

# Page No 102



उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसका समर्थन सर्व श्री केदारनाथ, केसरीसिंह (८९) एवं श्री जयकृष्ण शर्मा ने किया।

श्री जोधसिंह चौहान ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन सर्व श्री गंगासिंह (४५), मानसिंह महार एवं श्री रामकिशन द्वारा किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप मन्त्री (राजस्व) ने सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् संशोधन-प्रस्ताव तथा मूल प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये।

सदन की बैठक रात्रि के ८ बजकर मिनट पर सोमवार, दिनांक ९ सितम्बर, ५ १९६३ को दिन के २–३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

### सोमवार दिनांक ९ सितम्बर, १९६३ की कार्य सूची

राजस्थान टीनेन्सी ( भूमि की अधिकतम क्षेत्र निर्धारण ) ( सरकारी ) नियम, १९६३ के प्रारूप पर विचार

———

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२० का उत्तर देखिये )

### GOVERNMENT OF RAJASTHAN

### LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

To

The Chairman,
Improvement Tiust,
Bikaner.

No. D. 13332/F. 3/b/80/LSG/61.
Dated the 28-7-62.

Sub. : Fixation of reserve price of land in the Nagnichiji Scheme, Bikaner.

Sir,

In pursuance of clause I of this Department Notification No. F. 4/32/LSC/59 dated 17-7-1961 I am directed to convey sanction of the Government to the fixation of the fixed price @ Rs. 4/- per sq. yd. for the undermentioned 140 plots of 80' x 50' ( area 445 sq. yds. ) for allotment and Rs. 5.50 N. P. per sq. yds. as reserve price for the plots to be auctioned in the Nagnichiji Scheme Bikaner as per enclosed site plan duly signed :

| No. | Plots. |
|---|---|
| 1. 75, 76, 77, 78 to 88, 89, 102 & 103. | 17 |
| 2. 139 to 177 | 39 |
| 3. 178 to 195. | 18 |
| 4. 196 to 211. | 16 |
| 5. 212 to 227. | 16 |
| 6. 228 to 243 | 16 |
| 7. 244 to 261. | 18 |
| Total No. of Plots. | 140 |

2. The land shall be allotted/sold subject to the following conditions :—

1. No person shall be permitted to purchase more than one plot in this Scheme in his name or in the name of his dependent, or benami.

2. Persons who already own a plot or a house in their names or that of their dependents outside the walled city shall not be eligible to purchase any plot in this Scheme.

3. The plots will be sold on lease. The period of lease would be 20 years. It will not be permissible to convert leasehold into free hold. The prices mentioned above would, therefore, be nazarana. The annual lease money will be determined in accordance with the normal rules and will be charged over and above the nazerana. The

lease money will be subject to renewal at intervals of every 20 years At each renewal the lease money will be liable to be increased by not more than 25% of the previous rate.

4.On auction or allotment only a licence will be issued, entitling the licencee to enter upon the plot and to undertake construction according to the approved plan within a period of two years of his taking over possession. If the construction is not completed within this period of two years the plots shall be liable to be confiscated. The Patta will be issued only after the plot has been built upon in accordance with the approved plan.

5. All plots sold are allotted will be allowed to be used only for the specific purpose for which they have been sold or allotted under the Scheme.

3. The nazarana will cover the cost of land, the entire cost of development together with 20% administrative charges. Out of this amount the cost of the land will be kept apart till the decision to apportion it between the Government and Trust is taken.

4. The amount provided for sewage as worked out at 0.80 N. P. per sq yd. will be deposited under a specific Head and earmarked and utilised for laying the sewage line and for no other purpose whatsoever.

5. The annual urban assesment will be credited to Government account.

6. If there is any saving in the electrification of the Scheme it will not be re-appropriated for any other purpose without reference to Government.

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ का उत्तर देखिये )

पालो जिले की पंचायत समितियों में २–१०–५९ से ३०–६–६३ तक विकास सामारोह पर हुए खर्च की सूची :—

| क्रम संख्या | नाम पंचायत समिति | विकास सामारोह पर खर्चा |
|---|---|---|
| १. | पाली | २,०१०.०० |
| २. | रायपुर | १,१६६.१२ |
| ३. | सुमेरपुर | ७,९६८.९६ |
| ४. | बाली | ६,१३१.०० |
| ५. | जैतारण | ५,६७५.७९ |
| ६, | रानी स्टेशन | १,३३९.५० |
| ७. | रोहट | ६३१.७२ |
| ८. | सोजत | १,५११,२८ |
| ९. | खारची | १,५०९.३१ |
| १०. | देसूरी | ७,०८५.१० |

## परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न ५४० का उत्तर देखिये)

### सूची

इस समस्या से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र लैफ्ट केनाल के अन्तर्गत वल्लम नान्ता भरता पांवडी भादरिया कुआ धनातरी व कालपुरिया गांव के पास है व राइट केनाल के अन्तर्गत कोटा रामपुरा उमेद गंज केथून व टेकरा के पास है।

इरीगेशन महकमे ने इस दिशा में कई आवश्यक कदम उठाये हैं। जहां जहां जरूरत समझी गई नहरों के साथ साथ शीपेज ट्रेंचस बनाई हैं जिनमें नहरों से रिसा हुआ पानी इकट्ठा करके उनको प्राकृतिक नालों में डाला गया है बाकी काम प्रगति पर है। जहां जहां नहरें दरारो वाली चट्टानों पर से गुजरती हैं उनको पक्का किया जा रहा है। ताकि पानी उनकी तली व किनारे से रिस कर पास की भूमि को क्षति ग्रस्त न कर सके। बूंदी ब्रांच नहर के उन हिस्सों में जो वाटर लागिग से ज्यादा प्रभावित हैं लाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है और यह काम प्रगति पर है। इसके अलावा मिट्टी के विशेषताओं समुचित ग्राम ग्राम पेन्टर्स में संशोधन किये गये हैं। और ऐसे इलाकों जहां वाटर लेवल पहले से ही ऊंचा है ऐसी फसलें जैसे गन्ना व चांवल दोनों को मुमानियत कर दी गई जिनको पाने के लिये काफी पानी की जरूरत है।

सीपेज ट्रेंचस व लाइनिंग का तखमीना चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मन्जूरी हेतु भेजा गया है इस काम में लगभग ४८ लाख रुपया खर्च होने की संभावना है।

## परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ का उत्तर देखिए)

अलेग्जेन्ड्रा हॉस्पिटल (अलवर) में इस समय निम्नलिखित स्टाफ कार्य कर रहा है:—

| | |
|---|---|
| १—सीनियर स्पेशलिस्ट | १ |
| २—आनेरेरी सर्जन | १ |
| ३—जूनियर स्पेशलिस्ट | २ |
| ४—सी० ए० एस० | १५ |
| ५—मेट्रन | १ |
| ६—सिस्टर ट्यूटर्स | २ |
| ७—सिस्टर्स | ३ |
| ८—स्टाफ नर्सेज | ४ |
| ९—मिडवाईफ | ४ |
| १०—कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम | २० |
| ११— „ „ द्वितीय | ३ |
| १२— „ „ तृतीय | १६ |
| १३—नर्स दाई | १ |
| १४—टेक्निशियन | २ |
| १५—टेलर्स | २ |
| १६—एम्बूलेन्स ड्राइवर | २ |
| १७—पम्प ड्राइवर | १ |
| १८—इलेक्ट्रिशियन | १ |
| १९—कारपेन्टर्स | १ |
| २०—क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स | ८२ |
| २१—आर्टिस्ट | १ |

## परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के प्रश्नोत्तर)

### पिलाई की वसूली

५४६. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीज़न में ऐसी भूमि भी है जिसकी नहरी पिलाई राजस्व (रेवेन्यू) के साथ जोड़ दी गई है फिर भी नहरों से जिस भूमि की पिलाई होती है उसकी पिलाई सिंचाई विभाग अलग से वसूल करता है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची देने की कृपा करें जिनमें इस प्रकार डबल पिलाई वसूल की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील उदयपुर के ग्राम बड़ी, नोहरा हवाला, बड़ा हवाला आदि गांवों में इस प्रकार डबल पिलाई वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे माफ करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(१) जी नहीं । सिंचाई विभाग की जानकारी में उदयपुर डिविजन के किसी भी गांव में यह परिस्थिति नहीं है ।

(२) जी नहीं । गिरवा तहसील में इस प्रकार कोई डबल पिलाई वसूल करने की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है अतः माफ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

### कुएं के लिए दिया गया अनुदान

५४७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन ने संबन्धित सरपंच की सिफारिश पर टोडास की ढाणी में खातेदारी कुए पर सार्वजनिक कुएं निमित्त २,०००) रु० का अनुदान स्वीकार किया ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह कुआं अनुदान स्वीकृति से ३ साल पूर्व ही बन चुका था और उस से दो वर्ष तक सिंचाई भी की जा चुकी थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस विषय की शिकायत जनता द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

### उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । जांच जारी है ।

### बांध का निर्माण

५४८. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जालोर जिले में डोलला व सिकन्दरा पहाड़ों के बीच में जो नदी बहती है उसमें पानी की अधिकता को देखते हुए सरकार इस नदी पर बांध बांधने का विचार रखती है ?

### उत्तर

जी हां । इस पर तखमीना तैयार कर लिया गया है । और धन-राशि उपलब्ध होने पर कार्य शुरु किया जा सकेगा ।

# Page No 108



## राजस्थान केनाल एरिया की सरकारी भूमि

४४६. श्री श्योपतसिंह, (हनुमानगढ़) : क्या मन्त्री राजस्थान केनाल यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान केनाल एरिया में पिछले साल कितने बीघा सरकारी भूमि खाली पड़ी रही ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(२) क्या यह सही है कि इस साल सरकारी पड़ती भूमि एक साल के लिए नीलाम की जा रही है ? यदि हां, तो कितने बीघा ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखी जावे ।

### उत्तर

(१) राजस्थान केनाल एरिया में गत वर्ष (सन् १९६२–६३) में ७८४५७२ बीघा भूमि खाली रही । उपनिवेशन तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । कुल ८४९२९ बीघा सरकारी भूमि अब तक नीलाम की जा चुकी है, जिसकी तहसीलवार सूचना प्रश्न (१) के उत्तर में दी गई सूची में सम्मिलित कर दी गई है ।

## — सूची —

| क्रम संख्या | नाम तहसील | सं २०१८ — १९ में सरकारी भूमि खाली रही ( रकबा बीघा में ) | २०१९ — २० में सरकारी भूमि एक साल के लिये निलाम हुई । (बीघा) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ — | नौरंगदेसर | १४९७३ | ४९७९ | |
| २ — | हनुमानगढ़ | १२०२५ | ४४३५ | |
| ३ — | रावतसर | २५२१९ | ३०८९ | |
| ४ — | बीकानेर | ५८०३१ | २०१६४ | |
| ५ — | रायसिंह नगर | ८७४८७ | २१९०८ | |
| ६ — | अनूपगढ़ | १०६३२८ | १५३७७ | |
| ७ — | सूरतगढ़ नं० १ | ११२५८४ | ५२२६ | |
| ८ — | ,, ,, २ | २४१५३३ | ३९७८ | |
| ९ — | ,, ,, ३ | १२६३९२ | ५७७३ | |
| | कुल योग | ७८४५७२ | ८४९२९ बीघा | |

# Page No 110



## जिला बोर्ड के वैद्य

५५०. श्री नाथूराम ( बांगडोरा ) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से आये हुए औषधालयों के कितने अनक्वालीफाइड वैद्यों को राजस्थान सरकार ने डिग्रेड कर दिया है ?

### उत्तर

इस विभाग द्वारा जिला बोर्ड से आये हुए औषधालयों के किसी भी अनक्वालीफाइड वैद्य को डिग्रेड नहीं किया गया है ।

———

# शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ६ सितम्बर, १९६३)

| स्कम्भ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| ९ | १० | दये | दिये |
| १० | १० | व्याथर | ब्यावर |
| ,, | २८ | हं | हूं |
| २१ | १६, [illegible] | मिलिकियत | मिल्कियत |
| २२ | अन्तिम से २ | निंश | निर्भर |
| २३ | १८ | जसके | जिसके |
| २७ | ७ | श्री नाथूलाल मिर्धा | श्री नाथूराम मिर्धा |
| २८ | २० | (फुंलवारिया) | फुलवारिया |
| ३६ | १६ | डागी) | डांगी) |
| ६१ | ८ | कितन | कितना |
| ६५ | २१ | ।ही | नाम ही |
| ६६ | शीर्षक | कार्यक्रम में परिवर्तन | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ६७ | १२ | मेज पर रखाना) | मेज पर रखना) |
| ७३ | १८ | अखिर | आखिर |
| ७७ | ६ | वश्लेषण | विश्लेषण |
| ८० | ९ | पार्ल्यामेंट | पार्लियामेन्ट |
| १११ | ७ | महीदया | महोदया |
| १३० | ७ | अङ्गजो | अंग्रेजी |
| १३१ | २२ | अकाडमियों | अकाडेमियों |

| स्कम्भ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १४६ | अन्तिम से ५ | अमेन्डमेम्ट | अमेन्डमेन्ट |
| १५७ | अन्तिम से ४ | पोलटिकल | पोलिटिकल |
| १६७ | १५ | अमेंडमेट | अमेन्डमेन्ट |
| ,, | अन्तिम से २ | श्री जोधासिंह चौहान | श्री जोधसिंह चौहान |
| २०२ | १४ | विधेयक | विधेयक |
| २०४ | ६ | ८ वजकर मिनट | ८ वजकर ५ मिनिट |
| ,, | ७ | ५ १९६३ | १९६३ |
| २११ | अन्तिम से ४ | ट्रेंन्स | ट्रेंचेज़ |
| २१४ | १८ | श्री विंरदाराम | श्री विरदाराम |